खण्ड-211, अंक-2
गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(10 मार्च, 1960 ई0)

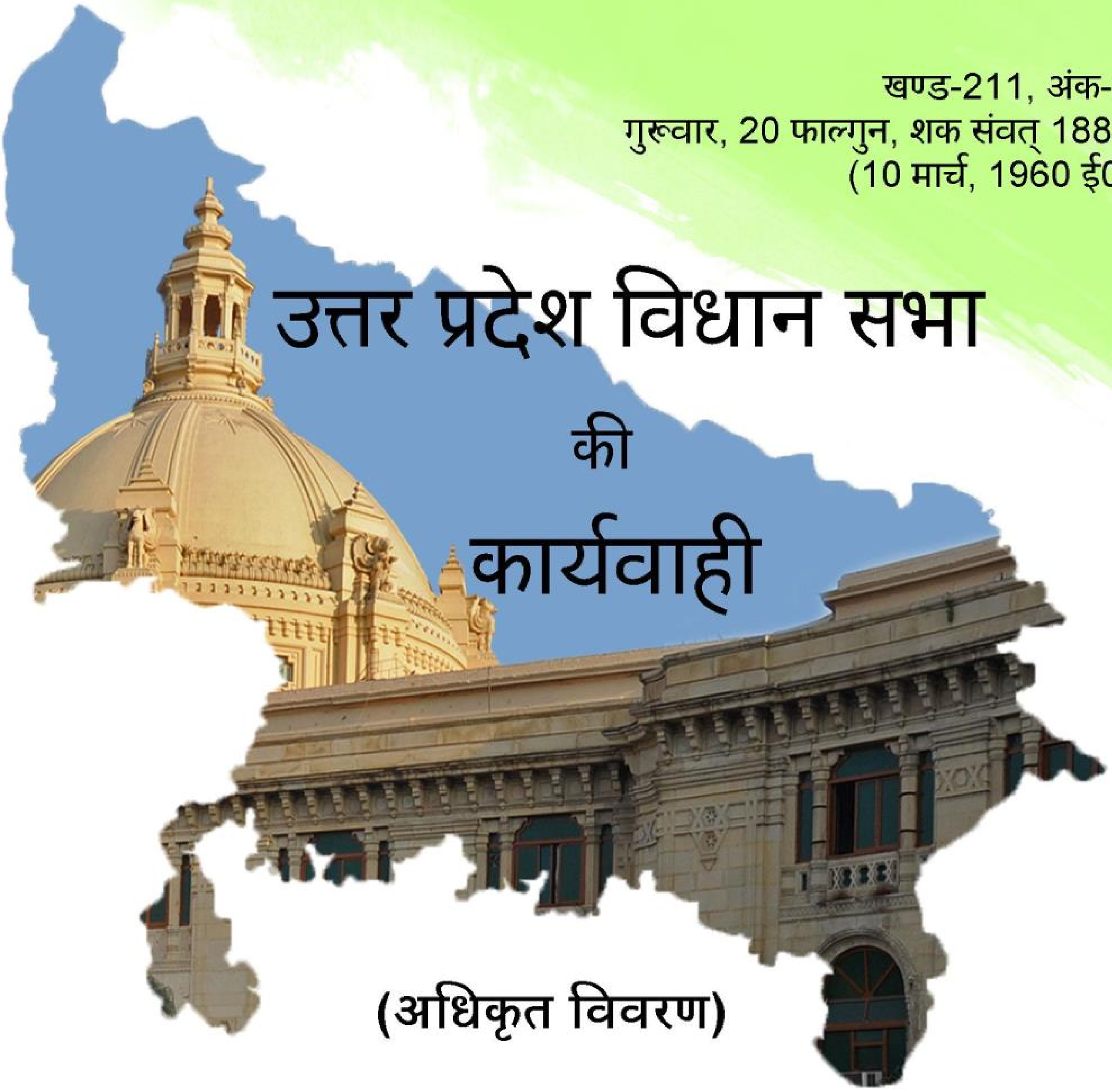

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १० मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारामचौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपङ्कर आचार्य,
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती

राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबक्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थ।

प्रश्नोतर

बृहस्पतिवार, १० मार्च, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सहायता तथा पुनर्वास विभाग में श्री प्रभुलाल शर्मा की पुनर्नियुक्ति

*१—श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके सहायता तथा पुनर्वास विभाग में कोई ऐसा भी अधिकारी है जो ६० साल के कारण रिटायर किये जाने के बाद, अवैतनिक रूप से फिर रख लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों किया गया है?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां। अधिकारी श्री प्रभुलाल शर्मा हैं। श्री शर्मा AGUP के कार्यालय में DAG के पद पर थे। वहां से जब उनकी सेवायें समाप्त हो गयीं तो सहायता तथा पुनर्वास विभाग ने उनको सहायता तथा पुनर्वास आयुक्त के वित्तीय परामर्श दाता के पद पर पुनः नियुक्त किया। किन्तु जब उनकी अवस्था ६० वर्ष की हो गयी तो उनकी सेवायें ३१ दिसम्बर सन् १९५७ में समाप्त कर दी गयीं। इस अवधि में शर्मा जी की सेवायें इस विभाग के लिये बहुत लाभप्रद साबित हुईं अतः यह विचार किया गया कि ऐसी स्थिति में जबकि यह विभाग समाप्त होने की दशा में है ऐसे अनुभवी तथा कुशल व्यक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये शर्मा जी को अवैतनिक रूप से इस विभाग की सेवायें करने का आग्रह किया गया। श्री प्रभुलाल जी तैयार हो गये और उनकी अवैतनिक रूप से नियुक्ति के आदेश नियुक्ति तथा वित्त विभाग की अनुमति से जारी किये गये।

**२—श्री गौरीशंकर राय—उपरोक्त अधिकारी या अधिकारियों पर भत्ता, टेलीफोन तथा अन्य रूप से कितने रुपये अब तक सरकार के व्यय हुए?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अभी तक अप्रैल, १९५८ से फरवरी, १९६० तक इन पर कुल लगभग ४६०० रुपये का व्यय हुआ है ।

श्री गौरी शंकर राय—क्या यह सही है कि उक्त विभाग का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इन अवैतनिक सेवा करने वाले सज्जन का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—नोटिस की जरूरत है, इत्तला मुझे ठीक नहीं है ।

श्री गौरी शंकर राय—कौन सी उनको टेक्निकल योग्यता है जिसके कारण उनकी सेवा के बिना मुहकमे का काम चलाने में कठिनाई होती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—डिप्टी एकाउंटेंट जनरल रहे हैं, समझ लीजिये क्या योग्यता होगी । फाइनेंस के बारे में बड़ी भारी उनकी जानकारी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास विभाग समाप्त किया जायगा उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिये या उनकी सेवाएं समाप्त जब होंगी तब पुनर्वास विभाग समाप्त होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इनकी सेवा पहले समाप्त होगी, पुनर्वास विभाग बाद को ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि क्या वजह है कि इन्हीं को रखा गया है, दूसरे को नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो काम वह कर रहे हैं उससे वह बड़े उपयोगी साबित हो रहे हैं । थोड़ा काम और बाकी रह गया है, बहुत-सा उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ हल कर दिया है, इस वास्ते उनको रखने की जरूरत समझी गयी ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय न्याय मंत्री अपनी नीति को स्पष्ट करेंगे कि जिस तरह से शर्मा जी की विशेष योग्यताएं रखने के कारण पुनः सर्विस में रखा गया, अन्य विभागों में अगर ऐसे लोग हों तो उनको भी इसी प्रकार रखा जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अगर कोई इंडिस्पेंसेबिल हुए तो पब्लिक इंटेरेस्ट में रखा जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि यह विभाग काम की कमी की वजह से तोड़ा जाने वाला है ? तो जब काम कम हो गया तब फिर एक अधिक आदमी की जरूरत क्यों पड़ गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मोदीनगर कालोनी का हिसाब किताब ऐडजस्ट हो रहा है । बहुत कुछ हो चुका, थोड़ा-सा बाकी है । उनको मार्च तक कंटीन्यू करके अलहदा कर दिया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

बिजली काटन प्राइवेट लिमिटेड मिल, हाथरस, के श्रमिकों और सेवायोजकों के मध्य समझौता

*१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली काटन प्राइवेट लि० मिल, हाथरस, के मालिकान पर

श्रमिकों के विवाद सं० २८।५८, ७७–५८ व १३–५९ पर श्रम न्यायालय, मेरठ तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्णयों का पालन अभी तक नहीं हुआ है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं, इस प्रतिष्ठान से संबंधित २८/५८ का कोई विवाद नहीं है। औद्योगिक न्यायाधिकरण वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश का अभिदेश सं० २। बी० ५८ तथा श्रम न्यायालय मेरठ के अभिदेश सं० ७७–५८व १३/५९ के अभिनिर्णय कार्यान्वित नहीं हुए थे। परन्तु १७–२–१९६० को श्रमिकों और सेवायोजकों के मध्य समझौता हो गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २११–२१२ पर)

*२—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिल के मालिकान प्रतिमास की १० तारीख तक मजदूरों का वेतन कभी नहीं बांटते जब कि श्रमिक न्यायालय ने शीघ्र पालन के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—किसी श्रम न्यायालय ने वेतन बांटने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। परन्तु फरवरी, अप्रैल, जून व जुलाई, १९५८ में वेतन समय से न बांटने पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के यहां चार केस दायर हुए थे जिसमें अदालत ने बकाया वेतन बांटने का हुक्म दिया और हर केस में ३० रु० जुर्माना किया। नवम्बर व दिसंबर, १९५९ का वेतन भी समय-समय से नहीं बांटा गया था जिसका भुगतान २३–१–१९६० को कराया गया।

*३—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उक्त मिल के मजदूरों में तीन महीने का बोनस न मिलने और समय पर वेतन न मिलने के कारण बड़ा असंतोष है और वहां पर कितने ही मजदूर भूख-हड़ताल कर रहे हैं तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। इस समय कोई भूख-हड़ताल नहीं चल रही है। १७–२–६० को दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतलायेंगे कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद भी मिल मालिकों ने मजदूरों की बकाया रकम की अदायगी कई वर्षों से नहीं की है और क्या सरकार इसको कार्यान्वित कराने के लिये कोई योजना बना रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस प्रकार के निर्णयों को जब मान्यता नहीं प्रदान की जाती है तो उस पर सूचना मिलने पर यह कोशिश की जाती है कि उसको जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाय।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ के ४ महीनों का वेतन क्यों रोक दिया और उसकी अदायगी अब तक क्यों नहीं हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मालिकों ने रोका था। जब अदायगी नहीं हुई तो उस पर कार्यवाही की गयी।

[१० मार्च, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४-६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---[स्थगित किये गये।]

बसों में पंखे लगाना

*७--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बसों में पंखे लगा दिये जाने के विषय में विचार करने की कृपा करेगी?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--जी हां, प्रयोग के लिये ४ बसों में पंखे लगाए गये हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन बसों में अब तक पंखा नहीं लगा है उनमें कब तक लगा दिया जायगा?

श्री धर्मदत्त वैद्य--प्रयोग के लिये ४ बसों में लगाया गया है। अभी तो यह सम्भव नहीं है कि सब में लगा दिया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---प्रयोग के लिये जिन बसों में पंखे लगे हैं वे कहां चलती हैं और उनके प्रयोग के फलस्वरूप सरकार ने क्या नतीजा निकाला है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--आगरे क्षेत्र में दो लग्जरी बसेज में और लखनऊ क्षेत्र में २ प्रथम श्रेणी की बसों में लगाये गये हैं। उनके उपयोग में कितना लाभ होता है इसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बतायेगी कि जिन बसों में ये पंखे लगे हैं उनके किरायों में भी कुछ वृद्धि की गई है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जी नहीं, कोई वृद्धि नहीं की गई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन पंखों से कितना लाभ हुआ, इसका हिसाब लगाने के लिये क्या पैमाना उन्होंने मुकर्रर किया है?

(हंसी--उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बसों में पंखे लगाने का काम आगरे की ही ओर क्यों हो रहा है?

(हंसी--उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--ये जो पंखे लगाये गये हैं ये अपर और लोअर दोनों ही क्लासेज में लगाये गये हैं या किसी एक खास क्लास में?

श्री धर्मदत्त वैद्य--यह जो लग्जरी बसेज होती हैं यह प्रथम श्रेणी की ही बसें होती हैं, उनमें लोअर क्लास होता ही नहीं।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके लोअर क्लासेज में भी इसका प्रयोग करके देखेंगे?

श्री हुकुम सिंह विसेन--कृपा करके लोअर क्लास को लग्जूरियस न बनाइये।

श्री राजनारायण--आरम्भ में जो लग्जूरियस बस चलती थीं उनका किराया अधिक था और अभी सरकार की ओर से उत्तर मिला कि किराये में कोई फर्क नहीं है तो अपर क्लास और लग्जूरियस बस के किराये का फर्क जो मिटाया गया वह कब से मिटाया गया और कब तक फर्क रहा?

श्री धर्मदत्त वैद्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

मद्य निषेध संबंधी अभियोग

*८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार २-४-५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेगी कि क्या वांछित सूचना अब उपलब्ध हो गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार जो सूचना उपलब्ध हो गई है उसको पढ़ कर सुनाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—ऐसे जिलों में सन् १९५८ में चलाये गये मुकदमों की संख्या ५३१७ है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—सरकार की सूचना को जानकर ऐसा लगता है कि वहां नशाबन्दी कानून कामयाब नहीं हो रहा है और बराबर शराब खींची जा रही है, ऐसी सूरत में क्या सरकार वहां से इस कानून को हटा लेने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—ऐसा कोई विचार नहीं है।

हैण्डीक्राफ्ट शो रूम, अमीनाबाद, लखनऊ, की जांच

*९—श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि अप्रैल सन् १९५७ में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स अमीनाबाद शो रूम की वार्षिक जांच होने पर सभी सामानों को सही रूप से स्टाक वैरीफाइंग आफिसर के समक्ष नहीं रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। स्टाक वैरीफाइंग आफिसर ने सम्बन्धित माल रजिस्टर आदि की आवश्यक जांच की थी।

*१०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार द्वारा गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के सामानों की वार्षिक जांच सही सही होने के लिये स्टाक वैरीफाइंग आफिसर्स को सम्पूर्ण सामानों की लिस्ट पहले ही वितरित कर देने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रकार की लिस्ट कम से कम कितन दिन पहले स्टाक वैरीफाइंग आफिसर्स को मिलने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टाक वेरीफिकेशन हुआ उसके फलस्वरूप स्टाक में कोई घटती या बढ़ती हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—रु० ६९४-९-४ की घटती पाई गई थी लेकिन जो छूट दी गई, उसका हिसाब लगाने के बाद ३७९-१२-३ की घटती पाई गई।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार को यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स शो रूम, अमीनाबाद की जो वार्षिक जांच होती है उसका कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व असिस्टेंट फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर आफ इन्डस्ट्रीज नं० ३ (श्री एम० सी० पांडेय) की किसी ऐसी रिपोर्ट पर गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि:—

"The above position clearly speaks itself, that absolutely a wrong position of stocks was put up before the stock-verifying officer. The state of affairs, i. e. leaving shortages and excesses within the period from 20-4-57 to 22-7-57, the date of formal handing of charge to Sri Azhar, which is still incomplete, gives weight to the mode of and creation of grounds for misappropriation."

यदि हां, तो सारा शार्टेज "दंडित भूतपूर्व असिस्टेन्ट मैनेजर, अमीनाबाद शो रूम" से न लेकर अमीनाबाद के शेष कर्मचारियों से क्यों जबरन वसूल किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो बहुत ब्योरे की बातें हैं। किसी व्यक्ति विशेष की जांच की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हो रही है, उसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो शार्टेज है उसकी जिम्मेदारी किसकी थी और उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न देखा जा रहा है। जो कमी है वह निश्चित रूप से सम्बन्धित अधिकारियों से वसूल की जायगी ।

श्री मदन पांडेय---उक्त स्टाक वेरीफिकेशन के तीन महीने बाद असिस्टेंट फाइनेंशल कंट्रोलर ने जो फिर से वैरीफिकेशन कराया उसके मुताबिक ४९२७·६८ रु० का शार्टेज हुआ, इसकी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बिल्कुल भिन्न सवाल है। सूचना चाहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को शिकायत मिली है कि कंज्यूमर्स के बिना दस्तखत कराये रसीदें थीं और उन पर कटौती मांगी गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय इसकी सूचना नहीं है।

तिब्बत भारत सीमावर्ती भागों में विकास-कार्यों को बढ़ाना

*११---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तिब्बत के साथ व्यापार व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाने के फलस्वरूप तिब्बत और भारत की सीमा पर रहने वाली जनता के लिये जो आर्थिक संकट पैदा हो गया है उसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये और भविष्य में क्या उपाय करने जा रही है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---सरकार ने इस क्षेत्र में विकास कार्यों को अधिक सघन किया है और पर्याप्त मात्रा में विकास कार्यों के लिये धन का प्रबन्ध किया है। यह आशा की जाती है कि व्यापार में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो संकट पैदा हो गये हैं। उसकी पूर्ति अधिकतर इस क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा व्यय किये गये धन से प्राप्त होने वाली बढ़ी हुई आय से हो जायगी ।

*१२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या इस सम्बन्ध में सरकार को केंद्र से कोई सहायता मिली है ? अगर हां, तो वह क्या है और कितनी ?

श्री सुल्तान आलम खां---राज्य सरकार को केन्द्र से सीमावर्ती क्षेत्र में चालू किये गये विशेष विकास कार्यों पर होने वाले व्यय का ७५ प्रतिशत अनुदान तथा २५ प्रतिशत ऋण के रूप में मिलता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये यह सहायता लगभग १ करोड़ रुपया होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जिन विकास कार्यों को सघन किया गया है क्या माननीय मंत्री जी को इनसे आय में इतनी वृद्धि की आशा है कि यह आर्थिक संकट दूर हो जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---बार्डर एरिया को उन्नत करने के लिये गैर-मामूली कोशिश की जा रही है। ७५,००० रुपये तो इस साल के बजट में इसलिये रखा गया है कि बी० डी० ओज के जरिये इन लोगों को कर्जा दिया जाय । भोटियों को तिजारत में हानि न होने के लिये सरकार कोशिश कर रही है। भेड़ों की अच्छी नस्लों की तरफ तवज्जह दी जा रही है और ऊन का स्टाक जमा किया जा रहा है । छोटी काटेज इंडस्ट्रीज, जैसे हार्टीकल्चर, एनीमल हसबेंड्री हैं, इनकी तरफ भी तवज्जह की जा रही है ताकि तिब्बत क व्यापार में जो कठिनाई हो रही है उससे उनकी हालत पर बुरा असर न पड़े ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इतनी वृद्धि आय में हो सकेगी कि उनके ऊपर आया हुआ आर्थिक संकट दूर हो जाय ?

श्री सुल्तान आलम खां--आशा तो यही है कि द्वितीय योजना में ही उनकी आर्थिक हालत सम्भाल लेंगे, लेकिन यह सिलसिला उसके बाद भी जारी रहेगा ताकि उनकी हालत पहले से भी बेहतर हो जाय।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तिब्बत के साथ व्यापार की अव्यवस्था से हमारे प्रदेश के कितने लोग प्रभावित हुये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बार्डर एरिया के ४ ब्लाक्स से ही तिजारत ज्यादा होती थी, उनके नाम हैं मुन्सियारी, धारचूला, जोशीमठ और भटवारी।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि जो उद्योग बताया उसमें तो समय लगेगा, इसलिये कैरियर ट्रेड के संगठन और बढ़ाने की दृष्टि से कदम उठाये जाने चाहिये ?

श्री सुल्तान आलम खां--९९ फीसदी लोग ऊन की तिजारत करते थे, हमने ३१,००० पौंड ऊन आस्ट्रेलिया से मंगाई है और १,००,००० रुपया अच्छी भेड़ें खरीदने के लिये इस बजट में रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--तिजारत में इन भोटिया व्यापारियों को कितने रुपये की हानि हुई है, क्या सरकार कृपया बतायेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--ऐसे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तिब्बत से किन-किन चीजों का व्यापार होता था और इस क्षेत्र को उससे कितनी आय होती थी ?

श्री सुल्तान आलम खां--खास तौर से ऊन का व्यापार था। आय के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पहले वहां के लिये ९० लाख रुपया और फिर ३६ लाख रुपया लैप्स हो गया ? यदि हां, तो मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि अब रुपया लैप्स न हो ?

श्री सुल्तान आलम खां--पहाड़ पर मैटीरियल पहुंचाने में कठिनाई के कारण रुपया बच कर लैप्स हो जाता है। लेकिन जिस रुपये का मैंने जिक्र किया है इसके लैप्स होने का कोई सवाल नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इंडो-तिब्बत बार्डर एरिया लेजिस्लेटर्स एसोसियेशन के मंत्री का खत है, जिसकी नकल पंडित जवाहर लाल नेहरू को भेजी गई थी, जिसमें था कि ४०,००० भोटियों पर असर पड़ा है और जो खेती करना चाहते हैं उन्हें तराई भावर में बसा दिया जाय ? यदि हां, तो इस २ महीने पहले दिये खत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--खत के कंटेन्ट्स तक हमारे मित्र को मालूम हैं, इसलिये उनको हमसे ज्यादा इत्तला है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री इस समय हमारे प्रदेश व तिब्बत के व्यापार की पोजीशन बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय झारखंडेराय जी को ज्यादा इत्तला होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री इसकी व्यवस्था करेंगे कि तिब्बत की सीमा के व्यापारियों की कोआपरेटिव बनायी जाये और उनको व्यापार के लिये अनुदान दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हर प्रकार से प्रयास किया जायगा।

*१३--**श्री प्रतापसिंह**--[हटा दिया गया।]

*१४-१५--**श्री प्रताप सिंह**--[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मथुरा संग्रहालय में महात्मा गौतम बुद्ध की बहुमूल्य मूर्ति

*१६--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि मथुरा के अजायबघर में महात्मा गौतम बुद्ध की एक मूर्ति की कीमत एक अमरीकन ने ५,००,००० डालर लगायी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मूर्ति की कीमत पांच लाख नहीं, किन्तु ५० लाख लगाई गई थी।

*१७--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मूर्ति सरकार ने क्यों नहीं बेची ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--संग्रहालय में रखी हुई वस्तुयें बिक्री के लिये नहीं होतीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि संग्रहालय में जब मूर्ति बेचने के लिये नहीं रखी जाती है तो फिर मूर्ति की कीमत लगायी कैसे गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अमेरिका टैक्साज की आयल फर्म का एक मालिक संग्रहालय देखने आया था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि यदि आप इस मूर्ति को दे सकें तो इसके लिए ५० लाख डालर दिये जा सकते हैं। इस संग्रहालय के अधिकारियों ने उनसे कहा कि संग्रहालय में रखी हुई चीजें बेचने के लिये नहीं होतीं।

श्री झारखण्डेराय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह मूर्ति किस चीज की बनी है और उसके कितने दाम लगाये गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वह सोने की नहीं है, केवल लाल पत्थर की है।

ड्राइवरों व कण्डक्टरों के लिए बस-स्टेशनों पर विश्राम-गृह न होना

*१८--**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज कन्डक्टर व ड्राइवर जो रात को स्टेशनों पर रहते हैं उनके ठहरने, सोने और रहने के लिये कोई मकान रहता है ? यदि नहीं, तो वे कहां सोते हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--कुछ मुख्य स्टेशनों पर रोडवेज कंडक्टर व ड्राइवर के लिये विश्राम गृह बने हुये हैं। अन्य स्टेशनों पर उनके ठरहने के लिये अस्थायी प्रबन्ध कर दिया गया है। जहां पर अभी उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है वहां वे अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह स्वयं प्रबन्ध करते हैं।

*१९—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय कितने A. T. I. ऐसे हैं जो कन्डक्टरों को प्रोमोशन देकर नियुक्त किये गये हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—तीन ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां कोई व्यवस्था रहने की नहीं की गयी है तो क्या वहां पर उनको कोई मकान का किराया दिया जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—रात्रि के निवास का कंडक्टरों और ड्राइवर्स को एलाउन्स दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं दिया जाता ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जहां मकान की व्यवस्था नहीं है वहां ठहरने का जो एलाउन्स दिया जाता है, वह कितना है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—ड्राइवरों के लिये १ रुपया और कंडक्टरों के लिये १२ आना।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि सन् ५० के बाद ऐसे भी कंडक्टर्स को प्रमोट कर ए० टी० आई० बना दिया गया है जो सीनियारिटी में बहुत पीछे थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं। ऐसा है, श्रीमन्, कि पहले सन् ५० में ऐसे आदेश हुए कि कुछ कन्डक्टर्स को ए० टी० आई० के पद पर पदोन्नति दे दी जाय। फिर उस आदेश में परिवर्तन कर दिया गया। अब ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से कंडक्टर्स में से ए० टी० आई० बनाये जायं और कितने फीसदी बनाये जायं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके विभाग का लक्ष्य क्या है कि हर स्टेशन पर ऐसी व्यवस्था की जाय जहां कंडक्टर्स और ड्राइवर्स ठहर सकें और उनको अन्य जगहों पर न जाना पड़े ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां, लक्ष्य यह है कि कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के विश्रामगृहों की सब जगह व्यवस्था हो जाय। मुख्य-मुख्य स्थानों पर तो विश्रामगृह बने हुए हैं लेकिन प्रयास यह हो रहा है कि उनको और स्थानों में भी बढ़ाया जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह एलाउन्स जो दिया जाता है वह उनके खाने के लिये दिया जाता है या उनको मकान न देने के कारण दिया जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—रात्रि निवास के लिये हाल्टिंग एलाउंस दिया जाता है।

*२०–२१—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)— २ मार्च, १९६० को प्रश्न ३४–३५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

आजमगढ़ तथा बलिया की गन्ना सोसाइटियों का फालतू गन्ना

*२२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विल्थरा रोड एवं किड़िहड़ापुर रेलवे स्टेशन पर आजमगढ़ तथा बलिया की गन्ना सोसाइटियों से गत सीजन वर्ष १९५८–५९ में अलग-अलग कितना-कितना मन गन्ना दिया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१९५८-५९ सीजन में जिला आजमगढ़ तथा बलिया की गन्ना सोसाइटियों ने बिल्थरा रोड एवं किड़िहड़ापुर रेल सेंटर्स पर अलग अलग जितना मन गन्ना दिया था उसका विवरण इस प्रकार है :

केन यूनियन का नाम		केन्द्र का नाम व सप्लाई किये गये गन्ने की मात्रा	
		बिल्थरारोड मन	किड़िहड़ापुर मन
१---बिल्थरारोड यूनियन (बलिया)	..	६२,७२६	२९,७९९
२---कमल सागर भंडार (आजमगढ़)	..	४३,०५८	१०,०१०

*२३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ तथा बलिया की गन्ना सोसाइटी ने इस वर्ष भटनी मिल को गन्ना देने का आफर अलग-अलग कितने मन गन्ने का दिया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वर्तमान सीजन में जिला आजमगढ़ तथा बलिया की गन्ना सोसाइटियों ने भटनी मिल को गन्ना देने का आफर अलग-अलग जितने मन का दिया है उसका विवरण इस प्रकार है :

केन यूनियन का नाम		केन्द्र का नाम व आफर किये गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	
		बिल्थरारोड	किड़िहड़ापुर
१---बिल्थरारोड (बलिया)	..	२.५०	२.५०
२---कमल सागर (आजमगढ़)	..	२.३७	१.५७

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन केन सोसाइटीज ने जो भटनी मिल को आफर दिया है, उस आफर के मुताबिक उनको वैगन्स दिये गये हैं कि नहीं दिये गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वैगन्स की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि जो इन्होंने आफर दिया है उसके अनुसार ही शायद ये गन्ना दे रहे हैं।

श्री उग्रसेन---इस बात को देखते हुए कि जितना गन्ना देने के लिये उन सोसाइटियों ने आफर दिया है उतना गन्ना मिल द्वारा लेने के बाद भी अभी उनका बहुत गन्ना फालतू बच जायगा, क्या माननीय मंत्री जी उस गन्ने को दूसरी मिलों को दिलाने की कृपा करेंगे ताकि उनका सब गन्ना ले लिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसी सम्भावना मालूम नहीं होती, क्योंकि पहले रेलवे साइडिंग छोटी थी जिसे अब बड़ा कर दिया गया है इसलिये इसकी कोई सम्भावना इस समय तो नहीं मालूम होती।

श्री रामसुन्दर पांडेय---आफर स्वीकार हो जाने के बाद भी जो मिलें उस आफर के मुताबिक गन्ना नहीं लेंगी, तो क्या माननीय मंत्री जी गन्ना सूख जाने के बाद उन मिल मालिकों से उसका नुकसान दिलाने का प्राविजन करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसी कोई सम्भावना कम से कम इस समय तो मालूम नहीं होती है। अब आगे के लिये इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि उस समय हम क्या करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सोसाइटियों का जितना सट्टा शुरू में हुआ था उसके अनुपात से अब तक कितना गन्ना क्रशिंग के लिये मिलों में सप्लाई हो चुका और कितना अभी बाकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

*२४-२६---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

चीनी मिलों में गन्ने की खपत तथा चीनी का स्टाक

*२७---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सभी चीनी मिलों ने अलग-अलग कुल कितना गन्ना पिछले सीजन में पेरा और इसमें कितना गन्ना बाहरी जोन का था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१९५८-५९ सीजन में इस प्रदेश की सभी चीनी मिलों ने अलग-अलग जितना गन्ना पेरा तथा इसमें जितना गन्ना बाहरी जोन का था उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१३-२१४ पर)

*२८---श्री अमरनाथ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के अलग-अलग चीनी मिलों के पास वर्तमान समय में कितने-कितने मन चीनी मौजूद है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से संबंधित है अतएव अल्प समय में राज्य सरकार द्वारा इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

श्री अमरनाथ---जो यह सूचना दी गयी है उसको देखने से यह पता चलता है कि बाहरी जोन का गन्ना इसके अन्दर नहीं दिखलाया गया है, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके अन्दर बाहरी जोन का गन्ना कितना था और किस रेट से रेल पर अथवा गेट पर खरीदा गया और कांटे पर कितना गन्ना लिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, ३ प्रश्न एक साथ हो गये, जहां तक यह बाहरी जोन का सम्बन्ध है इसमें रेल केन दिखाया है, इसका अर्थ है कि स्टेशन पर जो केन आया वही लिया गया और जो स्टेशन पर लिया गया वह बाहरी जोन का है। रेट्स के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री अमरनाथ---श्रीमन्, बाहरी जोन का कुल कितना आया इसकी सूचना नहीं मिली ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---रेल गेट वाला बाहरी जोन का है, उसके जो अन्तिम आंकड़े हैं वह दिये हुये हैं, जो उसका योग है वह भी दिया हुआ है और मैं क्या बता सकता हूं।

गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों में नियोजन विभाग के पुराने कर्मचारी

*२९---श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों के नियोजन विभाग में कुल कितने अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर तीन वर्षों से ज्यादा से पड़े हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—तीन सौ चार।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सूचना में दिया गया है इसमें कितने ५ साल से अधिक के कर्मचारी हैं और साथ ही क्यों उनका तबादला अभी तक नहीं किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह जो ३०४ की बात है इसमें से सिर्फ एक बी० डी० ओ० कैप्टेनगंज, देवरिया के ऐसे हैं जो वहां ५ साल से अधिक से हैं और क्योंकि उन्होंने वहां गैर-मामूली तौर पर अच्छा काम किया इसलिये उन को वहां अपना काम जारी रखने का और बेहतर काम करने का मौका दिया गया।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा प्रश्न ३०-३२ के उत्तर पढ़ने के लिये कहा गया।)

श्री शिवप्रसाद नागर—व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस प्रश्न का उत्तर मांगा गया था वह उत्तर नहीं मिला और उत्तर मिलने के पहले ही आप ने दूसरा नाम पुकार दिया, तो प्रश्न का उत्तर तो मिलना आवश्यक ही था। पूछा गया था कि तबादला क्यों नहीं किया गया, इसका कोई उत्तर नहीं मिला कि ३ साल के बाद क्यों रखा गया ?

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—अधिष्ठाता महोदय, सवालों के बीच में इन व्यवस्था के प्रश्नों पर जो हमारा समय नष्ट होता है इसको आप रोकें।

लखनऊ में श्रमिक बस्ती के क्वार्टरों का किराया

*३०—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ की श्रमिक बस्ती में रहने वाले ऐसे allottees (जो सरकारी संस्थानों में काम करते हैं) के १९५९ के उत्तरार्द्ध में किराया बढ़ाये जाने की नोटिस के उत्तर प्राप्त हुये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

*३१—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन उत्तरों के फलस्वरूप इन allottees से पुरानी दर पर ही मासिक किराया जमा किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिन किरायेदारों ने नोटिस पर आपत्ति की है या जिन्होंने नोटिस का उत्तर नहीं दिया है, उन से फिलहाल पुरानी दर पर ही किराया लिया जा रहा है।

*३२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ की श्रमिक बस्तियों में कितने क्वार्टर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के नाम allot हैं और कितने क्वार्टर गैर-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाल श्रमिकों के नाम allot हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—लखनऊ की श्रमिक बस्तियों में ३३१ क्वार्टर सरकारी संस्थानों (Government factories) में काम करने वाले श्रमिकों के नाम तथा ४९१ क्वार्टर गैर सरकारी संस्थाओं (private factories) में काम करने वाले श्रमिकों के नाम एलाट हैं।

श्री गोविन्द सिंहविष्ट—क्या यह सही है कि यह श्रमिक बस्ती मिलों से बहुत दूर बनी हैं इसलिये श्रमिक लोग नहीं रहे और खाली थीं इसलिये बाहर वालों को बसाना पड़ा ? यदि हां, तो कितने क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनमें श्रमिक नहीं रहते ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह बात सही नहीं है, इसलिये दूसरा हिस्सा उठता नहीं।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—जो नोटिस दिये गये हैं क्या उनको वापस लेने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, उन उत्तरों को देखा जा रहा है।

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित तेरहवें सोमवार के लिये प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सकरार में ताड़गुड़ सहकारी समिति का निर्माण

*३४—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला झांसी के सकरार गांव में ताड़-गुड़ सहकारी समिति का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो समिति में कितने गुड़ का माहवारी उत्पादन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—(क) जी हां ।

(ख) समिति ने अभी तक ३ मन गुड़ बनाया है ।

*३५—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस ताड़-गुड़ सहकारी समिति को कितना कर्जा एवं अनुदान दिया गया है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उक्त समिति को राज्य ताड़-गुड़ सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा ८०० रुपये का अनुदान दिया गया है ।

श्री गज्जूराम—उक्त समिति के सदस्य और पदाधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसकी सूचना इस समय नहीं है ।

श्री मदन पांडेय—उस समिति के द्वारा यह तीन मन गुड़ कितने दिनों में तैयार किया गया है, यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नवम्बर, १९५९ में यह सकरार में समिति बनी है और दिसम्बर, १९५९, में कार्य करना प्रारम्भ किया है । अभी तो बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए । अभी जो टैपर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी समाप्त नहीं हुई है, इसलिये इस बीच में जो कार्य हुआ वही है । इसके अलावा १८ मन नीरा भी उत्पादन किया है । उसका समय पर गुड़ बन सकेगा, ऐसी आशा है ।

श्री गज्जूराम—उक्त समिति में गुड़ बनाने में सरकार के कितने कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार का तो कोई कर्मचारी या अधिकारी काम नहीं कर रहा है, केवल कुछ टैपर्स के प्रशिक्षण का प्रश्न है । जो गुड़ सहकारी संघ है उसकी ओर से कुछ ट्रेनिंग दी जाती है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—जो यह समिति का निर्माण हुआ है इसके बारे में सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि यह व्यक्ति अक्सर ऐसी समितियां बनाकर सरकार से काफी रुपया ले लेता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे इल्म में तो नहीं है । अगर वह कहते हैं तो इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या उक्त समिति के एक पदाधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी लक्ष्मी व्यायामशाला, झांसी के प्रति गबन आदि की रिपोर्ट आडीटर ने की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब सरकार ने समिति को ८०० रु० का अनुदान दिया तो इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी से जांच-पड़ताल कराई थी कि जो व्यक्ति समिति बना रहे हैं वह विश्वसनीय हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह रुपया दिया गया है, उसके पूर्व जो आवश्यक जांच थी वह जरूर की गई थी ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—समिति को अनुदान देने की क्या व्यवस्था है ? अनुदान की धनराशि निर्धारित करने के लिये क्या-क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं तो पूरी बात समझा नहीं, अगर तात्पर्य यह है कि अनुदान देते समय किन बातों को सोचते हैं तो मोटी-सी बात यह है कि जो योजना है ताड़-गुड़ बनाने की उसके अन्तर्गत जो सोसाइटीज कार्य करना चाहती हैं उनके प्रार्थना-पत्र आते हैं, फिर देखा जाता है कि कहां तक ठीक है, फिर उसके बाद अनुदान दिया जाता है ।

*३६-३८—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[स्थगित किये गये ।]

*३९-४०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

नरेन्द्रनगर में टेक्निकल स्कूल खोलने की प्रार्थना

*४१—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार टिहरी-गढ़वाल के नरेन्द्रनगर नामक स्थान में एक टेक्निकल हाई स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय टिहरी-गढ़वाल जिले के टिहरी नामक स्थान में एक सरकारी प्राविधिक संस्था है जहां पर अन्यान्य विषयों को पढ़ाने के अतिरिक्त बुनाई तथा काष्ठकला में हाई स्कूल (टेक्निकल) सार्टिफिकेट स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है । टिहरी की संस्था से फिलहाल टिहरी-गढ़वाल जिले की समस्त हिस्सों को लाभ पहुंच रहा है । अतः नरेन्द्रनगर में कोई दूसरा टेक्निकल हाई स्कूल खोलने का सम्प्रति प्रयोजन नहीं है ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—मैंने पोलीटेक्निक के लिये प्रश्न नहीं किया था, बल्कि किया था टेक्निकल हाई स्कूल के लिये, लेकिन उत्तर मिला है पोलीटेक्निक के संबंध में ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अब टेक्निकल हाई स्कूल की कोई दूसरी योजना हो उसकी इस समय तो मेरे पास सूचना नहीं है । लेकिन जो पोलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट टिहरी में है उसका जिक्र किया है ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मानेंगे और वहां टेक्निकल हाई स्कूल खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका उत्तर तो मैंने प्रश्न में भी दिया है कि क्योंकि पोली-टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इसलिये हाई स्कूल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है । तृतीय पंच-वर्षीय योजना में इसको आगे बढ़ाने की योजना है जिससे सारे क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा ।

बुन्देलखण्ड में उद्योग चलाने की प्रार्थना

*४२—श्री गज्जूराम—क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार बुन्देलखंड को पिछड़ा हुआ खंड मानकर सरकार वहां वृहत् स्तर पर किसी उद्योग के चलाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर एवं कौन-कौन से उद्योग ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उद्योग संबंधी तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी निश्चित नहीं हुई है ।

श्री गज्जूराम—तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय बुन्देलखंड का सरकार विशेष-कर ध्यान रक्खेगी जिससे वहां की बेकारी दूर हो सके ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सही बात है सभी क्षेत्रों का अपेक्षाकृत जैसी आवश्यकता होगी ध्यान रक्खा जायगा ।

विकास कार्यों पर जिलेवार व्यय

*४३--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तथा ३१ दिसम्बर, १९५९ तक दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने प्रत्येक जिले में कितना-कितना रुपया विकास कार्य में खर्च करने के लिये दिया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों के लिये दिये गये धन की कोई जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त--मंत्री जी १५ दिन के अन्दर हर जिले से संख्यावार सूचना एकत्रित करके बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--मंत्री जी ने कहा, उपलब्ध ही नहीं है ? जिससे मालूम होता है सम्भव ही नहीं हो सकता ।

श्री सुल्तान आलम खां--इसलिये मुमकिन नहीं हो सकता कि हमारे यहां प्लान में जिलेवार अलोकेशन नहीं होता है और खासतौर पर पहली प्लान में डिस्ट्रिक्ट प्लान भी अलहदा नहीं बनाई गई थी और प्लान का खर्चा मुख्तलिफ मुहकमों में बांट दिया जाता है । अगर सब जगह से इसकी सूचना मंगाई जाय तो बहुत बड़ा काम हो जायगा और उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना कि जवाब के देने में जरूरत होती है ।

तहसीलदारों व डिप्टी कलेक्टरों की पदोन्नति

*४४--श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी सन् १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक कितने व्यक्ति तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बनाये गये और उनमें से क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--कुल ३० बनाये गये जिनमें कोई भी परिगणित अथवा पिछड़े वर्ग का न था ।

*४५--श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५६ से जनवरी, १९५८ तक कितने डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनाये गये और उनमें से क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--४४ डिप्टी कलेक्टर स्थानापन्न या स्थायी पदोन्नत किये गये । इनमें कोई भी परिगणित अथवा पिछड़े वर्ग के न थे ।

*४६-४७--श्री शिवप्रसाद नागर--[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८-४९--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--[२१ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ७६-७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५०--श्री गौरीराम गुप्त--[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५१-५२--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*५३--श्री उग्रसेन--[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले के कुछ स्थानों पर भारी उद्योग चालू करने की प्रार्थना

*५४—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री कृपया बरहज-तमकुही रोड, नौतनवां, बढ़नी तथा नौगढ़ आदि नगरों में जूट, कागज तथा रोलिंग मिल चालू करने की योजनाओं पर विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यदि कोई साहसी enterpreneur इन स्थानों पर कोई मिल खोलने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने के हेतु प्रार्थना-पत्र देगा तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने इस किस्म की कोई योजना बनाई है कि इन उद्योगों की सम्भावना है, उसका कोई सर्वेक्षण इन जिलों के लिये करवाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, कराया है । हैवी इंडस्ट्रीज प्लान कमेटी इस समय प्रदेश में काम कर रही है और उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है उसमें गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आदि पूर्वी जिलों में किन-किन विशेष उद्योगों की स्थापना के लिये सुझाव दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी पूरी सूचना मैं नहीं दे सकूंगा, लेकिन जहां तक जूट का प्रश्न है जो हैवी इंडस्ट्रीज कमेटी ने इस सम्बन्ध में विचार किया उसके अनुसार जूट की कोई मिल वहां खोलना उपयुक्त नहीं होगा और न शायद संभव होगा और इसी प्रकार से यह रोलिंग मिल का प्रश्न है, उसके बारे में भी यही सम्मति है ।

*५५-५७—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*५८—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर की कुछ मिलों में अभिनवीकरण

*५९—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या एलगिन मिल, कानपुर ने बिना सरकार की अनुमति लिये ७० फीसदी तक अभिनवीकरण कर लिया है ? तथा कानपुर की और मिलों ने भी ३० फीसदी से ७० फीसदी तक अभिनवीकरण कर दिया है यदि हां, तो सरकार ने उन मिलों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही अब तक की है तथा कानपुर की और मिलों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने ३० फीसदी से ७ फीसदी तक अभिनवीकरण कर लिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सही नहीं है कि एलगिन मिल में ७० प्रतिशत अभिनवीकरण हुआ है किन्तु दो और मिलों ने ३० प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक अभिनवीकरण किया है । इन मिलों के नाम इस प्रकार हैं :

(१) कानपुर टेक्सटाइल्स लि० ।

(२) एथर्टन वेस्ट कम्पनी लि० ।

इन मिलों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—कानपुर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड और एथर्टन वेस्ट मिल कम्पनी लिमिटेड ने जो ३० से ७० फीसदी अभिनवीकरण किया तो बिन्दबासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पहले उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट से इसके लिये पर्मिशन ली और यदि हां, तो फिर सरकार ने छटनी किये हुए मजदूरों के लिये फिर से एम्पलाइमेंट देने के लिये क्या व्यवस्था की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जहां तक अभिनवीकरण का प्रश्न है बिन्दबासिनी प्रसाद कमेटी ने यह रिपोर्ट की कि हड़ताल के दौरान में किये गये अभिनवीकरण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । जहां तक मजदूरों के पुनर्वास का प्रश्न है, मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है कि किसी मजदूर ने इसके लिये आवेदन-पत्र दिया या नहीं दिया और यदि दिया होगा तो उस पर अवश्य कार्यवाही की होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कानपुर टेक्सटाइल मिल तथा एथर्टन वेस्ट मिल में अभिनवीकरण किया गया और वहां इसके फलस्वरूप मजदूरों में कुछ छटनी भी की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है ।

श्री ऊदल—जैसा कि माननीय मंत्री ने बतलाया कि एलगिन मिल ने ७० प्रतिशत तक अभिनवीकरण नहीं किया है तो फिर कितने प्रतिशत किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एलगिन मिल में १९ फीसदी हड़ताल के दौरान में और १६ फीसदी हड़ताल के बाद अभिनवीकरण किया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस कार्यवाही का जिक्र माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में किया है वह कार्यवाही क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसमें उत्तर यह है कि कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं नहीं समझा कि किस उत्तर से आपका तात्पर्य है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—बिन्दवासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट जो अब तक लागू नहीं की गई है और उसे लागू करने के निश्चय को देखते हुये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कल निर्णय किया है, क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि अब उस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बिन्दबासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट के बारे में निवेदन किया था कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि हड़ताल के दौरान में जो अभिनवीकरण हुआ है उसके बारे में कोई कार्यवाही न की जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—सरकार अभिनवीकरण का क्या अर्थ समझती है और जो यह बतलाया गया सरकार की ओर से कि हड़ताल के बाद १६ फीसदी अभिनवीकरण किया गया तो इसका तात्पर्य १६ फीसदी छटनी से है या अभिनवीकरण का जो सही अर्थ है उससे सम्बन्धित है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभिनवीकरण का वही अर्थ सरकार समझती है जो कि माननीय राजनारायण जी समझते हैं, उस अर्थ के समझने में कोई गलती नहीं है । केवल प्रश्न इतना है कि अभिनवीकरण के सम्बन्ध में कितनी कार्यवाही यह सरकार कर सकती है या करेगी, वही विचाराधीन है ।

*६०—श्री गयाप्रसाद—[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न २३१ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*६१—श्री उग्रसेन—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

इन्दारा में चीनी मिल की आवश्यकता

*६२—श्री झारखंडेराय तथा श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इंदारा (आजमगढ़) में चीनी मिल खोले जाने का अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

*६३--श्री झारखंडे राय तथा श्री चन्द्रजीत यादव-यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय--क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इन्दारा में चीनी मिल खोले जाने के सिलसिले में कोई भी कार्यवाही अब तक हुई है ? यदि हुई है तो क्या ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके सम्बन्ध में विचार विनिमय हुआ है और इन्दारा के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसा प्रश्न सरकार के सामने है कि वह भी एक स्थान हो सकता है जहां पर इस प्रकार की मिल खोली जाय । इस पर विचार हो रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन्दारा में जो एक मिल खोलने का सरकार का इरादा है और जिस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल भी हो रही है, क्या यह सही है कि वह मिल सरकारी आधार पर खुलने जा रही है और लगभग ११ लाख रुपये की लागत से वह खुलेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सरकारी आधार का प्रश्न नहीं है, केवल कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी का प्रश्न है । अब उसमें कितनी लागत लगेगी, उसके इस समय मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं ।

वहा एवं सुखनी नालों पर पुल बनाने की सिफारिश

*६४--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि जिलाधीश खीरी ने धौरहरा कलां ब्लाक जिला खीरी में स्थित वहां एवं सुखनी नालों पर पुल निर्माण के हेतु डेवलपमेंट कमिश्नर महोदय को सरकारी सहायता के लिये लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । निर्धारित मात्रा में जनता का अनुदान उपलब्ध न होने के कारण सरकारी सहायता प्रदान करने में असमर्थता प्रकट की गई है ।

प्लास्टिक ट्रेनिंग सेण्टर, इटावा के परिगणित जातीय छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

*६५--श्री सुखलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्लास्टिक ट्रेनिंग सेंटर, इटावा में इस समय कुल कितने छात्र ट्रेनिंग पा रहे हैं ? इनमें से कितने छात्र परिगणित जाति के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९ ।

इनमें ४ छात्र परिगणित जाति के हैं ।

*६६--श्री सुखलाल (अनुपस्थित)--क्या इन सबको छात्र-वृत्तियां मिल रही हैं ? क्या यह सही है कि इनको (परिगणित जातीय और दूसरे छात्रों) अलग-अलग विभागों से छात्र-वृत्तियां मिल रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । यह संयोग की बात है कि उपरोक्त केन्द्र में परिगणित जाति के छात्रों को हरिजन सहायक विभाग द्वारा छात्र-वृत्तियां मिल रही हैं और दूसरे छात्रों को उद्योग विभाग द्वारा । कारण यह है कि परिगणित जाति के छात्र हरिजन कल्याण विभाग की सिफारिश पर केन्द्र में दाखिल किये गये थे उस समय जब कि केन्द्र की छात्र-वृत्तियों की निर्धारित संख्या पूरी हो चुकी थी ।

*६७--श्री सुखलाल (अनुपस्थित)--क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त परिगणित जातीय छात्रों को जनवरी के अन्त तक इस वर्ष छात्र-वृत्ति अदा नहीं हो सकी है जब कि दूसरे छात्रों को प्रत्येक मास की छात्रवृत्ति हर मास नियमित रूप से प्राप्त हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। हरिजन कल्याण विभाग के स्वीकृति पत्र में विलम्ब होने के कारण इन छात्रों को छात्रवृत्ति जनवरी के अन्त तक न दी जा सकी। आवश्यक स्वीकृति अब प्राप्त हो गई है अतः इनकी छात्रवृत्तियां नियमित रूप से मिला करेंगी।

गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के विद्यार्थियों की शिकायत

*६८—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके पास कोई शिकायत जनवरी, सन् १९६० या फरवरी, १९६० के प्रथम सप्ताह में गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्य-क्रम की शिक्षा न देने के सम्बन्ध में आई है? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर किया है

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें पाठ्य-क्रम को न पढ़ाने की थीं और विद्यार्थियों को उतने दिन तक पाठ्य-क्रम नहीं पढ़ाया जा सका जिससे परीक्षा पर प्रभाव पड़ा उसके लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया जिससे विद्यार्थियों में उतनी योग्यता आ जाय और उनको परीक्षा के लिये समय मिल जाय?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार की राय में कोई प्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई नहीं हो सकी इसका कारण क्या था, क्या उसके लिये प्रोफेसर नहीं था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कहा यह जाता था कि जितना पढ़ाया जाना चाहिये था उतना नहीं पढ़ाया जा सका और जो शिकायत आयी थी वह भी इसी प्रकार की थी। तो उसके लिये प्रबन्ध कर दिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या जो सरकार ने प्रबन्ध किया है उसमें विद्यार्थियों को जितने घंटे निर्धारित हैं उससे ज्यादा घंटे पढ़ाने की बात की गयी है या कोई दूसरा प्रबन्ध किया गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रबन्ध यह किया गया है कि परीक्षा के लिये जितना आवश्यक है उतना पढ़ा दिया जाय।

आयल मिल्स एसोसिएशन का स्मृति-पत्र

*६९—श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि कानपुर में गत ८ फरवरी, १९६० को आयल मिलर्स एसोसियेशन की ओर से उद्योग उप-मन्त्री, श्री बहुगुणा को प्रदेश की तेल मिलों की दिक्कतों के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्मृति-पत्र में की गई मांगें तथा उनके प्रति सरकारी दृष्टिकोण सदन के सम्मुख रखेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यू० पी० आयल मिलर्स एसोसियेशन की ओर से एक स्मृति-पत्र दिनांक १६ फरवरी, १९६० को प्राप्त हुआ है जिसमें एसोसिएशन ने अपनी कठिनाइयों का विवरण दिया है, जिसकी सूची संलग्न है। यह स्मृति-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१५ पर)

श्री मदन पांडेय—संलग्न सूची में ७ वीं मांग श्रम कानून लिखा हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्रम कानून के सम्बन्ध में मालिकों की तरफ़ से क्या मांग की गयी है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- वह तो एक लम्बी-सी चीज है, अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ूं ? लेकिन श्रम कानून के सम्बन्ध में मोटे तौर पर यह मांग की गयी है कि इसमें इस प्रकार के परिवर्तन किये जायं कि जिससे मिलिंग के कारोबार को लाभ हो सके।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मांग मालिकों की है इस सम्बन्ध में वहां के श्रमिकों से भी जांच करेंगे जिनका यह कहना है, जहां तक मेरी सूचना है, कि मालिक श्रम कानून के अनुसार जो सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह नहीं देते ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जब इस पर विचार किया जायगा तो जो श्रमिक लोग हैं उनके दृष्टिकोण पर भी विचार किया जायगा ।

*७०-७२---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कुदौरा, कुठौंद एवं रामपुरा विकास खंडों का व्यय

*७३---**राजा वीरेन्द्र शाह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खंड, कुदौरा, जिला जालौन में सन् १९५९ में क्या-क्या विकास हुये, कितना रुपया इस खंड को दिया गया, उसमें से कितना किस-किस मद में खर्च हुआ और कितना खर्च न हो सका तथा किन कारणों से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना संलग्न सूची (क) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१६-२१८ पर)

*७४---**राजा वीरेन्द्रशाह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खंड, कुठौंद जिला जालौन में सन् १९५९ में क्या-क्या मुख्य विकास के कार्य हुये, कितना रुपया इस खंड को दिया गया, उसमें से कितना इस क्षेत्र में लगा और कितना बच गया ? जो रुपया नहीं लग सका वह किन कारणों से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना संलग्न सूची (ख) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २१९ पर)

*७५---**राजा वीरेन्द्रशाह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खंड रामपुरा, जिला जालौन में जब से यह खंड शुरू हुआ तब से १९५९ तक कितना रुपया मंजूर हुआ, उसमें से किन कामों में कितना रुपया लगा और कितना बच गया, तथा क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना संलग्न सूची (ग) में दी हुई है

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२० पर)

असरकारी प्रतिनिधियों, ग्राम एवं ब्लाक नेताओं के लिये प्रशिक्षण योजना

*७६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास सामुदायिक विकास प्रशासन तथा नियोजन विभाग, भारत सरकार की ओर से गैर-सरकारी प्रतिनिधियों तथा ग्राम एवं ब्लाक नेताओं आदि को प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में कोई योजना आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के मुख्य-मुख्य तथ्य सदन को बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। तथ्यों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २२१-२२२ पर)

नोट:---तारांकित प्रश्न ६९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*७७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त योजना को परिचालित करने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--योजना के अन्तर्गत जो उप-योजनायें हैं वे सभी भिन्न-भिन्न तिथियों से चालू की जा चुकी हैं। सूची देखें।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २२१-२२२ पर।)

घोसी-मझवारा सड़क पर बस सर्विस न होना

*७८--श्री झारखंडेराय--क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि घोसी से मझवारा (जिला आजमगढ़) जाने वाली पक्की सड़क पर कब तक रोडवेज बस चलाने का सरकार का विचार है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--यह प्रश्न विचाराधीन है।

*७९--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)--[हटा दिया गया।]

टीकरी में सट्टेबाजों की गिरफ्तारियां

*८०--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत १२ जनवरी को मेरठ के एस० पी० ने टीकरी ग्राम में सट्टा खेलने के आरोप में गिरफ्तारी कर के और गिरफ्तार व्यक्तियों के मुंह काले करके पहले तो उन्हें गधों पर चढ़ाकर जलूस निकाला, फिर सरेआम जूतों और बेंतों से पीटा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गत १२ जनवरी को टीकरी ग्राम में सट्टा खेलने के आरोप में गिरफ्तारियां अवश्य हुईं, किन्तु लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं है।

*८१--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो पूर्वोक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई व बाजपुर चीनी मिलों की रिकवरी

*८२--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीजन १९५९-६० में प्रदेश की चलने वाली गन्ने की मिलों को सेस में कितनी छूट किस आधार पर दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ नहीं।

*८३--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० में प्रदेश में गन्ने की मिलों में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में शुगर की recovery क्या रही तथा लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई की recovery और बाजपुर Co-operative Factory की recovery उपरोक्त महीनों में अलग-अलग क्या रही ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वर्तमान सीजन में इस प्रदेश में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी (७-२-६० तक) में चीनी मिलों की सामूहिक शुगर की रिकवरी तथा हरदोई व बाजपुर चीनी मिल की उक्त महीनों में जो रिकवरी रही, उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २२३ पर।)

भटनी छाया क्षेत्र

*८४--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में भटनी छाया क्षेत्र जो सन् १९५९ में प्रगाढ़ क्षेत्र घोषित होने वाला था, उसे प्रगाढ़ क्षेत्र बनाना क्यों स्थगित कर दिया गया, इस छाया क्षेत्र को अब किस वर्ष में प्रगाढ़ क्षेत्र घोषित किया जायगा तथा प्रथम सोपान में कब परिणत होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- देश भर में सामुदायिक विकास योजना धीमी हो जाने (staggering) तथा ब्लाकों को खोलने के नियमों में परिवर्तन हो जाने के कारण, देवरिया जिले के भटनी छाया क्षेत्र को पूर्व-प्रगाढ़ क्षेत्र (pre-extension block) घोषित करना अभी संभव नहीं हो पाया है। इस समय यह बतलाना भी संभव नहीं है कि उपरोक्त क्षेत्र कब पूर्व-प्रगाढ़ क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा अथवा प्रथम सोपान में वह कब परिवर्तित होगा।

झांसी--माताटीला बस सर्विस

*८५---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में झांसी से (सुकुवां-ढुकुवां, विधी, हसार होकर) माताटीला के लिये व्यक्तिगत, कितनी बसें (लारियां) चलती हैं और उनके चलने का प्रतिदिन का समय क्या है ?

डाक्टर सीताराम---झांसी से माताटीला, सुकुवां, ढुकुवां, विधी, हसार होकर चार गाड़ियां चलती हैं। इस मार्ग की तथा झांसी माताटीला वाया बरौरा मार्ग की सम्मिलित समय-सारिणी है जो संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २२४ पर)

*८६--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--[आठवें बुधवार के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८७-८८--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)-- [२२ मार्च, १९६० के प्रश्न ८३-८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फरेंदा तहसील में भारी उद्योग चालू करने की प्रार्थना

*८९---श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक १६ दिसम्बर, ५८ को उद्योग मन्त्री को गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में किसी बड़े उद्योग के लिये, कारखाना खोलने के लिये पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वहां किसी बड़े उद्योग के खुलने की व्यवस्था नहीं हो सकी।

*९०-९२---श्री राजनारायण--[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सचिवालय में तीन वर्ष से अधिक कार्य करने वाले सेक्रेटरीज तथा डिप्टी सेक्रेटरीज

*९३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय में कितने सेक्रेटरीज तथा डिप्टी सेक्रेटरीज ऐसे हैं जिन्हें तीन साल से अधिक समय सचिवालय में कार्य करते हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- ऐसे सेक्रेटरीज तथा डिप्टी सेक्रेटरीज की संख्या क्रमश ६ व १३ है।

बरेली रोडवेज क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों को टी० ए० न मिलना

*९४--श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गवर्नमेंट रोडवेज रीजन, बरेली के कर्मचारियों को सितम्बर, सन् १९५९ से अब तक टी० ए० का भुगतान नहीं हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--यह कहना ठीक नहीं है कि बरेली क्षेत्र के कर्मचारियों के टी० ए० का भुगतान सितम्बर, १९५९ से अब तक नहीं हुआ है। वास्तव में कुछ टी० ए० बिल्स जो जनरल मैनेजर, बरेली के कार्यालय में दिसम्बर, १९५९ व जनवरी, १९६० में प्राप्त हुये थे उनके भुगतान में कुछ विलम्ब हुआ।

*९५--श्री हरदयाल सिंह--यदि हां, तो भुगतान न होने के कारण क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम--बजट में धनराशि की कमी के कारण।

बस्ती जिले के पुराने पुलिस अधिकारी

*९६--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में पुलिस के ऐसे कितने उच्चाधिकारी हैं जो वहां तीन वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केवल एक।

गोला तथा हरगांव चीनी मिलों के गन्दे पानी के प्रबन्ध के लिये एफलुयेंट बोर्ड की स्थापना

*९७--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर जिले के गोन नदी और लखीमपुर जिले की सरायन नदी, दोनों में गोला तथा हरगांव के मिलों का जो गन्दा पानी बहता है सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाया है और उसमें कहां तक प्रगति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कारखानों के गन्दे पानी के व्ययन के प्रबन्ध के संबंध में सरकार ने एफलुयेन्ट बोर्ड की स्थापना की है। यह बोर्ड गन्दे पानी के व्ययन सम्बन्धी मानचित्र, व जांच रिपोर्ट (analysis report) कारखानों से प्राप्त करता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करता है।

कथित मिलों के मामलों में जो कार्यवाही हुई है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २२५ पर)

*९८--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--[छठें शुक्रवार के लिये प्रश्न ११४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अलीगढ़ बस स्टेशन के खजाने की सुरक्षा के लिये पुलिस बुलाना

*९९--श्री अनन्तराम वर्मा--क्या बस के अधिकारियों ने उक्त घटना के पश्चात् अपने खजाने की सुरक्षा के लिये स्थानीय पुलिस से कोई गारद मांगी है ? यदि हां, तो क्या उस दिन किसी गिरोह द्वारा उसके खजाने लूटे जाने की कोई आशंका की सूचना थी ?

डाक्टर सीताराम--सुरक्षा के लिये सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति के लिये पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया था। किसी गिरोह द्वारा रोडवेज के खजाने को लूटे जाने की कोई आशंका या सूचना नहीं थी।

बुलन्दशहर के मैजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण की मांग

*१००---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अपने ८ फरवरी, १९६० के फैसले को जो बुलन्दशहर के मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध था सरकार के पास मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये भेजा है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध हाई कोर्ट का १ फरवरी, १९६० का एक फैसला सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर मैजिस्ट्रेट का जवाब तलब किया गया है।

*१०१---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

मोतीलाल नेहरू पार्क, इलाहाबाद में मालवीय जी की मूर्ति स्थापित करने की मांग

*१०२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---दिनांक ११ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उस के पास भिन्न-भिन्न जिलों से राष्ट्रीय नेताओं की मूर्ति रखने के लिये मांग आई है? यदि हां, तो किन-किन जिलों से और किन-किन मूर्तियों की स्थापना के लिये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गई सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २२६ पर।)

*१०३---श्री कल्याणचन्द्र मोहिले---क्या सरकार के पास इलाहाबाद में महामना मालवीय जी की मूर्ति रखने के लिये मालवीय स्मारक निधि ने कोई लिखा पढ़ी की है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। उसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क जिसका नाम अब मोतीलाल नेहरू पार्क हो गया है, में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति स्थापित की जाय।

विरनो थाने पर रोडवेज बुकिंग आफिस न होना, आजमगढ़ क्षेत्र में बस कण्डक्टरी के प्रार्थी

*१०४---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार गाजीपुर जिले के विरनो (थाने) पर रोडवेज बुकिंग आफिस खोलने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सीताराम---यहां अभी बुकिंग आफिस खोलने का विचार नहीं है।

*१०५---श्री यमुना सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय आजमगढ़ रीजन में बस कंडक्टरी पाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र वेटिंग लिस्ट में हैं?

डाक्टर सीताराम---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

सीतापुर-हरदोई सड़क पर बस सर्विस की आवश्यकता

*१०६---श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीतापुर से हरदोई जाने वाली सड़क पर सरकार सरकारी बसों के चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम---अगले वित्तीय वर्ष में इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रम निरीक्षकों के रिक्त स्थान

*१०७—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लेबर इन्स्पेक्टरों की कितनी जगह खाली हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पांच।

*१०८—श्री रामदीन—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने लेबर इन्स्पेक्टर हैं, तथा उनमें कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—८४ इन्सपेक्टर हैं। इनमें तीन हरिजन हैं।

*१०९—श्री रामदीन—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जगहें खाली हैं उनको क्यों नहीं भरा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खाली जगहें विभागीय पदोन्नति के लिये सुरक्षित हैं। उन्हें भरने के लिये कार्यवाही हो रही है और पदोन्नति किये जाने वाले व्यक्तियों की चरित्र पंजियां लोक सेवा आयोग के विचाराधीन हैं।

टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोलने की योजना

*११०—श्री चन्द्रजीत यादव—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार तथा नियोजन आयोग के पास प्रदेश में कुछ टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स खोलने का प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में माननीय सदस्य को यह सूचित करना है कि केंद्रीय सरकार तथा नियोजन आयोग की सहमति से प्रांतीय सरकार बरेली, झांसी, कानपुर, फैजाबाद तथा मिर्जापुर में सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नेशनल सार्टिफिकेट कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिये इन्स्टीट्यूट्स खोलने का निश्चय कर चुकी है।

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस, लखनऊ के गजटेड आफिसर्स

*१११—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रीजनल मोटर ट्रांसपोर्ट आफिस, चारबाग रोड, लखनऊ में कितने गजटेड आफिसर्स हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं कि जिन्हें इस समय तक रीजनल आफिस, लखनऊ में कार्य करते तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम—रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस, लखनऊ में ३ गजटेड आफिसर्स हैं। इनमें से केवल एक ऐसा है जिसको अपनी वर्तमान जगह पर काम करते ३ वर्ष पूरे हो चुके हैं।

प्रशिक्षित ग्राम सेवक

*११२—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५७-५८ ई० में प्रशिक्षित ग्राम सेवक जो बी० एवं सी० श्रेणी में उत्तीर्ण हुये थे, उनको अभी तक नियुक्त नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५७-५८ में प्रशिक्षित "ख" श्रेणी के केवल १९० तथा "ग" श्रेणी के, परिगणित जाति के प्रशिक्षितों को छोड़ कर शेष ७६ प्रशिक्षितों को अभी तक ग्राम सेवक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है। उक्त "ख" श्रेणी के १९० प्रशिक्षित दूसरे विभागों में नियुक्त हैं। "ग" श्रेणी के समस्त परिगणित जाति के प्रशिक्षितों की नियुक्ति कर दी गई है।

*११३—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या यह सही है कि १९५८-५९ में उत्तीर्ण ए श्रेणी के ग्राम सेवकों को नियुक्त किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

रोडवेज में लिये जाने वाले मार्ग

*११४—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या मंत्री परिवहन राजकीय रोडवेज के लिये वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में विचाराधीन मार्गों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २२७-२२८ पर।)

प्रान्तीय रक्षक दल के अस्थायी कर्मचारी

*११५—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रांतीय रक्षा दल में कार्य करने वाले पिछले १२ साल से शासकीय सेवा में रहते हुए आज भी अस्थायी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। ११६ कर्मचारी १ अप्रैल, १९५५ से स्थायी किये जा चुके हैं।

*११६—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह भी सत्य है कि प्रांतीय रक्षक दल के कर्मचारियों के संबंध में यह परम्परा है कि प्रति वर्ष ३१ मार्च को उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं और १ अप्रैल को पुनः चालू की जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

कानपुर-कालपी सड़क पर बस दुर्घटना

*११७—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ फरवरी, १९६० को कानपुर-कालपी रोड पर कानपुर से १५ मील दूर पर जो रोडवेज बस दुर्घटना हुई, उसका कारण क्या था तथा उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

डाक्टर सीताराम—६ फरवरी, १९६० को रोडवेज बस संख्या यू० पी० आर० ११९/५३९७ घाटमपुर होती हुई पुखरायां जा रही थी। जब यह बस कथरवा के निकट पहुंची, जो कानपुर से लगभग १६ मील की दूरी पर है, सामने से आती हुई दूसरी रोडवेज बस से टकरा गई। दुर्घटना का कारण यह था कि एक ट्रक रोडवेज बस के आगे बहुत धूल उड़ाती जा रही थी। इसके अतिरिक्त कुछ बैलगाड़ियां भी आगे जा रही थीं। बस के चालक ने बैलगाड़ियों को बचाने का प्रयत्न किया परन्तु उड़ती धूल में उसे सामने से आती हुई दूसरी बस दूर से दिखाई नहीं पड़ी। दूसरी बस बहुत निकट आने पर दिखलाई पड़ी और तब टक्कर से रोकना असम्भव हो गया। इस दुर्घटना में २३ यात्री घायल हुए।

सीमेंट का नया कारखाना न खुलना

*११८—श्री चन्द्रजीत यादव—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई और सीमेंट का कारखाना खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, कितनी लागत से और कहां ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*११९—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[छठें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

*१२०-१२१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये।]

क्रशरों पर गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की प्रार्थना

*१२२—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में क्रशरों पर किसानों का गन्ना मिल में दिये जाने वाले गन्ने के भाव से कम दर पर तथा भिन्न-भिन्न दरों पर लिया जा रहा है? क्या सरकार क्रशरों पर लिये जाने वाले गन्ने का भाव निश्चित कराने का विचार रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) क्रशरों पर स्थानीय आवश्यकतानुसार गन्ना खरीदा जाता है। कहीं गन्ने का भाव मिल में दिये जाने वाले गन्ने के भाव से कम और कहीं अधिक होता है।

(ख) जी नहीं।

*१२३-१२४—श्री रामदास आर्य—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१२५—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६-१२८—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१२९—श्री रामदीन—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सुजानगंज बस स्टेशन के निर्माण का आयोजन

*१३०—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुजानगंज (जौनपुर) का बस स्टेशन कब तक बन जायेगा? अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

डाक्टर सीताराम—बस स्टेशन अगले वित्तीय वर्ष में बन जायगा। इसके लिये भूमि ली जा चुकी है और निर्माण-कार्य के लिये ८,००० रुपये की स्वीकृति दे दी गई है।

यूसुफपुर-कासिमाबाद बस-सर्विस, गाजीपुर बस-स्टेशन पर मुसाफिरखाना बनाने की योजना

*१३१—श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में कस्बा युसुफपुर से जो सड़क गांव गंगवली कासिमाबाद, बहादुर गंज होती हुई मऊ को जाती है उस पर बस कब से चल रही है और किस स्थान से किस स्थान तक?

डाक्टर सीताराम—इस सड़क पर केवल यूसुफपुर से कासिमाबाद तक रोडवेज की बसें दिनांक २१ अक्तूबर, १९५९ से चल रही हैं।

*१३२—श्री रघुवीरराम—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सड़क पर किन-किन स्थानों पर बस-स्टेशन बनाने की योजना है?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

*१३३—श्री रघुवीरराम—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गाजीपुर बस स्टेशनों में यात्रियों के लिये मुसाफिरखाना बनवाने की योजना पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सीताराम—जी हां, आशा की जाती है कि १९६०-६१ में निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायगा।

तकिया में रोडवेज बुकिंग आफिस खोलने की योजना

*१३४—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिले के तकिया नामक स्थान पर जो उन्नाव मार्ग पर पड़ता है, रोडवेज का बुकिंग आफिस स्थापित करने की मांग क्षेत्रीय जनता की ओर से गत वर्षों से आ रही है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१३५—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो मंत्री परिवहन यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है?

डाक्टर सीताराम—बुकिंग आफिस खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

*१३६—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—[आठवें बुधवार के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बुनकर एसोसिएशन, जिला बुलन्दशहर का रिबेट

*१३७—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में बुनकर एसोसिएशन का रिबेट कब से बाकी है और कितना बाकी है तथा अब तक क्यों नहीं दिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला बुलन्दशहर के बुनकर एसोसिएशन के नाम से कोई रिबेट की दरख्वास्त संचालक, उद्योग विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः रिबेट बंटने, बाकी होने अथवा अब तक न दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[२४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

प्रश्नोतर के सम्बन्ध में आपतियां

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमान्, मेरा कहना यह है कि आपकी कृपा दृष्टि शुक्र और शनि की तरह से एक पक्ष की ओर ही पड़ती है, इस पक्ष की तरफ नहीं पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बार-बार उठने पर भी मुझे समय नहीं मिला तो इसके लिये क्या व्यवस्था होगी?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य जानते है कि इतना बड़ा हाउस है और इतने माननीय सदस्य बैठे हुये हैं, तो जिधरमेरी निगाह चली गई उसको मैंने बुला लिया। इसके लिये हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स भी नहीं हैं। लिहाजा यह कहना कि मेरी और शुक्र और शनि की दृष्टि उधर ही पड़ती है, गलत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें कि क्या कोई माननीय सदस्य चेयर से यह कह सकते हैं कि शुक्र और शनि की दृष्टि उधर नहीं पड़ती है?

श्री अधिष्ठाता—कह सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, प्रश्न २७ से २९ तक देखे जायं प्रश्न यह है कि—"क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया तथा।

आजमगढ़ जिलों के नियोजन विभाग में कुल कितने अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर तीन वर्षों से ज्यादा से पड़े हैं ?" इसका उत्तर सरकार ने दे दिया कि ३०४, अब इस पर जो हमारी समझ में वैलिड सप्लीमेंटरी हो सकता था वह यह कि इतने समय तक क्यों रखा गया ?

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने इसका जवाब तो दे दिया ।

श्री राजनारायण—नहीं दिया, अगर उन्होंने जवाब दिया है तो कृपया बतला दें, हम अपने को संशोधित कर लेंगे ।

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—मैंने उसी वक्त इसका जवाब दे दिया था । मैंने कहा कि जो बी० डी० ओज (गजटेड अधिकारी) होते हैं उनके लिये तय किया गया है कि स्टेट वन और टू के जो ब्लाक हो गये हैं उनमें उनको तीन साल रखते हैं और खास सूरतों में ज्यादा बढ़ा सकते हैं और चूंकि उसने अच्छा काम किया था इसलिये लोकल अफसरान ने सिफारिश की थी कि उनको वहां कुछ दिन और रखा जाय । यह मैं कह चुका हूं ।

श्री राजनारायण—दूसरी बात प्रश्नों के बारे में यह थी कि ऊदल जी के प्रश्न में था कि अभिनवीकरण हुआ या नहीं । सरकार कहती है कि १६ प्रतिशत अभिनवीकरण कर दिया है तो दुनिया कहेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है; लेकिन केवल वर्तमान अभिनवीकरण से छटनी से ही उसका संबंध है । इससे जनता में भ्रम होगा । इसमें चार चीजें आती हैं, मैन, मनी, मैटीरियल और मैनेजमेंट (मजदूर, पूंजी, मशीन, और प्रबन्ध) आदि । मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रश्न किया गया तो आपने एक भी सप्लीमेंटरी हमें नहीं करने दिया कि अभिनवीकरण की कौन सी योजना लागू हुई ? क्या मजदूरों की छटनी करना ही अभिनवीकरण है ? मैं कहता हूं कि प्रश्नों के ऐसे उत्तरों से भ्रम पैदा होता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि प्रश्नों के उत्तर ऐसे होने चाहिये जिससे जनता में भ्रम न हो ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्नों के उत्तर के बारे में कई दफा माननीय अध्यक्ष ने यह साफ-साफ कहा है कि प्रश्नों के जो उत्तर हों उसके लिये किसी माननीय मंत्री जी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसी प्रकार से वह उत्तर दें जिस प्रकार से माननीय सदस्य चाहते हैं । माननीय सदस्य अगर नियमों को पढ़ें तो देखेंगे कि अगर माननीय सदस्य जवाब से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए आध घंटे का समय बहस के लिए मांग सकते हैं । यह अध्यक्ष को अधिकार है कि वह किसी अनुपूरक प्रश्न की आज्ञा दें या न दें । अध्यक्ष की कठिनाई को भी आप सोचेंगे । आज १४२ से भी ज्यादा प्रश्न अजेंडा पर एनलिस्टेड है और जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जा सकता उन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं हो पाते और वे यों ही कार्य-वाही में छप जाते हैं । उसके लिए भी अध्यक्ष का ध्यान रहता है । मैंने इस बात की कोशिश की कि जो सचमुच में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर जहां तक हो सका मैंने समय दिया । सम्भव है कि माननीय राजनारायण जी किसी प्रश्न के बारे में संतुष्ट न हों तो वह आधे घंटे का समय बहस के लिए मांग लें, जिस पर विचार किया जायगा और यदि नियमपूर्वक हुआ तो उसके लिए इजाजत हो जायगी और माननीय सदस्य को संतोष हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा अल्पसूचित सवाल स्वीकृत किया गया था और ९ तारीख निर्धारित की गयी थी कि इसकी सूचना सदन में दे दी जाय । माल मंत्री ने १० के लिए मुकर्रर किया । १० तारीख भी खत्म हो गयी । क्या उसकी सूचना सदन को मिलेगी या नहीं, इसकी जानकारी चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता--मुझे मालूम हुआ है कि माननीय मंत्री स्वयं जहां ओले पड़े हैं उन क्षेत्रों को देखने के लिए गये थे। उसके बारे में वह कल, सारे जिलों के बारे में--बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, जितने जिले हैं, सबके बारे में, बयान देंगे।

श्री राजनारायण--बनारस भी है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--आजमगढ़ के बारे में मैं जरूर अर्ज करूंगा। बनारस में कुछ नहीं है।

एक सदस्य--किन-किन जिलों में गये थे ?

श्री अधिष्ठाता--कल पूछ लीजियेगा।

श्री राजनारायण--बनारस की खबर मंगवा लें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अधिष्ठाता महोदय, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि १८ फरवरी, १९६० को मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया। उसके बाद फिर मैंने २४-२-६० को प्रश्न दिया, फिर ४-३-६० को दिया और फिर ५-३-६० को दिया। लेकिन किसी भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कोई बगोरे का प्रश्न नहीं है। केवल लखनऊ के दफ्तरों से सम्बन्धित है। मामूली सी बात है जिसको टेलीफोन से मंगाया जा सकता है। लेकिन हमें उत्तर नहीं मिला। जब हम एतराज करते हैं तो जवाब मिलता है कि हमारे कमरे में पूछिए। इससे उपयुक्त स्थान तो कोई है नहीं। तो आप फैसला दीजिये हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें या न करें और अगर हम करें तो हमें समय से उत्तर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--जहां तक इसका सम्बन्ध है, हम माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि उसका जवाब दें। जवाब देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। अगर उसकी जानकारी हासिल करनी है तो विधान सभा के सचिव से जानकारी हासिल कर लें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--यह तो उत्तर दे दें कि हम उत्तर नहीं देंगे।

श्री अधिष्ठाता--यह आप सचिव से पूछ लें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--तीन कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हुए हैं। ये तीनों न तो अर्जेंट हैं न पब्लिक इम्पार्टेंस के हैं, इस वास्ते मैंने अस्वीकार कर दिये हैं।

श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--बता दिया जाय कि क्या-क्या हैं।

श्री अधिष्ठाता--नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--मुख्य-मुख्य बातें बता दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया बैठ जायं। मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। मैंने कहा है कि मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री बंशीधर शुक्ल--क्यों अस्वीकार कर दिया है ?

श्री अधिष्ठाता--वह यूनिवर्सिटी के इंटर्नल मैटर के बारे में आपका कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। उससे गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं है। इस वास्ते मैंने अस्वीकार कर दिया।

श्री हरदयाल सिंह--जरा इसी प्रकार से मेरा प्रस्ताव भी पढ़ दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—अगर माननीय सदस्य इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो मुझे बाध्य होकर के कार्यवाही करनी पड़ेगी। उनका प्रस्ताव मैंने इस वास्ते थोड़ा-सा बता दिया कि वह थोड़ा महत्व का था।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—नियम ५२ के अन्दर ये ५ प्रश्न मेरे पास आये हुए थे स्वीकृति के लिए जिसमें एक प्रश्न जो है वह कई माननीय सदस्यों के दस्तखत से आया हुआ है। लेकिन वह यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखता है, उसके इंटर्नल मैटर से, जो उसके कैम्पस के अन्दर बातें हो रही हैं उससे उसका सम्बन्ध है। सरकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी अस्वीकार कर दिया है और बाकी चार को तो मैंने अस्वीकार कर ही दिया था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक व्यवस्था का प्रश्न इस सम्बन्ध में है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तो आप यह कह सकते हैं कि कार्य-स्थगन इस सम्बन्ध में नहीं होगा। मगर क्या इस प्रदेश में कोई भी घटना घटे चाहे वह किसी विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत हो या किसी अन्य संस्था के अन्तर्गत हो, अगर उसकी जानकारी यह सदन चाहता है तो सरकार मेरी समझ से बाध्य होती है कि उसकी जानकारी कराये और माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहां पर यह बात कही थी। इसी सदन में एक म्युनिसिपैलिटी की बात आयी थी। सरकार ने कह दिया कि वह स्वायत्त शासन की बात है, सरकार से उसका सम्बन्ध नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उसकी जानकारी आपको करानी चाहिए। तो विश्वविद्यालय में मान लीजिए कोई घटना हो जाय और वहाँ पर सरकार पी० ए० सी० भेजती है . . . .

श्री अधिष्ठाता—अगर सरकार ने भेजा होता तो . . . .

श्री राजनारायण—कल विश्वविद्यालय में मारपीट हुई श्रीमन्, दो विद्यार्थी घायल हुए। यह ला ऐंड आर्डर का सवाल है। वहां पर कोई आफत आ जाय तो सरकार सूचना भी नहीं देगी ?

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठ जांय, मैंने पहले ही कहा कि मैंने इस प्रश्न पर विचार किया। अगर वहां पुलिस गई होती और पुलिस ने कोई बात की होती, तो मैं जरूर उस प्रश्न की अनुमति दे देता। मगर मैंने पढ़ कर के देखा। उसमें पुलिस वहां कहीं नहीं गई, बिलकुल यूनिवर्सिटी का अन्दरूनी मामला है, उनके कैम्पस के अन्दर का मामला है। इसलिए मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। अगर पुलिस ने कोई कार्यवाही की होती, लाउड-स्पीकर तोड़ा होता या और कोई कार्य किया होता तो मैं उसकी स्वीकृति दे दिये होता।

श्री राजनारायण—माननीय कमलापति जी यहां पर मौजूद हैं श्रीमन्, इसी सदन में यह घोषणा हुई है, जरा देखा जाय कि एक विश्वविद्यालय कमीशन बैठेगा और विश्व-विद्यालय से सम्बन्धित सारी बातें उसमें आयेंगी। तो मान लीजिए कि विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापक के बारे में कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें थीं और उस प्राध्यापक को वाइस-चांसलर बना दिया गया तो क्या वह चीज उस कमीशन के सामने नहीं आयेगी . . . .

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, अब माननीय खूबसिंह जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। मगर एक जानकारी यह करनी है कि आज की आपकी व्यवस्था सही है या अध्यक्ष महोदय की उस दिन की व्यवस्था सही है जोन्होंने दफा ५२ में आये हुए अय्यर साहब के इस्तीफे की सूचना के सम्बन्ध में दी

[श्री गौरीशंकर राय]

थी। जब एक विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के इस्तीफे का प्रश्न यहां आ सकता है तो आज किसी सज्जन की वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में उस प्रश्न को न लेना कहां तक उचित है ? वह अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था सही है या आज की व्यवस्था सही है ?

श्री अधिष्ठाता—यह अध्यक्ष महोदय आयेंगे तो उनसे पूछियेगा ।

(श्री हरदयाल सिंह के उठकर कुछ कहने की चेष्टा करने पर) इस तरह से माननीय सदस्य मुझे बाध्य करेंगे कोई न कोई कार्यवाही करने पर ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

१९६०-६१के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ५०-क—राजस्व से वित्तपोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी-लेखा (क्रमागत*)

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान पेश है और जिस पर विचार किया जा रहा था, उस पर बोलते हुए मेरे कई दोस्तों ने 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट' जो ये तीन शब्द हैं, उनके माने तोड़ मरोड़ कर इस तरह से सदन में व्यक्त किये हैं जिससे इस डिपार्टमेंट की इज्जत पर एक हमला करने की नीयत समझी जाती है। दुनिया में मुख्तलिफ . . . . . .

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा वैधानिक प्रश्न है। वह प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि जो सदस्य यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं उससे उनका किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति से अभिप्राय है जिसकी वह निन्दा करना चाहते हैं। क्या हमारे ऊपर किसी माननीय सदस्य को इस प्रकार मोटिव इम्प्यूट करने का अधिकार है ? क्या कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के लिये ऐसा कह सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—(श्री खूबसिंह से) कृपया आप किसी के मोटिव पर हमला न करें।

श्री हरदयालसिंह—श्रीमन्, मेरा भी वैधानिक प्रश्न है।

---

* ९ मार्च, १९६० की कार्यवाही से ।

श्री अधिष्ठाता—मैं कहता हूं कि आप बैठ जाइये ।

श्री हरदयाल सिंह—मेरा भी जरूरी प्रश्न है । मेरी बात भी सुन ली जाय . . .

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठ जांय । मैंने उस प्रश्न की इजाजत नहीं दी।

श्री हरदयालसिंह—हम जनता की आवाज को उठाने के लिये यहां पर आते हैं . . . .

श्री अधिष्ठाता—आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री हरदयालसिंह—मेरा भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव था . . . .

श्री अधिष्ठाता—अब आप कृपया सदन का त्याग करें । अब मैं यह आदेश देता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी एक व्यवस्था के सम्बन्ध में आपने अपनी सम्मति दी । यह हो सकता है कि उस सम्मति को, जिस समय आपने दी, उसको हमने न सुना हो। किसी व्यवस्था पर जब आप अपनी सम्मति देने लगे हों तो उस समय माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न उठा दिया हो । इसलिये मैं समझता हूं कि कृपया आप उनको यहां पर बैठने की इजाजत दे दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, अभी माननीय राजनारायण ने जो आपसे अपील की मैं भी उससे सहमत हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि यहां पर विशेष स्थिति होने पर उनको आप बैठने का मौका दे दें । मुझे भी खेद है कि माननीय खूबसिंह, जो एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने फिर इस प्रश्न को उठाया इसलिये यह बात उठी ।

श्री अधिष्ठाता—मैं आज्ञा देता हूं कि माननीय सदस्य को बैठने की अनुमति है। माननीय खूबसिंह से भी कहूंगा कि आप कृपया किसी माननीय सदस्य की नीयत पर हमला न करें।

श्री खूबसिंह—श्रीमन्, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो मैं कहता हूं उसके माने क्या हैं । मैंने यह कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तीन लफ्जों से मिलकर बनता है । इसके उलटे माने लगाना दुखजनक बात है और अफसोस की बात है । इस किस्म का हमला किसी विभाग पर नहीं करना चाहिये ।

जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा निजी विचार यह है कि कब्ल इसके कि किसी व्यक्ति पर या किसी महकमे पर उसकी इज्जत लेने के वास्ते हमला करूं, मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि मेरे कहने में कहां तक सच्चाई है । कई दफा मैंने यह देखा कि मैंने कई लोगों पर कई किस्म के आरोप लगाये । जब मैंने रात में विचार किया कि मैं कहां तक जस्टिफाइड हूं तो मुझे पता लगा कि मैंने उनके ऊपर ज्यादती की । यह मेरी गलती थी और उसमें कोई सार नहीं था। मेरा खयाल है इस तरह से दूसरे लोगों को भी, जो इस किस्म की नुक्ताचीनी करते हैं, उनको पहले अपने चरित्र पर खयाल करना चाहिये जैसा कि मैं करता हूं। मैं यह कह देना मुनासिब समझता हूं कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग, खुशी की बात है, कि अच्छे आदमियों के जरिये से चल रहा है और उन सब लोगों की यह ख्वाहिश है कि विभाग में कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम

[श्री खूबसिंह]

हो। यह सन्तोष की बात है। इस सम्बन्ध में मैं ३, ४ सुझाव देना चाहता हूं। आशा है विभाग उन पर विचार करेगा। पहली बात तो यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें जो रिसर्च होती है सड़कों और इमारतों की बाबत उसका ज्यादा इल्म हम लोगों को नहीं हो पाता। हम नहीं जानते कि उसका काम कैसे चल रहा है। इसलिये अगर वह हम लोगों को बतलाया जाय और हम लोगों को कांफीडेंस में लिया जाय तो ज्यादा फायदा हो सकता है।

दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि कंट्रैक्ट सिस्टम पर जो काम होते हैं उनके बजाय अगर लेबर तो कंट्रैक्ट सिस्टम से एक्वायर किया जाय और मैटीरियल विभागीय कर्मचारी अपना दें, अपने सुपरविजन में काम करायें तो इससे काम अच्छा हो सकता है। कंट्रैक्ट सिस्टम का काम खराब होता है। अगर यह तरीका एडाप्ट किया जाय तो काम की मजबूती में इजाफा होगा और लोगों में जो गलत खयालात पैदा हो रहे हैं वह खत्म हो जायंगे।

एक चीज यह अर्ज करनी है कि जितने ओवरसियर और इंजीनियर्स आज निकल रहे हैं उनमें से बहुत कम को आज काम मिल पाता है। एक खास नम्बर के बाद के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों को अजसरे नौ दोबारा तालीम दी जाय और अगर वह उसमें अपने को क्वालीफाई कर लेते हैं तो उनको इंप्लायमेंट दिया जाय। इस तरह से अनइम्प्लाएड की तादाद बढ़ाना ठीक नहीं है।

श्रीमन्, एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं, वैसे तो यह बात इस विभाग से खास ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन . . .

श्री अधिष्ठाता--जब इस विभाग से ताल्लुक नहीं रखती तो . . .

श्री खूबसिंह--ताल्लुक रखती भी है। लेकिन साथ साथ और विभागों से भी ताल्लुक रखती है। हमारे जो आफिसर्स या काम करने वाले हैं वे अगर कोई गलती करते हैं तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। उनको सजा मिलती है, वह बरखास्त होते हैं, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, या और दूसरी सजा उनको दी जाती है। मेरा खयाल है कि यह काफी नहीं है। हमें एक हैबिट रिहैबिलिटेशन कोर्स अपने विभागों में जारी करना चाहिये और पी० डब्ल्यू० डी० में भी लागू करना चाहिये ताकि जितने इम्पलाईज हैं वे अपनी हैबिट्स को दुरुस्त करने के लिये, सच्चाई एक्वायर करने के लिये और अपने फरायज को अच्छे तरीके पर डिस्चार्ज करने के लिये एक तालीम हासिल कर सकें। इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मास्को में एक फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी अभी कायम होने जा रही है और उसमें अफ्रीका, एशिया और इसी से मिलते जुलते जो मुल्क हैं उनको दावत दी जायगी कि वे लोग वहां जायं और जाकर इस यूनिवर्सिटी में अपनी टेक्निकल नालेज में इजाफा करें और साथ-साथ इखलाकी प्रगति की जो बातें हैं उनमें भी ट्रेनिंग हासिल करें। मेरा सुझाव है कि पी० डब्ल्यू० डी० के वजीर साहब और दूसरे वजरा साहबान अपने अपने मुहकमों के सीनियर आफिसर्स को ट्रेनिंग हासिल करने के लिये वहां भेजें और वे लोग अपनी हैबिट्स रिहैबिलिटेट करने के लिये जो कुछ वहां सीखें उस कोर्स को यहां चलाया जाय अन्य कर्मचारियों के लिये। इस तरह की कोशिशों से हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारा मयार ऊंचा हो सके और ऐसा होने पर करप्शन की शिकायतें भी कम सुनने में आयेंगी।

इन शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, मैं कोई नया प्वाइंट नहीं उठाता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान सदन के समक्ष पेश है वह एक घंटे बाद पास तो हो ही जायेगा, किन्तु इसके सम्बन्ध में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो अनुदान यहां पर पास हो जाता है उसका खर्च प्रदेश में किस तरह से हो रहा है। इस विभाग द्वारा जो इमारतें बनाई जाती हैं, जो पुल बनाये जाते हैं वे कुछ ही समय बाद क्रैक हो जाते हैं और कुछ अधूरे ही रह जाते हैं।

मैं, चूंकि समय कम है, इसलिये अपने जिले की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां पैन्टून ब्रिज है, हर साल काफी रुपया उस पर मरम्मत में खर्च किया जाता है। मैंने कई बार यह चेष्टा की कि वहां पर एक नया पुल बना दिया जाये। वह पुल टूट गया है और उस पर लाखों रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। उसके कारण सैकड़ों आदमियों की जानें तक चली गयी हैं, किंतु अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। उसी के पास रेलवे ब्रिज की बगल में एक पगडन्डी बनाई गयी है जिस पर सरकार का ५ लाख रुपया खर्च हुआ है, लेकिन वह कार्य नहीं किया गया है। आपको मालूम है कि प्रयाग में अर्धकुम्भी और कुम्भ होते हैं और लाखों रुपया उसके लिये खर्च किया जाता है। तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस पुल को बनवाये और कम से कम तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको अवश्य बनवा दे।

दूसरी बात मैं मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहता हूं। मेडिकल कालेज बनाने की हमारे यहां सरकार की योजना थी, किन्तु वहां पर वह नहीं बनाया गया और कानपुर में मेडिकल कालेज खोला गया। अब वहां पर एक अस्पताल बन रहा है जिस पर २० लाख रुपया खर्च होगा। मैं इसके लिये सरकार से कहूंगा कि वह जांच करे कि किस प्रकार से उसमें रुपया खर्च हो रहा है और वह किस तरह बन रहा है।

तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां जो घाट नागबासू है जिस पर ५ लाख रुपया व्यय हुआ है उसको भी सरकार जाकर देखे। वह घाट बना तो, लेकिन वह काफी खराब हो चला है। मैं चाहूंगा कि उसकी किस प्रकार मरम्मत कराई गयी है उसकी जांच की जाय। वहां पर आज चहारदीवारी नहीं है, उसको सरकार बनावे।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे पहले अपने जिले और क्षेत्र के बारे में कहना है। आजमगढ़ जिला एक बहुत बड़ा जिला है और सरकार की यह नीति है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर सड़कें इत्यादि पहले बनाई जांय। मैं चाहता हूं कि उस जिले में सर्कूलर रोड बनाई जाय जो कि आजमगढ़ शहर से ज्यादा दूर पड़ती है और वही सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। इसलिये आजमगढ़ जिले में यह सड़क बननी चाहिये। उसका यह कारण कि जब आजमगढ़ से एक तरफ जो जाता है और फिर दूसरी तहसील में जाना चाहता है तो आजमगढ़ जाकर फिर लौट के आने में दूना तिगुना सफर करना पड़ता है। इसी तरह फूलपुर तहसील के दक्षिणी इलाके में सुल्तानपुर सड़क आती है और उधर जो जौनपुर सड़क जाती है, दोनों सड़कों को मिलाने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामवचन यादव]

के लिये एक सड़क दीदारगंज से बरदह तक गयी है। अगर उसको मिला दिया जाय तो उस इलाके का लाभ होगा जो सबसे पिछड़ा हुआ है। मार्टिनगंज का क्षेत्र ब्लाक का क्षेत्र है, वहां हाई स्कूल है, बाजार है और वहां पहुंचने के लिये साल में ६ महीने कोई भी उपाय नहीं है--बरसात में और बरसात के करीब दो महीने बाद तक। तो उस सड़क के लिये जो मार्टिनगंज होकर जाती है, मेरा सुझाव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसे ले लिया जाय। पिछली बार भी अंतरिम जिला परिषद् से उसको प्रमुखता दी गयी थी और इस बार मैं समझता हूं वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में ले लिया जायगा। दीदारगंज से बरहद ज्यादा नहीं है, १०-१५ मील है। अगर यह टुकड़ा जोड़ दिया जाय तो सुल्तानपुर वाली सड़क और जौनपुर जाने वाली सड़क से कनेक्शन हो जायगा।

दूसरी बात मुझे कहनी है कि जो पी० डब्ल्यू० डी० की कमेटियां बनायी गयीं उनमें ऐसा हुआ कि हमारे अधिकारी महोदय की यह नीति रही कि या तो ऐसे मौके पर रखे कि जब सदस्य लोग पहुंच न सकें और जब कभी सदस्य लोग पहुंचे तो हमारे अधिकारी नहीं पहुंचे। तो इन कमेटियों को ऐसे समय पर बुलाया जाय कि इनकी बैठक हो सके और सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि इन कमेटियों में दिलचस्पी लेकर जिले में बैठें क्योंकि इस विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक प्रथा बड़ी प्रचलित है। हमारे इंजीनियरों और ओवरसियरों का परसेंटेज का ऐसा हिसाब बन गया है कि जो कंट्रेक्टर न देना चाहे तो उसके पेमेंट में डिले की जाती है, तरह-तरह की बातें निकाली जाती हैं और जो परसेंटेज दे देता है उसका बिल चट से पास हो जाता है और उसका काम अच्छा हो जाता है। तो मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी एक सी० आई० डी० रखें और वह पता लगाते रहें कि कौन-कौन अफसर परसेंटेज लेने के आदी हैं और जिसको उचित समझें यानी ऐसे लोग जो इस व्यवस्था को चालू रखते हैं उनकी तरक्की में रोक लगावें। मैं अपने जिले की बात बताना चाहता हूं कि इसके पहले कुछ इंजीनियर थे जो कि परसेंटेज नहीं लेते थे, मगर फिर जब उनका तबादला हो जाता है, दूसरे आते हैं तो वह फिर चालू कर देते हैं। तो देश की भलाई के लिये पता लगाना चाहिये कि कौन लोग इस व्यवस्था को नहीं रोक रहे हैं। जो न रोकें उनकी तरक्की वगैरह रोकी जाय और साथ ही यह भी पता लगाया जाय कि कौन से लोग नहीं लेते हैं, उनको तरक्की दी जाय और आगे बढ़ाया जाय, तभी भ्रष्टाचार में कुछ रुकावट हो सकती है।

तीसरी बात मुझे कहनी है माननीय मंत्री जी से हरिजनों के सम्बन्ध में, क्योंकि वह बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। हरिजनों के लिये १८ फीसदी नौकरियों में संरक्षण है। अगर चपरासियों की जगह में १८ फीसदी अभी तक नहीं मिले हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि और लोगों की भर्ती रोक दें और जबतक उनका १८ फीसदी चपरासियों में पूरा न हो जाय तबतक उनको ही स्थान दिया जाय। क्योंकि चपरासियों से लोग पीने का पानी, भोजन मंगाते हैं, और जो छुआछूत मानते हैं वह चाहते हैं कि ऐसे आदमी रहें जो भोजन और पानी दे सकें और इस प्रकार से १८ फीसदी वाला परसेंटेज पूरा नहीं होने देते। तो सरकारी नीति का अधिकारी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी छुआछूत बरतता है तो उसको आप कहिये कि आप हट जाइये, मुल्क में और काम है, अगर नौकरी करनी है तो छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा। अगर चपरासियों में भी १८ प्रतिशत स्थान हरिजनों को नहीं मिलता और उनकी भर्ती पूरी नहीं होती तो यह हमारे लिये बड़े लज्जा की बात है।

एक बात मुझे और कहनी है कि हरिजन लोग ओवरसियरी में या इंजीनियरी में बहुत कम पढ़ पाते हैं। सरकार की यह नीति है कि अगर कोई हरिजन उम्मेदवार न मिले तो एक साल तक जगह खाली रखी जाती है। मैं कहता हूं कि चाहे इसको एक साल रखा जाय या दो साल, अगर हरिजन मिलते हैं तो उसको अवश्य रखा जाय। अगर हरिजन नहीं मिलते हैं तो सवाल उठता है कि किससे भरा जाय। सरकार की नीति है कि पिछड़े लोगों को प्रिफरेंस

दिया जाय। मैं चाहता हूं कि इन खाली जगहों पर प्रिफरेंस पिछले वर्ग को दिया जाय। कहा जाता है कि इससे हरिजन सदस्य नाराज होते हैं। मुझे विश्वास है कि हरिजन सदस्य कभी नाराज नहीं होंगे जो समझदार हैं। जब हरिजन उम्मेदार नहीं मिलते और जब उन्नतवर्ग से भरी जानी हैं तो हरिजन को क्या मिलता है, इसलिये वे पिछड़े वर्ग से ही भरी जायं ताकि सरकार की नीति कामयाब हो। अगर कोई हरिजन सदस्य यह कहता है कि नहीं साहब, उन्नतवर्ग से ही भरी जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी कैसी नीति है। लेकिन यह अवश्य होना चाहिये कि जब तक हरिजन ओवरसियर या इंजीनियर मिलता है तब तक उनमें उसको ही मौका दिया जाय।

पी० डब्ल्यू० डी० में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो पिछली बार ली गयीं, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को वापस कर दी गयीं। मेरा यह सुझाव है कि इस बार जहां तक हो सके उन्हीं सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० में लेकर बनाना चाहिये और इस बात का ध्यान रखा जाय कि जहां ब्लाक्स खुलने वाले हैं इन दो तीन वर्षों में और उधर सड़क नहीं गयी है तो उसको प्राथमिकता दी जाय ताकि जो ब्लाक खुलें वह अच्छी तरह से काम कर सकें और पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क वहां पर पहुंच जाय। ऐसे इलाकों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यही मेरी प्रार्थना है कि उधर ध्यान दिया जाय।

एक बात कमेटी के सिलसिले में मुझे कहनी है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बनाने के सिलसिले में विधायकों को एक बार बुलाकर उनकी सलाह से सड़कों को शामिल किया गया है। मैं कहता हूं कि जब अन्तिम रूप दिया जाय तो उनसे फिर उस वक्त इस पर गौर करा लिया जाय ताकि एक ठोस योजना जिलों की बन सके।

पी० डब्ल्यू० डी० में सड़कें बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं, इसके लिये धन्यवाद है सरकार को, मगर इस बार खास करके इस बात को देखना है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां विकास सम्बन्धी, खेती सम्बन्धी और हाई स्कूलों तक जानेवाली सड़कों की सुविधाओं सम्बन्धी कार्य होना चाहिये। उस तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय। इतना कहकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे सुझावों को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—अब रामदीन जी, आप केवल ५ मिनट बोलेंगे।

***श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—दूसरों के लिये १० मिनट, मेरे लिये ५ मिनट, यह क्यों ?

श्री अधिष्ठाता—आपके सचेतक से बातचीत हो गयी है कि कल्याणचन्द जी और आप केवल ५ मिनट ही बोलेंगे। आप फिर बीच में बेकार बोलते हैं।

श्री रामदीन—अधिष्ठाता महोदय, मैं जो यह उपस्थित अनुदान है उसका विरोध करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध क्यों करना पड़ रहा है ? मैंने देखा है जहां तक घूमफिर कर, इस विभाग में जो कुछ अनुदान यहां से मंजूर होता है वह ज्यादातर बड़े-बड़े शहरों में ही खर्च किया जाता है। वहीं पर अच्छी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदीन]

अच्छी इमारतों का निर्माण होता है, वहीं पर अच्छी अच्छी सड़कें बनाई जाती हैं। आज जो रुपया सड़कों पर खर्च किया जाता है, उसका ज्यादातर हिस्सा ठेकेदार और अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। आप देखेंगे कि आज जितनी सड़कें बनती हैं वह एक वर्ष से अधिक नहीं चलती। कच्चा कंकड़ लाकर सड़कों पर डाल दिया जाता है और इंजीनियर तथा ओवरसियर उसको पास करके ठेकेदार को पेमेन्ट करा देते हैं और उसमें उनका परसेन्टेज जो तय होता है वह उनको अवश्य मिल जाता है क्योंकि बिना किसी मुसीबत और काम किये ठेकेदार को पेमेन्ट मिल जाता है। इसलिये जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि सरकार कागजों की तरफ न देख कर के उस काम को देखे जिसके लिये यहां से रुपया मंजूर होता है। केवल कागजों में ही छप जाता है लेकिन काम नहीं होता है और हमारे उच्चाधिकारियों और सरकार से दस्तखत करा लिये जाते हैं कि काम सही है।

अब श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान फर्रुखाबाद तथा इटावा, जहां दो पुल बनने हैं, उस तरफ दिलाना चाहता हूं। इटावा ऐसा जिला है जो दो प्रदेशों से मिलता है और फर्रुखाबाद भी ऐसी जगह है जहां से पीलीभीत, बरेली की तरफ जाने वाली सवारियों को लखनऊ होकर जाना पड़ता है जिसके कारण ४०-५० मील के स्थान पर दो ढाई सौ मील का फासला तय करना पड़ जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और यदि चालू योजना में न हो सके तो अगले २-३ वर्षों में सरकार इन दोनों पुलों का जरूर निर्माण करे। इनमें एक तो फर्रुखाबाद में गंगाजी का पुल है और इटावा में जमुना जी तथा चम्बल का पुल है। इनसे वहां की जनता का बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मैं सरकार का ध्यान जिला मैनपुरी की तरफ दिलाना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता--मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस जिले से आते हैं, क्योंकि आपने अभी इटावा, फर्रुखाबाद का जिक्र किया और अब मैनपुरी का जिक्र कर रहे हैं?

श्री रामदीन--मैनपुरी से। पुलों के सम्बध में मैंने उन जिलों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। अब मैं मैनपुरी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, जब आजादी की लड़ाई हुई थी.....

सार्वजनिक-निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--मैं यह कहना चाहता हूं कि जब डिमान्ड का विरोध किया जा रहा है तो फिर पुलों और सड़कों का सवाल ही कहां उठता है?

श्री रामदीन--श्रीमन्, मेरे समय का ध्यान रखा जाय। डिमान्ड का विरोध इसलिये किया गया क्योंकि यहां का रुपया सीधे-सीधे लोगों की जेबों में चला जाता है और असली काम नहीं हो पाता। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, जिला मैनपुरी के बारे में मैं कह रहा था कि यह जिला हमेशा हर एक लड़ाई में आगे रहा है और वहां के तीन व्यक्ति आजादी की लड़ाई में बलिदान भी हुए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आजतक सरकार ने वहां पर कौन सा निर्माण का कार्य किया, कौन सी सड़क बनाई, कौन सी इमारत बनाई। आजतक वहां कोई भी निर्माण का कार्य नहीं किया गया। वहां पर बहुत दूर तक कोई सड़क नहीं है। इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक सड़क मैनपुरी-करहल-इटावा की है जो बहुत पुरानी है, इस पर कार्य भी हो रहा है। इस पर कार, मोटर और बसों का जाना तो दूर रहा साइकिल भी नहीं चल सकती है, तांगा अगर जाय तो पलट जाय। तीन वर्षों से प्रश्नों द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है लेकिन जिस तरह से कार्य तेजी से होना चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है।

दूसरी सड़क है घरोर-जसराना, जो मुक्ताबाद-एटा से सम्बन्ध रखती है। इस सड़क पर तहसील जसराना है जिससे आवागमन बहुत रहता है। यह सड़क बहुत गंदी है और

कम चौड़ी है। जब कोई सवारी उस पर चलती है तो सवारियों को नीचे उतरना पड़ता है। इसको चौड़ी करा कर अच्छी तरह से बनवा दिया जाय ताकि जनता को सुविधा हो सके।

फिर आती है, घरोर-कुरावली, करैर-घरौर, सवान-भामत, इन स्थानों से मैनपुरी जाने के लिये कोई यातायात का साधन नहीं है। २०–३० मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ये सड़कें जल्द से जल्द बनायी जायं। अगर ये बन जायंगी तो बहुत-सा फासला कम हो जायगा।

छठी सड़क आती है जो जसराना-कुरावली होती हुई बड़े गांव को जाती है। इस पर कई बड़े स्थान हैं–जसराना, घरोर, कुरावली और मैनपुरी। किसी भी बाजार को जाने के लिये गांवों से रास्ता नहीं है। बीच में दो नदियां पड़ती हैं। बरसात के दिनों में किसानों को बहुत परेशानी होती है। वे अपना सामान बाजार में नहीं ले जा सकते।

इसके अलावा इटावा, आगरा, कानपुर और मैनपुरी के बीच में दो नदियां–सरसा और सेंगर पड़ती हैं जो बरसात के समय बहुत बड़ी हो जाती हैं। कारण यह है कि जो पुल नदियों के बने हैं, वे बहुत छोटे हैं। अगर उन पुलों को तुड़वा कर बड़ा करवा दिया जाय तो लाखों एकड़ फसल, जो हर साल बाढ़ के कारण बरबाद हो जाती है, वह बच जायगी। इसके लिये सरकार से कई बार प्रार्थना की गयी, सुझाव भी दिये गये और अधिकारियों ने भी लिखा, लेकिन अभी तक ये पुल चौड़े नहीं किये गये हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जो यह अनुदान पेश किया गया है, उस से सारे देश की भलाई है और सारे देश के लोगों को इससे सुविधा होगी। मैं केवल पहाड़ों की ही बात कहूंगा। वहां पर सड़कों के बन जाने से जो कुछ भी वहां के जनसमूह को लाभ हुआ है, उनके कारबार में जो मदद पहुंची है यानी जो चीजें वे पैदा करते हैं आलू वगैरह, उनके बाहर भेजने में सुविधा हो जाने से, वहां की जनता को फायदा हुआ है, उस के लिए मैं इस विभाग और माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही उपकार का काम हो रहा है और आगे जो कुछ करना है, उस के लिए भी मुझसे पूर्व और वक्ताओं ने भी मांग पेश की है और उसका हो जाना अनिवार्य है। इस वक्त वैसे तो तिब्बत की सीमा पर सरकार की तरफ से विकास का कार्य करने की कोशिश हो रही है। अगर वह किया गया तब तो सब कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए कृपा करके उन कार्यों को यथाशीघ्र करवा दिया जाय।

मुझे एक सुझाव यह देना है कि इस डिपार्टमेंट की कई सड़कें बहुत दूर तक गयी हैं और उन सड़कों के किनारे कुछ जगहें ऐसी हैं, जिनको वहां के लोग अपनी जरूरत के लिए लेना चाहते हैं, परन्तु वे उन्हें नहीं मिल पाती हैं। अगर वे जगहें वहां के लोगों को मिल जायें तो वे अपनी छोटी-छोटी दूकानें तथा कल कारखाने बना कर खोल सकते हैं। उदाहरणार्थ मैं बतलाऊं कि गरम पानी में एक आदमी जो बहुत ही गरीब है, वह ६, ७ साल से इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि उसे वह जमीन दे दी जाय जिसके दक्षिण तरफ बदरीदत्त की दूकान है। वह जमीन

[श्री खुशीराम]

पी० डब्ल्यू० डी० की है लेकिन उसे नहीं मिलती है। वैसे मैंने भी इस के लिए कहा था तो जंगलात विभाग कहता है कि यह पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन है और पी० डब्ल्यू० डी० के यहां जाने पर वह कहता है कि जंगलात विभाग की जमीन है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक विभाग से मेरी प्रार्थना है कि जिस कार्य से वहां की जनता का हित हो वह कार्य उसे करना चाहिए। अगर उन लोगों को २५-३० फीट जमीन भी नहीं मिलती है तो यह बड़े दुख की बात है। माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में वे अपने कार्यकर्त्ताओं को, अपने संचालकों को इस बात की सलाह दे दें कि ऐसी भूमि वहां की जनता को दे दिया करें ताकि उन लोगों को ज्यादा तकलीफ न होने पाये। इसके सिवा और कोई दूसरी सूरत नहीं हो सकती है, और डिपार्टमेंट से तो वहां की जनता को उतना फायदा नहीं है लेकिन कम से कम आप का जो डिपार्टमेंट है, उससे वहां के लोगों को कुछ थोड़ा-सा फायदा हो सकता है और उनकी आर्थिक हालत में कुछ सुधार हो सकता है। मुझे आशा है कि इस के लिए उन लोगों को अवश्य मौका दिया जायगा।

इस के अलावा कुछ सड़कें ग्रामों में ऐसी हैं जिनके लिए काफी लिखा-पढ़ी भी की गयी है और जिनके सम्बन्ध में जिला परिषद् द्वारा भी मांग की गयी है, उन सड़कों का यथाशीघ्र बनना अनिवार्य है। इस के अलावा अल्मोड़ा, पनार में कुछ पुल और सड़कों का कार्य होना बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि जो निर्माण-कार्य अभी हो रहे हैं, उन की तरफ भी पहले खयाल होना चाहिए ताकि वहां की जनता को कोई तकलीफ न हो। इसी उद्देश्य से संविधान के अनुसार इस राज्य की स्थापना हुई है कि जनता की भलाई के लिए, जो आवश्यक कार्य हैं, उनको जल्दी से जल्दी किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का हृदय से स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर, जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, आज निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति चल रही है, वह सूबे की बहुसंख्यक जनता के साथ कुठाराघात कर रही है, क्योंकि जहां ९० फीसदी आदमी बसते हैं, उनके लिए बहुत ही कम रुपया खर्च किया जाता है। ज्यादातर रुपया शहरों की सड़कें चौड़ी करने के लिए और सड़कों को सजाने के लिए खर्च किया जाता है। इसके लिए कहीं कहीं बहंगी पर फूल लगाये जाते हैं और न जाने क्या-क्या किया जाता है लेकिन गांवों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, जब कि सरकार जानती है कि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब गांव और नगरों का आमदरफ्त का सम्बन्ध सुचारु रूप से हो।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जो कार्य निर्माण विभाग के हो रहे हैं वे इतने कमजोर होते हैं कि वह आज बनते हैं और कल टूटते जाते हैं। जितने भी पुल बने हैं उनमें अधिकतर पुलों की यही हालत है। हमारी तहसील में नारायणी नहर पर जितने पुल छोटे-छोटे बने हैं, जो ब्रांच शाखायें हैं, उन पर जो पुल बनाये गये हैं वह भी टूटते नजर आते हैं। हमारे यहां निचलौल से ठूंठीबारी को जो सड़क जाती है वह नेपाल भारत की सीमा को मिलाती है, उसके लिए पचासों हजार रुपया मंजूर हुआ है, लेकिन वह इस तरह से बनायी जाती है कि साल भर भी नहीं चलती और टूट जाती है, जब कि सरकार यह भी जानती है कि वे नेपाल और भारत के बीच में ऐसी सड़क के बन जाने से धान, लकड़ी और बेत के व्यापार में बड़ी भारी तरक्की हो सकती है, लेकिन वहां के इन्जीनियर लोग ऐसे पुल बनाते हैं जो एक साल बनते हैं और बरसात में बाढ़ आती है और वे टूट जाते हैं। इसी तरह से नौतनवा-ठूंठीबारी सड़क पर २ लाख रुपया खर्च हुआ। उस पर कच्ची मिट्टी डाली गयी और बीच में जो रोहिन, बघेल और प्यास नदियां पड़ती हैं, उस पर पुल न होने से सारा यातायात बन्द हो जाता है और नतीजा यह होता है कि २ लाख रुपया व्यय होने पर भी बरसात में कोई काम नहीं हो सकता।

हमारे क्षेत्र में दो तीन गन्ने की मिलें हैं, जहां पर गन्ना पहुंचाने के लिए सड़कें इतनी खराब हैं कि सीजन में कम से कम दस जोड़ी बैलों की टांगें टूट जाती हैं लेकिन सरकार का उधर कोई ध्यान नहीं है कि जिन सड़कों से जनता का इतना सम्बन्ध है, उसके बैल हिफाजत से रहें। सरकार यह भी जानती है कि आज डेढ़ हजार रुपयों में बैल की जोड़ी लग रही है और किसान का एकमात्र साधन बैल ही है और सरकार का चुनाव चिन्ह भी वही है लेकिन फिर भी सरकार को उन बैलों पर दया नहीं आती। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि महराजगंज–घुघली सड़क जरूर बनवा दी जाय ताकि काश्तकार मिलों में गन्ना ठिकाने से गिरा सकें और उनके गाड़ी और बैल हिफाजत से रह सकें। एक सड़क और है जो शिकारपुर चौराहा से सिन्दूरिया तक नेपाल की सीमा को मिलाने वाली सड़क के बीच में है। यह सड़क पक्की बन गयी है केवल ५ मील का टुकड़ा कच्चा रह गया है। सरकार को वक्त जरूरत को देखते हुये और किसानों की सुविधाओं को देखते हुये उसको अवश्य पक्का बना देना चाहिए।

सरकार के निर्माण विभाग ने गोरखपुर में एक काम और किया है कि जितने छोटे-छोटे कर्मचारी थे जैसे मेट, कुली वगैरह जो १०–१० वर्ष से सड़क पर काम कर रहे थे, उनको करीब करीब २०० की संख्या में गोरखपुर जिले में निकाल दिया है। हम चाहते हैं कि उन सड़कों पर काम करने वालों को, जिनकी सर्विस १० वर्ष की हो चुकी है, मुस्तकिल कर दिया जाय। यह जो भी पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें हैं उन पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर मालियों की तैनाती कर दी जाय तो वह काम में भी लगे रहेंगे और पेड़ों की हिफाजत भी हो जायगी।

जब अंग्रेज हुकूमत करते थे, उनके जमाने में जिस सड़क की पिटाई होती थी, कच्चे कंकड़ों से वह ६ साल चलती थी तो आज की हालत यह है कि बड़ी मुश्किल से २ साल चलती है। उसी साल बनती है और बरसात आते-आते उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। कारण यह है कि जो पिटाई होती है, उसमें अधिकतर मिट्टी का हिस्सा मिलाकर पीट दिया जाता है। ईमानदारी का स्तर इस तरह से गिर गया है कि पैसा ले लेते हैं और सड़क को पास कर देते हैं। इस तरफ सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर यह काम ठीक न हुआ तो सरकार की बदनामी होगी। आज की ही नहीं बल्कि आने वाली संतान भी कोसेगी और न जाने क्या क्या कहेगी।

आप जानते हैं कि खेती-बाड़ी का काम तभी अच्छा हो सकता है, जब किसानों के पास सारी चीजें जल्दी से जल्दी पहुंच सकती हैं जब गांवों से ज्यादातर सम्बन्ध सड़कों का हो जाय। ठेकेदारी प्रथा जो आज कायम है, इसके लिए माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि . . .

श्री अधिष्ठाता—कई माननीय सदस्यों ने कहा है इसके बारे में, उसको न दोहरायें।

श्री दुर्योधन—अब मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि सरकार गांव में ठेके देकर, जहां से जो सड़कें निकलती हैं वहां के इर्द-गिर्द के लोगों को ठेके देकर, उस सड़क का निर्माण करावे और अपने ओवरसियर्स को रखकर काम करावे। छोटी-छोटी सड़कें जो हैं वह गांव सभा के सुपुर्द की जायं और उनको पैसा दिया जाय ताकि वह अच्छी से अच्छी सड़कें बनवा सकें। कुछ ऐसे लोग रखे जायं जो इन कामों को घूमकर देखें। एक्सपर्ट लोग रखे जायं जो जिले के काम को ठीक से देखें। इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स के ऊपर ऐसे अधिकारी रखे जायं।

[श्री दुर्योधन]

रिहाव हमारे यहां एक नदी पड़ती, है जिससे पचासों हजार जनता बरसात के दिनों में अलग हो जाती है। उस पर पुल बना दिया जाय तो जनता को सहूलियत होगी और अधिक से अधिक लकड़ी का व्यापार हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता---समय समाप्त।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए सड़कों का होना नितांत आवश्यक है। और इस ओर सरकार ने अपना कदम बढ़ाया भी है। बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ होने को बाकी है। लेकिन कल से मैं इस विवाद को सुन रहा हूं। एक लम्बी लिस्ट इस सदन में माननीय मन्त्री जी को सड़कों की दी गयी कि वे इन तमाम सड़कों को बनावें। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह देखने की परवाह नहीं की कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में फण्ड का कितना परसेंटेज सड़कों को बनाने के लिए एलाट किया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना दिया गया? जो पहली योजना के लिए एलाटमेंट था, मेरा ख्याल है कि उसमें केवल ६ फी सदी रुपया सड़कों के निर्माण के लिए दिया गया और दूसरी योजना में लगभग ४ फी सदी। आप सोच सकते हैं कि इतने रुपये में हम कितनी सड़कें बना सकते हैं? बावजूद इसके एक लम्बी लिस्ट दी गयी। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि केन्द्रीय सरकार पर इस बात का जोर डाला जाय कि आने वाली तीसरी योजना में हमें अधिक से अधिक रुपया दिया जाय ताकि हम प्रदेश की मांग, जो सड़कों के लिए है, उसे पूरा कर सकें।

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

फिर भी जो कुछ हुआ काफी हुआ। मैं यह भी कह सकता हूं कि जहां इतनी सड़कों की मांग की गयी यह बड़ा मुश्किल होगा किसी भी सरकार के लिए कि उन सब को पूरा करा सके। लेकिन फिर भी विभाग का और मन्त्री जी का यह कर्त्तव्य है कि कम से कम वे सड़कें, जो कि आवश्यक हैं, उनको बनाने में प्राथमिकता दें। यही नहीं बल्कि उन सड़कों का भी जिक्र किया गया जहां पर दूसरे यातायात के साधन मौजूद हैं। मैं तो उस सड़क का जिक्र करूंगा, जो डेढ़, दो लाख आबादी के लिए केवल एक ही सड़क है, न वहां कोई रेल है, न कोई दूसरा रास्ता है। मैं मन्त्री जी का आभारी हूं कि अभी हाल ही में उन्होंने स्वयं जा कर उस क्षेत्र में उस सड़क की दशा देखी और जनता की आवश्यकता को समझा और उन्होंने इस बात का एलान किया कि यह सड़क जरूर बनेगी। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह कह देना कि कुछ हुआ नहीं गलत है। यह सही है कि किसी काम में देर हुई हो, यह सही है कि कोई काम हम किसी कारण से न कर सके हों, चाहे रुपये की कमी हो या कुछ विभागीय दिक्कतें हों जैसे एस्टिमेट्स के सैंक्शन होने में देरी आदि। उनको तो मन्त्री जी ने नोट कर लिया होगा।

मैं उनका ध्यान बहराइच-भिनगा रोड पर एक पुल की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। वह है भकला पुल। मुझे मालूम हुआ है कि उस पर लोहे के पीपों का पुल का विचार किया जा रहा है। लेकिन वह पुल वहां की जनता की आवश्यकताओं को पूरा न कर सकेगा, क्योंकि बरसात में वह पुल नहीं रहता और बरसात में उस दरिया की जो दशा है उसको देखते हुये वहां पर पक्के पुल की सख्त आवश्यकता है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि साढ़े तीन लाख रुपया इस लोहे के पीपों के पुल पर खर्च होगा। इस के साथ-साथ कुछ अपनी बचत से लगा करके पक्के ही पुल का निर्माण अगर शुरू कर दें तो जनता की तकलीफ दूर हो जायगी और साथ ही साथ आसानी भी है। यदि गाइड बंध बना करके उस पर काम चालू कर दिया जाय तो मेरा अनुमान है कि ९, १० लाख रुपये में पक्का पुल तैयार हो जायगा जिससे जनता को काफी सुविधा हो जायगी जब कि उस पुल और उस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा

रास्ता नहीं है। यह मैंने इसलिए कहा कि कल से जो मैं बहस सुन रहा हूं उनमें, उन सड़कों का भी जिक्र किया गया, जो सड़कें केवल सड़कों के लिए मांगी गयी हैं, जहां आने-जाने के दूसरे साधन हैं, रेल भी जाती है और फिर भी उन सड़कों की मांग है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जब वे तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाना शुरू करें तो इस बात पर विचार रखें कि किन-किन सड़कों को प्राथमिकता दी जाय। एक सिद्धान्त के ऊपर तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जाय इससे बहुत कुछ सुविधा हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त जिले में जो परामर्शदात्री समिति बनायी गयी है उस ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं समझ पाया कि इस परामर्शदात्री समिति का क्या कर्त्तव्य है और क्या उसके अधिकार हैं? केवल बैठ कर थोड़ी देर किसी बात के ऊपर चर्चा कर लेना समिति का कर्त्तव्य नहीं हो सकता। उसको कुछ काम सौंपना चाहिए और कुछ सुपरवाइजरी पावर्स उसको देना चाहिए जिससे वे तमाम शिकायतें जो सदन में हम सुन रहे हैं उनका मौका न हो। यह भी है कि शिकायतें जितनी बढ़ा-चढ़ा कर की गयी हैं, उतनी हैं नहीं। जिन दिक्कतों के अन्तर्गत रह कर विभाग को काम करना पड़ता है, अगर उनको समझा जाय तो फिर शायद इतनी शिकायत करने का मौका उनको नहीं होगा। यह सही है कि एक काम करने का ढंग होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटी-छोटी बातों पर आब्जेक्शन लग जाता है तो प्रोसीजरल डिलेज जो होती हैं, उनमें दिक्कत होती है और जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिहाजा कुछ ऐसा किया जाय कि जो एस्टिमेंट्स को सैंक्शन करने का प्रोसीर है, उसमें डिले न की जाय। कार्यशैली कुछ इस तरह से निर्धारित की जाय।

इसके अलावा हमारे जिले की दशा कुछ अजीब सी है। नेपाल की तराई में पड़ा हुआ तथा नेपाल बार्डर से मिला हुआ यह जिला है। वहां पर सड़कों की अधिक आवश्यकता है और बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो नेपाल बार्डर को मिलाती हैं। उनका बनना इस वास्ते आवश्यक है कि वे दूसरे मुल्क को मिलाता है। जो बहराइच-भिंगा रोड है, उसको सिरसिया तक बढ़ा दिया जाय, ताकि जो नो मैन्स लैण्ड है उससे वह मिल जाय और राजनीतिक तथा प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी इसकी आवश्यकता है। अब दूसरी सड़क है बहराइच-मल्लीपुर, उसे भी बनाने की आवश्यकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक फेहरिस्त तैयार की गयी है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि प्राथमिकता किसको दी जाय? जो सड़कें बहराइच जिले की हैं उनको मेहरबानी करके अन्तरिम जिला परिषद् को फिर से भेज दिया जाय ताकि उन सड़कों की प्राथमिकता को निर्धारित किया जा सके।

यह कहना कि कुछ काम नहीं हुआ है यह तो वास्तव में सच्चाई पर धूल डालने के बराबर है। थोड़ी सी जो हमारी कठिनाइयां हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। हमारे पास कितनी शक्ति है, उस पर भी ध्यान रखना है और उन तमाम कार्यों की ओर ध्यान देना है जिनके कारण आज हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ हमारी सरकार ने किया है वह कम नहीं है। और इन सब बातों को देखते हुये अवश्य ही सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस अनुदान को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों को जो चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे विरोधी दलों के हों, जिन्होंने मेरे कट-मोशन के समर्थन में या उसके विरोध में जो कुछ कहा है, बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़े सुन्दर सुझाव भी दिये हैं जिससे कई बातों पर रोशनी पड़ी।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

श्रीमन्, मुझे इस विषय में कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर और उधर दोनों तरफ के बैठने वालों में प्रायः सभी ने मेरा समर्थन किया। एक आध बातें कुछ भाइयों ने शायद मोनोटनी तोड़ने के लिये कहीं। एक भाई ने कहा कि मोहिनजोदड़ों और हरप्पा का इतिहास पुराना है, उससे आज का कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो महज रोड विकास के नाते यह सब कह रहा था लेकिन एक बात उससे जरूर उठती है कि साढ़े ३ हजार वर्ष पूर्व जो सड़कें बनी थीं उनके भी आज चिह्न मौजूद हैं। एक कवि ने कहा है

"A thing of beauty is a joy for ever."

तो एक तरफ यह चीज है और दूसरी तरफ आज ही सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई बिल्डिंगें हाल में बनीं नहीं कि टूट गयीं, जैसे नैनीताल में डिग्री कालेज की छत बनते ही टूट गयी थी या अल्मोड़े जिले में भूकम्प आया तो नवनिर्मित कपकोट ब्लाक की कई बिल्डिंगें टूट गयीं जब कि देहात के मकान वैसे ही रहे। तो आज कल यह हालत है। इसके अलावा, मेरा खयाल है कि माननीय मंत्रीजी ने कुछ साल्ट डालने के लिये ही वह बात कही होगी, नहीं तो वह वकील आदमी हैं ऐसा कैसे कह सकते थे? कहा गया कि अगर ग्रांट बढ़ाने की बात है तो फिर कटमोशन क्यों और यह विरोध क्यों? मैं क्या बताऊं यह तो संसदीय पद्धति है। अगर हम यह कटमोशन न लाते तो फिर आप कैसे कहते कि हमारे यहां की सड़कें बनाओ, पुलिया बनाओ और मंत्री जी कैसे बताते कि हमने यह यहां किया। वैसे तो आप कह सकते हो कि विरोधी पक्ष की जरूरत ही क्या है। मगर बगैर हमारे रहे आपके गुणों की परख कौन करेगा?

'हमीं जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल
किसे देख कर आप शर्माइयेगा।'

अगर हम यह न करते तो स्वयं उन सदस्यों को, जो कांग्रेस के होते हुए अपनी मांग रख गये, बोलने का मौका ही नहीं रह जाता और दिल के अरमान दिल ही में रह जाते।

माननीय खूबसिंह ने कहा कि पी० डब्लू डी० के यह माने नहीं हैं जैसा विरोधी कहते हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं कि जो पी० डब्ल्यू० डी० के गलत माने अपने तर्क से लगायें। यह नामकरण "Plunder without danger" माननीय गोविन्द सहाय जी ने किया है, हमने नहीं। अब एक बिजनौर के माननीय सदस्य एक अर्थ लगायें और दूसरे बिजनौर के माननीय सदस्य दूसरे अर्थ लगायें, इसी तरह कामों के बारे में बनारस के कांग्रेसी सदस्य झगड़ें तो यह बिजनौर और बनारस के झगड़े हैं, इनमें हम नहीं पड़ेंगे।

एक बात यह कही गयी कि शहरों की तरफ सरकार की ज्यादा तवज्जह है। यह बात दोनों तरफ के बैठने वालों ने कही। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शहरों की बिल्डिंगें चाहे जितनी बड़ी हों उनके बनवाने में जरा देर नहीं लगती लेकिन देहात की बहुत जरूरी सड़कें पड़ी रह जाती हैं।

एक बात और कह दूं आजकल वेस्टेज विधायक निवासों में बहुत हो रहा है। ओल्ड कौंसिलर्स रेसीडेन्स में हाल ही में बाथ रूम बने उनमें, नया प्लास्टर चढ़ाया गया और एक महीना भी नहीं हुआ कि उसे उखाड़ कर अब मोजेक चढ़ाया जा रहा है। इसके लिये सबूत की जरूरत नहीं है एक बार तशरीफ ले जाइए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० मैनुअल पुराने जमाने का है और आज के विकास के युग की उसमें कोई बात नहीं है। इसलिये इसमें परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा जो सड़कें वगैरह बनती हैं उसमें जब हम लोग कुछ कहते हैं तो इंजीनियर लोग कहते हैं कि तुम लेमैन हो, क्या जानो लेकिन हम देखते हैं कि एक आध फर्लांग चक्कर जरूर ज्यादा लगता है जबकि कम चक्कर से सड़क आसानी से जा सकती थी।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १५५ ३४--लेखा शीषक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ५०--क-राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत, अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ५०--लेखा शीषक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

इसके अलावा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट्स के बारे में बहुत से दिनों से कहा जा रहा है कि एक शोभा की वस्तु है महज पोस्ट आफिस का काम यह करते हैं। सभी की राय है कि यह एक Superfluous post है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिये मैं जरूर धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस एक ही विभाग में ४-४ चीफ इंजीनियर नहीं रखे गये हैं। मगर इन S.E.S. का रक्खा जाना इस दिशा की ओर एक पग है। इसके अलावा श्रीमन्, देखा गया है कि ओवरसियरों का बनाया हुआ ही ऐस्टीमेंट आरंभ से अन्त तक चलता है। उसी पर असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एस० ई० और चीफ इंजीनियर की सैंक्शन की मुहर लग जाती है और वही विभाग द्वारा फाइनेन्स को भेजा जाता है और उसी की सैंक्शन मिलती है मेरे कहने का मतलब यह है कि इंजीनियरों की Higher Technical Knowledge का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ? इस कमी को पूरा किया जाय।

श्रीमन्, एक बात और है कि मार्च में सारे खर्च होने लगते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि रुपया लैप्स न हो इसके लिये कोई ऐसा फंड बना दिया जाय जिसमें वह रुपया जमा हो जाय और तीन साल तक लैप्स न हो और ए० जी० की तरफ से जवाब तलब न किया जाय। आप अन्त समय में रुपया दे देते हैं। बेचारा इंजीनियर क्या करे ? श्रीमन्, उचन्त की बात आती है। ससपेंस के नाम से बड़ी गड़बड़ी होती है। इसकी जांच की जाय और ए० जी० से लिखा-पढ़ी की जाय। स्टाक का वेरीफिकेशन नहीं होता है जिससे सामान चोरी से बिकता है। सीमेन्ट जब खुले बाजारों में नहीं मिलती थी तो घरों में उन दिनों भी अत्यधिक सीमेन्ट कहां से लगाई गई ? यह आंखों से देखने की बात है क्योंकि सरकार तो उस समय परमिट देती नहीं थी। उस समय घर कहां से बन रहे थे स्टाक के वेरिफिकेशन व कामों के sample-analysis के न होने की वजह से यह चीज हुई।

श्रीमन्, जिलों में जो आपकी पी० डब्ल्यू० डी० की कमेटियां हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि वह एक शोभा की चीज ही रह गई हैं। उनमें ज्यादातर एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० ही हैं और ऐसे मौके पर मीटिंग होती है जब हम नहीं जा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इनको खाली शोभा की चीज न बनाकर सुपरवाइजरी पावर्स भी दी जायं। जैसे किसी ठेकेदार की नाप पूरी न हुई हो तो अदायगी रोकी तो नहीं जाती, आदि कार्य उसे देखने का अधिकार इस कमेटी को होना चाहिए। इकरारनामा हिन्दी में छापा जाय। ठेका बिलकुल डिपार्टमेन्ट के पक्ष में होता है। ठेकेदार से होनेवाले इकरार-नामे अंग्रेज के जमाने के बने हैं जब परिस्थिति एकदम दूसरी थी। वह एकतरफा है। उसमें सारी शर्तें ठेकेदार के खिलाफ होने से उसे,सही या गलत, हर मामले में दबना पड़ता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर ठेकेदार १० प्रतिशत न दे तो वह हर समय विभाग के अधिकारियों के चंगुल में रहता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इकरारनामे में जो शर्तें हों उनमें बराबरी के अधिकार दोनों को हों ताकि उसको दबना न पड़े।

अंत में मैं पूछना चाहता हूं जो मैंने कल भी कहा था कि उस बात का पता लगाया जाय कि जो २० बारजेज खरीदे गये थे क्या वह नदी के लायक नहीं थे ? मैं यह कहना चाहता हूं कि ४७-४८ में ....

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री महावीर सिंह)--श्रीमन्, पी० ए० सी० में यह मामला अंडर कंसीडरेशन है और मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में जब कि इसकी सुनवाई होनी है तो यहां पर इसको उठाना कहां तक उचित होगा, इसके लिये आप व्यवस्था दें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं, यह जनता कह रही है। I am not commenting but only putting the facts."

श्री अधिष्ठाता--मैं कहता हूं कि जो मामला पी० ए० सी० के विचाराधीन है, उस पर माननीय सदस्य न बोलें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--इतना मैं जरूर कहूंगा कि मंत्री जी एक प्रिविलेज के पीछे जा रहे हैं। लेकिन यह किसी में हिम्मत नहीं है कि वह माई का लाल आगे आये और कह दे कि उस मंत्री ने ४.८० लाख का भ्रष्टाचार नहीं किया है ।

इधर पहाड़ों की ओर आज विशेष रूप से तवज्जुह देने की जरूरत है। इसलिये नहीं कि वहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है बल्कि इसलिये कि चीनी रुक जायं। आज हम देखते हैं कि अश्व मार्ग के लिये बहुत सा रुपया रखा गया है। तमाम जगह मोटर मार्ग बन रहे हैं तो आज के युग में घोड़े का मार्ग बनाना यह कोई माने नहीं रखता है

अल्मोड़ा-बाड़ेछीना-झूलाघाट अश्व मार्ग बन रहा है इस प्रकार पहले अश्व मार्ग बनाएं और फिर मोटर मार्ग बनाएं, यह डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिये । दोड़म भनोली, पौधार, देवीधुरा-जैंती मोरनोफा मार्गों ला शीघ्र बनना जरूरी है ।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया। मैंने माननीय मंत्री जी से भी ज्यादा नहीं कहा है। वह अपनी तरफ बैठने वालों का ही जवाब दे दें तो काफी है ।

***श्री गिरधारीलाल**---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल से बहस सुनी। मैं सभी वक्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने इस विभाग के ऊपर एक वर्ष के बाद आज फिर अपने तजुर्बे से फायदा पहुंचाने की कोशिश की ।

इसमें कई एक चीजें हैं। यहां पर टर्म्स के बारे में एक प्रश्न उठाया गया। पहले मैं उस सम्बन्ध में इतना कह देना चाहता हूं कि यह प्रश्न इस प्रकार है, जिसकी फाइल पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने तलब की है। मेरे दोस्त माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट भी उस कमेटी के मेम्बर हैं। वह जब तक उस प्रश्न को वहां पर हल न कर लें तब तक उसको यहां पर लाना मुनासिब नहीं था। वह ले आये लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि उस सिलसिले में कोई बात मैं यहां कहूं ।

जहां तक अन्य बातें हैं उनके सिलसिले में कई प्रकार की बातें कही गयीं। एक बात यह कही गई कि जो काम हमारे प्रान्त में हो रहा है उसे बजाय ठेकेदारी प्रथा के सरकार खुद अपने आप करे । मैं उस राय से बिलकुल सहमत हूं जहांतक ख्वाहिश की बात है लेकिन जिस वक्त उस चीज को कार्यान्वित किया जायगा तो यह सोचने की चीज है कि हम कहां तक सफल होंगे । मैंने पहले भी मिसाल के तौर पर यह कहा था कि हमारे दोस्त छोटे और बड़े सब तरह के काम करते हैं। अगर कुछ कामों को हम अपने नौकरों पर छोड़ दें और यहां आकर असेम्बली में या बाहर काम करें तो मैं जानना चाहूंगा कि उनको कहां तक सफलता मिलेगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैंने खेती-बारी के सिलसिले में सुना है कि नौकरों के जरिये से खेती कभी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जो नौकर काम करता है, उसका पर्सनल इसेंटिव कुछ नहीं होता है। उसको अपनी मजदूरी से मतलब है, काम चाहे जैसा हो। इसी प्रकार अगर हम सरकारी मशीन से काम करवाएं तो इसके बहुत खतरे हैं। मैंने बतलाया कि एक तरीके से स्टेट मैनेजमेंट है। इस युग के अन्दर, चाहे इसको कैपिटलिस्टिक समाज कहिये या कुछ कहिये, इसको हम डिस्इंटरेस्टेड सिस्टम कहा करते हैं यानी काम के संचालन में कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है। वह दस बजे आये और चार बजे चले गये। क्या बिगड़ रहा है या क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। दुनिया भर में हर स्थान पर जितने भी बड़े-बड़े काम हैं, सब इसी तरीके से होते हैं। वह सरकार की ओर से या पार्टी की तरफ से चुनौती होती है कि जो कोई भी इस काम को करने के लिये तैयार हो वह आगे बढ़े। जो भी कोई चाहता है, वह आगे आता है, उस काम को अपने हाथ में लेता है और बहुत से लोग आते हैं। कम्पटीशन उनमें होता है, जिसको वह पार्टी मुनासिब समझती है, काम से कम दर के ऊपर उसको वह देती है और इस तरह से काम होता है। तो इस ठेकेदारी प्रथा को एक नेसेसरी इविल समझ करके चलाना पड़ता है। इसके सिलसिले में मैं एक बात और भी कह दूं कोआपरेटिव सोसाइटीज का किस्सा, जैसा मैंने पहले भी बताया, वही तरीका थोड़ा बहुत हो सकता है। उसमें भी यहां पर हमारे भाई इस वक्त नहीं हैं उनको तो उसमें भी खतरा मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि केरल के अन्दर एक पार्टी का ऐसा प्रभुत्व उसके ऊपर कायम हो गया जिससे उनको खतरा मालूम पड़ने लगा। तो मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि उनको इस बात से घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बहुत स्लो और स्टेडी तरीके से,आहिस्ते-आहिस्ते इसको चलाना शुरू किया है और इसी वास्ते छोटे छोटे काम, दो हजार से लेकर सात या आठ हजार रुपये तक के काम उन सोसाइटीज को दिये जाते हैं और कुछ जिलों में जहां पर कि ऊपर के कर्मचारियों ने दिलचस्पी ली वहां पर उस तरह से कार्य हुआ और उसके अन्दर सफलता हुई, मजदूरों का फायदा हुआ। मजदूर अपने पावों पर खड़ा होना सीखे और स्वावलम्बी तथा सफल हुए।

इन बातों के अलावा भ्रष्टाचार और करप्शन के सिलसिले में कई एक बातें कही गई। बहुत दूर तक कुछ लोगों ने कह दिया और कुछ भ्रमित प्रकार के लोगों ने तो जैसे एक मदारी किसी मरे हुए सांप को जिन्दा करने की कोशिश करता है उसी प्रकार विभागों की आत्माओं को कभी इधर खड़े होकर, कभी उधर खड़े होकर जिन्दा करने की कोशिश की। लेकिन इस तरह से चारों कोनों से कोई आत्मायें जिन्दा नहीं हुआ करतीं। आत्मायें जिन्दा हैं। जिन्दा हैं तभी वह आत्मायें विभागों के साथ चलती हैं। मैं इस बात को बतला देना चाहता हूं कि आज भी जो खामियां और कमजोरियां हैं उसके लिए हुकूमत पूरी तरह से सतर्क है और सजग है और उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। उसमें वह सफल भी हुई है। मेरा दावा है कि जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है, मैं यह नहीं कहता कि उसमें कोई कमियां और खामियां नहीं हैं। ब्लैकशीप्स हमेशा होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम आज वह सब की सब खराबियां हैं। टेक्निकल शेल ऊपर रखे गए। इसके दो काम हैं। इस प्रकार के टेक्निकल शेल से मैं समझता हूं कि बहुत-सी खराबियां दूर हुई और हो रही हैं। यह सही है कि बहुत से ठेकेदार और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि आपको शिड्यूल रेट्स बढ़ाने

[श्री गिरधारी लाल]

पड़ेंगे। तो इसकी मुझको कोई चिन्ता नहीं है। मैं चाहता हूं कि काम सफाई के साथ हो। इस प्रकार इस टेक्निकल शेल से बहुत काफी फायदा हुआ है। यह इस प्रकार की व्यवस्था है जो कि भ्रष्टाचार को बहुत दूर रखती है। इसके अलावा और कुछ खराबियां हैं जिनके लिये मैंने आप से कहा कि कोई मुझे इसका इलाज आप बताइए। सरकार इसके लिये आपकी एहसानमन्द होगी और सरकार ही नहीं पूरा समाज एहसानमन्द होगा, क्योंकि वह तो मर्ज है एक इस प्रकार का। मैं इस बात से सहमत हूं कि उसके लिए मेजर आपरेशंस की जरूरत है। लेकिन वह आपरेशन कैसे होगा? कौन लोग करेंगे?

इसके अलावा हमारे दो एक साथियों ने यह भी कहा कि प्लानिंग सड़कों के मामले में नहीं है। मैं समझता हूं इस विभाग के अन्दर जिस खूबसूरती के साथ, जिस सुन्दरता के साथ प्लानिंग होनी चाहिए उसी खूबसूरती और सुन्दरता के साथ प्लानिंग हुई है। आपका मतलब था कि सड़कें एक जिले से दूसरे जिले तक सम्बन्धित हों, और सूबे का एक कोना दूसरे कोने से सम्बन्धित हो। उसके बाद एक जिले का हेडक्वार्टर है, वह हर तहसील से सम्बन्धित हो और हर तहसील अपनी गांव सभा से या जो वहां के ब्लाक्स वगैरह हैं, उनसे सम्बन्धित हो और उसी हिसाब से उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिये। जितनी सड़कें हमारे प्रान्त में बन रही हैं, वह इसी प्रायोरिटी से चल रही है। इसमें १४ प्रायोरिटीज हैं। पहले इन सड़कों को बनाया जा रहा है। कुछ और कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या गन्ना मिल क्षेत्रों में आवश्यक सड़कें हैं, उन सड़कों को बनाया जा रहा है। यह नहीं कि किसी मेरे दोस्त ने सिफारिश कर दी और हमने उसको उठाकर उसमें रख दिया और उसके हिसाब से काम चलने लगा। ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में तो यह सदन हर क्षेत्र की नुमायन्दगी करता है। हर एक जिले की अपनी जरूरत है। उन जरूरतों को देखते हुए हम इस काम को करते हैं। प्रान्त में सड़कों की कमी है। हम चाहते हैं कि जितनी सड़कों की कमी है वह दूर हो। इस तरीके से हमारे पूरे प्रान्त के अन्दर यह सड़कें फैली हुई हैं और बन रही हैं। इसके अन्दर ऐसी बात नहीं है कि कोई अनप्लान्ड चीज हो।

यहां पर बिल्डिंग और भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कहा गया तो मैं नहीं समझा कि स्टैंडर्डाईजेशन का क्या मतलब है। हमारे यहां २, ३ तरीके से स्टैंडर्डाईजेशन होता है। सूबे में जितने अस्पताल हैं, जितने कालेज हैं, जितने स्कूल हैं, जितने थाने हैं, उन सब के डिजाइन बने हुये हैं। उसमें उस स्थान के हिसाब से थोड़ी बहुत कमी-बेशी करके बनते हैं। मैं समझता हूं जिस हिसाब से यह बन रहे हैं उस को यह सदन मन्जूर करेगा और इससे सहमत होगा। इसके अलावा जितने भवन हैं, सरकारी अफसरों के लिये वह उनके वेतन के हिसाब से हैं। जैसा सरकारी अफसर है, हेड आफ डिपार्टमेंट है तो उसका भवन उसी हिसाब से होगा और उसी प्रकार से बनेगा। उसी तरीके से वह नीचे की तरफ आता चला जाता है। समाजवाद में भी बूढ़े और बच्चे बराबर नहीं हो सकते हैं। जो बड़ा अफसर होगा उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी और जो छोटा होगा उसके ऊपर कम जिम्मेदारी होगी। अगर हमारे दोस्त इसमें कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। जैसे सिविल सर्जन के लिये स्टैंडर्डाईज्ड कास्ट ३६ हजार रुपया है। डिस्ट्रिक्ट जज के लिये ५२ हजार है और सिविल जज के लिये २७,३०० रुपया है। इस बात पर मतभेद हो सकता है कि रुपया कम ज्यादा होना चाहिये लेकिन जहां तक स्टैंडर्डाइज्ड करने की बात है उसमें दो राय नहीं हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरीके से इन तमाम बातों के सम्बन्ध में जो भ्रम है, वह दूर कर देना चाहिये।

एक बात यह कही गई कि जो रुपया भवन निर्माण के कार्य में लगता है वह सब सब का सब रुपया वहां से हट कर सड़कों के ऊपर आ जाय। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो लेकिन जैसा सब को मालूम है भवन दूसरे विभागों के होते हैं यदि कोई अस्पताल है

वह ठाकुर साहब के विभाग से सम्बन्ध रखता है। कोई कालेज है तो वह एजूकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। उनका विभाग जिस चीज की जरूरत है और जिस चीज की जरूरत को प्रेस करता है पहले उसका डिजाइन मन्जूर कराते हैं, फिर जाकर निर्माण करते हैं। वह रुपया केन्द्रीय सरकार से या और कहीं से आता है। जिस तरीके से वे बनते जाते हैं उसी तरीके से खर्च होता चलता है। उसमें हम दखल नहीं दे सकते। जिस स्थान पर उसकी जरूरत है, वहां पर उसका निर्माण हो रहा है।

एक बात यहां पर यह कही गई कि जैसे यहां पर नीचे तकलीफ होती है तो पहाड़ों पर भी शायद उसी तरह की तकलीफ हो। इस सम्बन्ध में विष्ट जी ने कहा कि जो इन तीन जिलों को अलग कर दिया गया है इससे तकलीफ सम्भवतः वहां पर हो। वास्तव में अलग करने का संबंध डिफेंस डिपार्टमेंट से है। उनका यह आदेश हमारे यहां आया और उसके हिसाब से हमने उसका इंतजाम किया। लेकिन आदेश उनका है और उसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते। लेकिन यह जरूर है कि इसके जरिये से वह इलाका जो सही मानों में एक अछूत इलाका बना हुआ था, जैसे हिन्दू समाज में परिगणित जाति है उस तरह से, वह अब सुधरेगा और उन्नत होगा और मैं समझता हूं कि ३० या ३५ करोड़ रुपया वहां भवनों और सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। इस तरह वहां काम हो रहा है और वहां के रेट्स रिवाइज करने की जो बात की गयी, वह वहां की परिस्थिति के हिसाब से जरूर रिवाइज किये जायंगे।

इसके अलावा मैं दो एक बातों पर और रोशनी डालना चाहता हूं। एक बात यह कही गयी कि इस विभाग में परिगणित जाति के लोग क्यों नहीं रखे गये। यह भी कहा गया कि चपरासी क्यों नहीं रखे गये। हमारे यहां से इस बात की हिदायत दी गयी है कि जो स्थान भी खाली हों उन पर परिगणित जाति के लोगों को रखा जाय। मुझ को पता नहीं कि ५०० या १,०००, कितने चपरासी काम करते हैं, लेकिन उनको निकाल कर अपने लोगों को नौकरी दिलाना महज इसलिये कि मैं अपने दोस्तों को दिखला दूं कि हम हरिजनों के खैरख्वाह हैं, यह नहीं किया जा सकता। परसेन्टेज पूरा किया जायगा और उसके लिये हम जिम्मेदार हैं। (व्यवधान) मुझे खुशी है कि उनके लिये आपको दर्द है लेकिन जितना दर्द आपको है उतना ही कम से कम मुझे भी है और उनके लिये कोशिश की जा रही है। इस विभाग के साथ ही और दूसरे विभागों में भी और जो आपके घरों में कर्मचारी हैं उनके अंदर भी यह समाज पहुंचे और सब की सेवा करे, इसके लिये कोशिश है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, एक कमेटी बैठी है, पहले भी जिक्र किया गया था, कि जो नौकरियां पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर की हैं वह किस प्रकार हम इस वर्ग के लोगों को दिलायें, इस पर विचार हो रहा है। इसी बहाने से इस प्रश्न पर विचार किया गया और प्रकाश पड़ा, यह अच्छी बात है और गरीबों का इससे फायदा होगा। हम लोग इस दिशा में काफी सजग हैं, सचेत हैं और पी० डब्ल्यू० डी० में और इरिगेशन में और दूसरे महकमों में भी इसके लिये कोशिश की जा रही है।

एक बात कुछ गलतफहमी के आधार पर कह दी गयी और उसका मुझे दुख है। मेरे दोस्त श्री चन्द्रसिंह रावत से मेरी मुलाकात शायद एक वर्ष से नहीं हुई। एक बार शायद वह और मैं किसी दोस्त की दावत में मिले थे और वहां दुआ बंदगी हुई थी, लेकिन इस बीच में शायद मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्वेश्चन। एक साथी यहां बैठे हैं, मैं उनके साथ मिला था।

श्री गिरधारीलाल---मैंने जैसा कहा, मुझे यही याद पड़ता है। अगर आप पहुंचे थे तो मुझे उसके लिये दुख है। बाकी आप क्रिमिनल ला के वकील हैं। अगर वह मेरा इम्पीचमेंट करना चाहते हैं तो घर में, पार्टी में बैठकर कर सकते हैं और बड़ी खुशी के साथ कर सकते हैं।

इसके अलावा और भी कई बातें कही गयीं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। लीपूलेक से काला पानी तक जो सड़क बन रही है उसके बारे में आप क्या सफाई देते हैं?

श्री गिरधारीलाल---लीपूलेक और कालापानी वाली सड़क का जिक्र किया गया, तो वह सड़क भी थी लेकिन पहले ब्राइडल पाथ हमारे प्रोग्राम में थी। उस तरफ का हिस्सा खराब था और उसको साफ कराया गया। इसमें थोड़ी सी गलती जरूर हुई लेकिन इधर से जब यह सड़क बनेगी तो बीच में अगर इस प्रकार का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है तो उसको भी साफ कर दिया जायेगा।

एक बात यह कही गयी कि फलां जिले में तमाम सड़कें बन गयीं और फलां जिले में नहीं बनीं। पुलों के लिये भी कहा गया। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि यह कहना गलत है, जहां जहां काम होने चाहिये हमें उसका ध्यान है और करते हैं। अब पुलों का डिजाइन वगैरह गवर्नमेंट आफ इंडिया पास करती है और ज्यों ही वह जल्दी से जल्दी आयेंगे काम शुरू किया जायेगा।

दारुलशफा के बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। मुझे तो यह इत्तला मिली है कि वहां पर कुछ नहीं है, वहां कोई इस प्रकार की सड़क नहीं है जो टुकड़े-टुकड़े हो गयी हो। यह जरूर है कि वहां जो सीमेंट पाथ बना है उसमें ३०-३० फुट के टुकड़े होते हैं और उनके बीच में तारकोल लगा दिया जाता है। वैसे तो जबान में शक्ति है, जो चाहे आप कह दीजिए, उसको कोई रोक नहीं सकता, किन्तु अगर वहां पर कोई ऐसी बात थी, तो आप भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं, आप ही वहां पर रहते हैं, आपको भी काफी अधिकार है, आपको चाहिये था कि उन कमियों को आप संबंधित अधिकारियों के सामने लाते। आपको स्टेट आफिसर की नोटिस में वह बातें लानी चाहिये थीं। हर वक्त आपका उनका साथ रहता है, आप उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। आप उस चीज को उनकी नोटिस में ला सकते थे।

यह भी कहा गया कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अन्दर नया कन्ट्रीब्यूशन आर्कीटेक्चर का नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जितने भी हमारे प्रान्त के अन्दर भवनों का निर्माण हुआ है वह वहां की जरूरतों के हिसाब से हुआ है और आधुनिक आर्कीटेक्ट के हिसाब से हुआ है। बगैर उसके निर्माण नहीं हुआ है।

दूसरी बात यह कही गयी कि उसमें काफी सस्ता करने की जरूरत है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि जितना सस्ता करना मुनासिब था और हो सकता था उतना किया गया है। दीवालें जो हैं वे पतली कर दी गयी हैं। उसकी चुनाई जो है वह पहले चूने और बजरी से होती थी, अब उसके स्थान पर वह गारे से की जाती है और ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है। उसके बरामदे भी छोटे कर दिये गये हैं। उसके हर कमरे में जो मोजैक का काम होता था वह भी बन्द कर दिया गया है और साधारण सीमेंट का ही फर्श बना दिया जाता है। इस तरह से जितनी किफायतशारी की जा सकती है उतनी की गयी है और की जा रही है।

एक बात बार बार यह कही गयी कि अंग्रेजों के जमाने की जो इमारतें हैं, जो पुल हैं, वे अभी तक चल रहे हैं। उनकी मिसाल दी गयी है। उनके जमाने के पुल अभी तक टिके हुये

हैं लेकिन आपके जमाने में जो मकान बनते हैं, पुल बनते हैं, वह जल्दी ही गिर जाते हैं। उन्होंने उसकी मिसाल दे दी। लेकिन वे कितने थे ? इस लखनऊ के अन्दर सैकड़ों मकान होंगे। अब उसके अन्दर दो एक मकानों की मिसाल दे दीजिये कि यह जो आपकी इमारत है और इसी प्रकार और दो चार इमारतें होगीं, वह हजारों वर्ष चलेंगी। यह ठीक है। इन्हीं चीजों को लेकर उस वक्त के लोग शायद इस बात को कहें कि यह पुराने जमाने के मकान तो अपनी जगह पर कायम हैं और आज के बने हुए गिर पड़े। तो मैं यह कह रहा था कि हम जो भी बात कहें उस पर थोड़ा सा और विचार कर लिया करें तो उससे काफी मुहकमे के कर्मचारियों की हिम्मत बढ़ सकती है।

रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलसिले में भी कुछ कहा गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे प्रान्त के अन्दर निर्माण के काम के लिए और सड़कों के निर्माण के जितने भी काम हैं उसके लिए हर तरीके से विचारता है और रिसर्च करता है। उसको देखने के बाद जितने भी तजुर्बे होते हैं उनके आदेश अपने तमाम सरकारी कर्मचारियों को देता है, उसके हिसाब से हर साल काम होता है। हमारे एक दोस्त ने कहा था कि उसकी जानकारी उन्हें भी होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। वह रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर है, गवर्नमेंट हाउस के ठीक सामने; मेरी दावत है कि वह किसी भी वक्त उसको जाकर देख सकते हैं। वहां इस प्रकार के बहुत से काम हैं जिनको देख कर हमें काफी लाभ होगा।

किसी साहब ने मुकहमे के अन्दर जो कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने के विषय में भी कहा। सो, मैंने जैसा पहले कहा कि यह जितने भी इंजीनियरिंग विभाग हैं यह एक्सपैंडिंग विभाग हैं, आज उनमें काम है, कल को सम्भव हो सकता है कि उनमें काम न हो। तो ऐसे कामों के लिए तो सोच-समझ कर एक कैडर मंजूर करना पड़ता है और जो परमानेंट कैडर होता है उसके हिसाब से लोगों को मुस्तकिल किया जाता है, बाकी सब गैर-मुस्तकिल, अस्थायी हुआ करते हैं।

यही बात वर्क चार्ज की है। उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जितने गैंग वगैरह काम करते हैं उनके कोई सैलरी बिल ऐसे नहीं होते जैसे कि और सरकारी कर्मचारियों के होते हैं। जैसे कि सड़कों की देखभाल के लिए ३ करोड़ रुपया मंजूर हुआ, या उसी तरीके से और कामों के लिए कुछ धन मंजूर हुआ, उसमें से मजदूरों के लिए भी पैसे की जरूरत होगी, वह पैसा उसमें से निकाल दिया जाता है और हर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मजदूरों पर उसको खर्च करता है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे वर्क्स पर पैसा कम हो जाय तो मजदूरों को कहना पड़ेगा कि अब पैसा नहीं है और न काम है, इसलिए इस वक्त हम आपकी सेवाओं को नहीं ले सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं इतना बतला दूं कि जो पुराने कर्मचारी हैं, जो पुराने मेट के गैंग में काम करने वाले हैं उनके लिए कोशिश की जाती है कि रखा जाय और इस वक्त जो रिआर्गेनाइजेशन कमेटी है वह इस मसले पर विचार कर रही है और उसने विचार किया है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा जो कुछ हो सकेगा वह किया जायगा।

बहुत से कामों के लिये कहा जाता है कि डिले हो जाती है, इससे मैं भी सहमत हूं। इसमें अब आगे के लिये काफी सुधार किया जा रहा है, जैसा कि यहां पर किसी साहब ने जाहिर किया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट या ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है जिनके पास कागज दौड़ते रहते हैं, तो यह व्यवस्था है, उसके हिसाब से काम होता है। उसमें देरी भी लगती है,

[श्री गिरधारी लाल]

लेकिन आगे को इस बात की कोशिश की जा रही है कि इसमें कम से कम समय लगे । इसके लिये अब एक तो जहां तक सड़कों की बात है, उसमें यह किया जा रहा है कि हम जितने भी एस्टीमेट्स वगैरह है उनकी हिदायत पहले ही लोगों के पास भेज देते हैं कि वह उसका तमाम प्लान, एस्टीमेट वगैरह--डिटेल में बनाकर रख दें; जितनी जल्दी पहुंच जाय उतना अच्छा है और जैसे ही बजट यहां से मंजूर हो जाय उसके बाद जल्दी से जल्दी उसको अप्रूव करने की हम कोशिश करेंगे । और जैसे ही बजट मंजूर हो जाय उसके बाद जल्द से जल्द उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जहां तक भवनों की बात है, उसमें कोई वजह है जो इतनी देर होती है । अगर किसी विभाग से आता है कि हमारे लिये बिल्डिंग की जरूरत है तो बजट में उसके लिये लाख, दो लाख, ५ लाख, जैसा होगा, रखा जाता है । अब उसके बाद इंजीनियर पहुंचते हैं, जब बनाने के खयाल से, तो वहां पता नहीं है कि कहां बनेगा । मान लीजिये कोई अस्पताल बनना है तो वहां के सिविल सर्जन तक को पता नहीं है कि कहां बनेगा । वह कभी इधर बतलाता है कभी उधर बतलाता है । उसके बाद साइट एक्वायर करना, और फिर वहां के लोगों से तमाम सलाह-मशविरा करके डिजाइन्स वगैरह तैयार करना, यह सब काम इतने होते हैं कि उनमें समय लग जाता है। अब इन बातों को ठीक किया जा रहा है कि पहले वर्ष में जो रुपया रखा जाता है उसको कम रखा जायगा और दूसरी तरफ साइट वगैरह पहले विभाग अपने आप तय कर लेगा और हमारे विभाग के सहयोग से उसको एक्वायर करायेगा । उसके बाद लेजिस्लेचर से मंजूर होकर काम चालू होगा। इस तरीके से मैं यह समझता हूं कि अब इसके अन्दर कोई ऐसी विशेष बात नहीं रही जिस पर मैं कुछ अर्ज करूं ।

एक बात सिर्फ यह और अर्ज करनी है कि तीन चार वर्ष हुए यहां एक कमेटी की स्थापना हुई कि वह थोड़ा बहुत काम पी० डब्लू० डी० का जिले के स्तर पर करने लगे । अब उसके बारे में मैंने यह भी सुना कि हमारे बहुत से साथी उसमें दिलचस्पी नहीं लेते । उनसे मेरी बातें हुईं तो उन्होंने मुझे बतलाया कि सरकारी कर्मचारी जो हैं उसमें बहुत लापरवाही करते हैं । लेकिन आगे इस बात की तरफ अब देखा जायगा और जितना सुधार सम्भव होगा, करने की कोशिश की जायगी ।

इसके अलावा, यह कहा गया था कि गढ़वाल में सड़कें नहीं बनीं तो मैंने पिछले वर्ष भी कहा था और इस बार मैं फिगर्स ले आया हूं । सन् १९४७ में वहां १६६ मील लम्बी सड़कें थीं, सन् १९५६ में २३३ मील हो गयीं, सन् १९५८ में २६४ मील और सन् ६१ में उम्मीद है कि ३४१ मील हो जायंगी । तो इस तरह से कहना कि कोई काम नहीं हुआ है, बहुत उचित नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन । क्या यह बात सही है कि जो तखमीना सड़कों का बताया गया है उसमें पी० डब्ल्यू० डी० ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सड़कें ले ली हैं, वह भी शामिल हैं ?

श्री गिरधारीलाल--सड़कें वह जमीन पर ही होंगी, आसमान से तो आयेंगी नहीं । उन सड़कों के बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में पी० डब्ल्यू०डी० ने ले ली है और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनको बनाना चाहता था उनको बनवा देंगे । सूबे भर में जो १४, १५ हजार मील की सड़कें बतायी हैं, उनमें बहुत सी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ली गयी हैं और लेकर उनका माडर्नाइजेशन किया जायगा ।

तो इन शब्दों के साथ, इन तमाम बातों की सफाई देते हुए, मैं अपने दोस्त श्री गोविन्द सिंह बिष्ट से उम्मीद करता हूं, और खास तौर पर इसलिये कि अगर वह रुपया नहीं देंगे तो दो-चार सड़कों और दूसरी चीजों का जो जिक्र किया वह कैसे बन सकेंगी, वह अपने कटमोशन को वापिस लेने की कृपा करेंगे और इन अनुदानों को मंजूर करने की मेहरबानी करेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)––मैं मंत्री जी से एक सूचना चाहता हूं और वह यह कि उन्होंने अपने भाषण में एक चीज पर प्रकाश नहीं डाला, शायद वह भूल गये, जिसका जिक्र दोनों तरफ से किया गया कि इंजीनियर और ओवरसियर का जो परसेन्टेज पांच या दस परसेंट होता है उसकी वजह से विभाग के कार्य की प्रगति में बाधा पड़ती है । क्या आप माननीय मंत्री जी को इस विषय पर प्रकाश डालने के लिये २ मिनट और देने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता––मंत्री जी ने जिस बात का जवाब देना उचित समझा, वह दे दिया ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है कि इन अनुदानों के लिये आज २ बजे तक का समय निश्चित था । अब दो बज चुके हैं, मंत्री जी ने इतना समय अपने जवाबों में ही ले लिया, इसलिये अब इस पर बहस नहीं होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता––बहस नहीं हो रही है, मैं वोट के लिये रखने जा रहा हूं ।

श्री राजनारायण––यह भी नहीं होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता––जी नहीं, ऐसा कोई हार्ड ऐण्ड फास्ट रूल नहीं हो सकता । नियम हाउस के प्रोसीजर को चलाने के लिये होते हैं, उसको रोकने के लिये नहीं होते हैं । अगर दो बजे तक का समय था तो उसका मतलब यह नहीं कि एग्जैक्ट दो बजे तक ही चलेगा ।

श्री राजनारायण––यह तो आपने ठीक कहा कि सदन के काम को रोकने के लिये नियम नहीं होते, लेकिन वह अनजस्ट और इल्लीगल काम को रोकने के लिये तो होते हैं । कोई अनुचित बात हो तो उसको रोकने के लिये भी नियम होते हैं ।

श्री अधिष्ठाता––यह कोई अनुचित कार्य नहीं है । स्पीकर को प्रोग्राम के एडजस्ट करने का अधिकार होता है ।

अब मैं पहले सदन के समक्ष कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है–

सड़कों, पुलों इत्यादि के निर्माण में की जाने वाली पक्षपातपूर्ण नीति पर चर्चा करना और उनमें फैले भ्रष्टाचार की चर्चा करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य और ५० क––राजस्व से वित्तपोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ६,०५,७४,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३५--के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय---कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--

विभागीय भ्रष्टाचार, कामचोरी तथा सीमा सुरक्षा हेतु सरकार का यथेष्ट ध्यान न देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५ ---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)-लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ७२,२२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य- नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---विभाग के सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव को दूर करना और बढ़ाकर एक स्तर पर करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १,०१,१४,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०--६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत-लेखा शीर्षक ८१---राजस्व (Revenue) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---विभागीय भ्रष्टाचार व ग्रामीण जनता की उपेक्षा का विरोध ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत-लेखा शीर्षक ८१---राजस्व (Revenue) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १२,१९,५०,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौ—चालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण; अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य तथा अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षकः १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री गिरधारीलाल—अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन [स्थापना व्यय (Establishment charges) सम्मिलित नहीं है]—लेखा-शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन (Navigation), बांध (Embankments) और पानी के निकास संबंधी कार्यों (Drainage works) का निर्माण के अन्तर्गत, ७,८९,६८,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख के अन्तर्गत ५,२२,०८,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८—के अन्तर्गत ४,७८,०४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस विभाग के अनुदानों के विषय में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी है। सब से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त हमारे देश में योजनाओं की शुरुआत हुई उस वक्त यह तय हुआ कि कम से कम ४० प्रतिशत इलाका हमारे सूबे का ऐसा होना चाहिये जो इर्रीगेटेड हो। आज पूरे सूबे का वह इलाका जिसमें खेती होती है ४ करोड़ एकड़ से कुछ ज्यादा है। उस वक्त करीब ७८ लाख एकड़ इर्रीगेबिल था। वास्तव में ७१ लाख एकड़ की सिंचाई होती थी। पहले से लोगों का यह खयाल रहा कि सूबे को सूखा और कहत से बचाने के लिये जरूरी है कि कम से कम इतना इलाका जरूर सिंचित होना चाहिये। अपने साधनों को देखते हुए जितना हो सकता था वह हमने किया। यह ७१ लाख एकड़ जमीन भी प्रान्त के पश्चिमी व मध्य के इलाके में थी। बाद में जब बाढ़ और सूखे से अन्न की कमी हुई तो प्लान में बहुत मजबूती के साथ पूर्वी जिलों को भी रखा गया और उस समय ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने की कोशिश की गयी। पहले प्लान में करीब ९६ लाख एकड़ जमीन ऐसी थी जिसे सींचने के साधन उपलब्ध कर दिये गये थे। खास काम उस समय अर्जुन बांध, माता टीला स्टेज १, सिरसी बांध, वेलन व टोंस कैनाल, चन्द्र प्रभा व नौगढ़ डैम थे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारी लाल]

बान गंगा कैनाल, दोहरीघाट पम्प कैनाल, नारायणी गन्डक पोखरा नहर, सारदा कैनाल स्टेज १, आगरा व ईस्टर्न और अपर गंगा कैनाल का भी पुनरुद्धार किया गया। योजना की यह आखिरी किश्त है और जितनी योजनायें चल रहीं थीं, जिनको सदन ने स्वीकार किया है उनके बचे हुए काम को खासतौर से रखा गया है। दोहरीघाट और टांडा पम्प कैनालों का काम फारेन एक्सचेंज की दिक्कती के कारण रुक गया था, क्योंकि पम्प नहीं मिले थे। हमें उम्मीद है कि वे अब जल्दी आ जावेंगे और सन् ६१ के मार्च के अन्त तक ये कैनाल अपना काम पूरी शक्ति के साथ करने लगेंगी। ईस्ट जमुना कैनाल और आगरा कैनाल का रिमाडलिंग का काम भी इस वर्ष में पूरा हो जायगा। इसी तरीके से जिरगो, वाल्मीकि, तुमरिया व अपर खजूरी रिजर्वायर में काम भी इस साल में पूरा हो जायगा।

इस योजना काल में १,५०० ट्यूबवेल तय हुए थे। उनमें से ६७० ट्यूबवेल आर्थिक दिक्कतों के कारण पूरे हुए और उसके बाद इसी वर्ष में जो चल रहा है, ३५० ट्यूबवेल उसके साथ शरीक कर लिये गये। हमें आशा है कि जल्दी ही इनमें ड्रिलिन्ग व बोरिन्ग का काम हो जायगा और बहुत से ट्यूबवेल पूरे तौर पर काम भी करने लगेंगे।

पहाड़ी इलाके में--नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल और देहरादून में भी, बहुत से पिछड़े इलाकों में, कुछ काम चल रहे थे और उनकी भी पूर्ति होगी। बहुत-सा छोटा-छोटा काम, माइनर इर्रीगेशन का--इस योजना में चल रहा था और हम उम्मीद करते हैं कि वह भी इस वर्ष में पूरा हो जायगा। इनमें एक माट ब्रांच है, श्रीनगर ताल और बागला टैंक हैं। इस तरीके से इस वर्ष में हमारा खयाल है कि सूबे भर में करीब ६,४०० ट्यूबवेल तैयार होंगे और २५,४०० मील चैनल्स तैयार हो जावेंगी जो कि आबपाशी का काम करने लगेंगी। इसके जरिये से जो इर्रीगेशन का पोटेन्शियल होगा वह १ करोड़ २१ लाख का होगा जिसमें से १ करोड़ एकड़ में वास्तव में सिंचाई की जायगी। इस योजना के अन्त तक ४० प्रतिशत का खयाल था, लेकिन २७ और ३० प्रतिशत ऐसा इलाका होगा जिसको हम लोग कवर कर पायेंगे। उपरोक्त टार्गेट हमने १५-२० सालों के लिये बनाया था।

प्रोटेक्शन का भी काम इस विभाग के द्वारा होता है। बहुत सी नदियां बाढ़ से बहुत से शहरों को नुकसान पहुंचाती हैं, इनमें मुख्य रूप से गंगा और कोसी नदियां हैं। उससे बचाने का रामपुर में काम हुआ। लखनौती स्पिल, कलवान ताल, गौरी ताल तथा चन्दौली चकिया में भी प्रोटेक्शन का काम हुआ है जो सन् ६१ तक पूरा हो जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस अनुदान को रखता हूं। यह बहुत सादा-सा अनुदान है और मुझे उम्मीद है कि इसको यह सदन मंजूर करेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--
सिंचाई के कार्यों में लगे धन के दुरुपयोग की आलोचना करना।

अनुदान संख्या १० के संबंध में मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है--
सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--

सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैधानिकता एवं अनुत्पादक व्यय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना।

अनुदान संख्या ११ के संबंध में मेरा प्रस्ताव निम्न प्रकार है–

सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

राज्य सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव निरोधक योजनाओं की बन्दी पर आलोचना तथा जलकुंडी, घाघरा कटाव निरोधक योजना की मांग करना।

श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी की विरुदावली को सुना। उन्होंने जिस खूबी के साथ अपने विभाग की कमजोरियों को छिपा कर, अपने यहां की योजनाओं को रखा, उस पर मुझे आश्चर्य हुआ; क्योंकि वस्तुस्थिति कुछ और ही थी, जिसका उन्होंने कतई वर्णन नहीं किया। अब श्रीमन्, मैं वस्तु स्थिति की ओर इशारा करना चाहता हूं ताकि सदन अवगत हो जाय कि यह सरकार जिन विरुदावलियों का बयान करती है, जरा गरेबां में मुंह डाल कर तो देखें कि आया प्रदेश की उन योजनाओं से तरक्की हुई है या वह और पीछे पहुंचा है। इस बात को देखने के लिये हमें दूसरे प्रान्तों की हालत को भी देखना होगा।

हमारे प्रान्त में जिस नदी से सब से ज्यादा सिंचाई होती है वह गंगा नदी है। उसी प्रकार तामिलनाड में कावेरी नदी है जिसमें १२ मिलियन एकड़ फिट पानी है, जब कि गंगा में ४०० मिलियन एकड़ फिट पानी है। अब देखना यह है कि इस सरकार ने कितना काम किया है। ये तमाम योजनायें जो बनी हैं उनको मिलाकर यह सरकार ५६ मिलियन एकड़ फिट पानी को ही बांध पायी है जब कि तामिलनाड में ९.९ मिलियन एकड़ पानी को बांध लिया गया है। यानी उन्होंने अपनी नदी का इतना उपयोग किया है कि उसके ८३ फीसदी पानी को बांध दिया और हमारे प्रदेश में, जहां गंगा ऐसी महानदी है, जिससे तमाम प्रदेश की सिंचाई हो सकती है, उसके केवल १४ फीसदी पानी को ही बांध पाये हैं। मैं तामिलनाड से इसलिये मुकाबला कर रहा हूं कि वह भी सघन बसा हुआ है और हमारा प्रदेश भी सघन बसा हुआ है। तो तामिलनाड में सिंचाई के लिये जितना जल उपलब्ध है उसका ९० प्रतिशत उन्होंने बांध रखा है और हमारे प्रदेश ने केवल ६ प्रतिशत पानी को ही बांध पाया है। अगर पानी उपलब्ध नहीं होता तो मंत्री जी कह सकते थे कि पानी उपलब्ध ही नहीं है तो हम कहां से लावें, लेकिन पानी उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने उसे बांधने का प्रयत्न नहीं किया जिसे बांध कर हमारे प्रदेश की ४ करोड़ १० लाख एकड़ जमीन सींची जा सकती थी।

श्रीमन्, कहा जाता है कि सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी है। अधिक गल्ला पैदा करने के खयाल से कृषि विभाग की तरफ से रबी अभियान और खरीफ अभियान चले और चल रहे हैं। श्रीमन्, ज्यादा गल्ला पैदा करने के लिये चार ही तरह की योजनायें हैं। एक तो यह कि इंटेंसिव खेती हो, दूसरे यह कि अच्छे बीज दिये जायं, तीसरे यह कि बोने के पुराने तरीके को बदला जाय और चौथे यह कि रासायनिक खाद दी जाय। सघन खेती के लिये भी सिंचाई की आवश्यकता है, अच्छे बीज के लिये भी सिंचाई की आवश्यकता है, नये तरीके की बोआई जैसे ईख अगर ट्रेंचेज में बोयी जाय तो उपज

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तिगुनी ? चौगुनी तक हो सकती है; लेकिन इस आधुनिक तरीके से बोने पर १४,१५ पानी देने पड़ते हैं जब कि पुराने तरीके से बोने पर ४, ५ पानी देना ही पर्याप्त होता तो इस आधुनिक विधि के लिये भी पानी की आवश्यकता है, रासायनिक खाद देने पर भी श्रीमन्, अधिक से अधिक पानी देना जरूरी होता है। तो कृषि विभाग द्वारा जो इन चार चीजों का प्रचार किया जाता है उसके लिये बहुत पानी की जरूरत है और उन सबका परिणाम यह है कि सिंचाई साधनों की कमी से हम अपने यहां उतना पानी नहीं दे पाते, मुश्किल से १५ फीसदी भूमि सरकार अपने साधनों से सींचती है। प्राइवेट कुओं से जो लोग सिंचाई करते हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिये, वे तो अपने बल पर, पैसा खर्च करके, जो कुछ करते हैं वह करते ही हैं, इसमें सरकार की क्या बहबूदी या मेहरबानी है ? सरकार के द्वारा दिये हुए पानी से तो केवल १५ फीसदी जमीन ही सींची जाती है।

श्रीमन्, जब कोई योजना बनायी जाती है तो वह पहले उन कामों के लिये बनायी जाती है जिन पर खर्च करने के बाद पैसा वापस हो जाय ताकि उस पैसे को आवश्यकतानुसार दूसरी योजनाओं में लगाया जा सके जिससे निरन्तर उत्पादन हो। श्रीमन्, उत्पादक नहरें ६ बनीं। श्रीमन् सन् ५५–५६ की प्रशासनिक रपट से मैं कोट कर रहा हूं, क्योंकि इससे बाद की सूचना उपलब्ध नहीं है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं पहले ही बतला दूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिये मुझे दोष न देंगे। क्योंकि यह उनके विभाग की लापरवाही है जिसकी वजह से विभाग की प्रशासनिक रपट ५५–५६ से बाद की अब तक प्रकाशित नहीं हो सकी है। अंग्रेज तो अपना बोरिया बंधना लेकर ४५–४६ में चले गये लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक उसी तरह से चल रही हैं। ४५–४६ में कुल ६ उत्पादक नहरों की लम्बाई, डिस्ट्रिब्यूटरीज और चैनेल्स को मिला करके १४,०१८ मील थी।

श्रीमन्, मंत्री जी के विभाग की तरफ से जो पुस्तकें इस समय बांटी गयी हैं उनमें सारी विरुदावली दी रहती है और वे एक पक्षीय हैं, उनमें वस्तु स्थिति की कोई सूचना नहीं होती, और पिछले चार साल की यानी ५५–५६ के बाद कोई प्रशासनिक रिपोर्ट नहीं छपी है, लिहाजा हमने ५५–५६ की प्रशासनिक रपट में दिये हुए आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया है। माननीय मंत्री जी उपर्युक्त आंकड़ों को देखें कि ३७० मील कुल उत्पादक नहरें डिस्ट्रीब्यूटरीज व चैनेल्स १० साल में बढ़ सकीं। इसी तरह से ४५–४६ में ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र को छोड़कर कुल ५२,०८,६३१ एकड़ की सिंचाई हुई थी। ५५–५६ में विद्युत कूप-सिंचित क्षेत्र को छोड़कर कुल सिंचाई हुई ५२,५४,०१९ एकड़, यानी ४५,३८८ एकड़ क्षेत्र की अधिक सिंचाई सभी नहरों से हुई। इस तरह से २.६ प्रतिशत तो केवल उत्पादक नहरों की लम्बाई बढ़ी और १ प्रतिशत आप जानते हैं कि उत्पादक व अनुत्पादक नहरों को मिलाकर सिंचित क्षेत्र बढ़ा। मैं इस वक्त चूंकि समय कम है, उनके पानी के डिसचार्ज के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो सिंचित क्षेत्र सभी नहरों का है उसमें बहुत ही नेगलिजिबिल बढ़ोतरी हुई है। वह लम्बाई केवल ३७० मील उत्पादक नहरों की है, हुई जिसमें छोटी नालियां जो सिंचाई की है, वे भी शामिल हैं जिनसे व बढ़ी हुई अनुत्पादक नहरों को मिलाकर केवल ४५,३८८ एकड़ क्षेत्र ज्यादा सींचा गया है। इस तरह की जो सिंचाई व्यवस्था है उस पर अगर ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि कितना इनएफीशियेंट स्टाफ है और क्या यह उसकी अयोग्यता का परिचायक नहीं है ? इस नगण्य सिंचित भूमि की बढ़ोतरी में भी एक राज है, वह यह कि जब पलेवा का वक्त होता है, तब नहरें ६ सप्ताह तक चला दी जाती हैं और उसके बाद जब खेतों में अनाज सूखता है तो पलेवा किए हुए खेतों व अन्य फसलों

को पानी नहीं मिलता, एकड़ों मटर और धान सूखता रहता है। इस तरह से अगर आप देखें तो ४५–४६ में २६,४९७ एकड़ जमीन पानी न मिलने से सोख्ता हो गयी और सन् ५५–५६ में ४१,३१८ एकड़ जमीन सोख्त हुई। इस तरह से सिंचाई का माइलेज बढ़ा, लेकिन ५५–५६ में १४८२१ एकड़ अधिक जमीन सोख्त हुई, यानी उसमें वक्त से पानी नहीं पहुंचा। अभी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमने तो बड़ी तरक्की की और हमारे यहां गल्ले की पैदावार बढ़ गयी, वह सदन में वस्तुस्थिति नहीं रखते बल्कि हर साल नई किताबें छापकर हम पर जादू डालने की कोशिश करते हैं ताकि हम मान लें कि तरक्की हो रही है। सिंचाई कम हुई, माइलेज उत्पादक नहरों का नगण्य रूप से बढ़ा, सोख्ता जमीन ज्यादा हुई। मैं उसमें नहीं जाता कि पलेवा हो गया और बाद में पानी नहीं मिला, इससे सूख गई, इस पर भी मैं नहीं जाता कि सोख्ता कितनी कम लिखी जाती है। मैं बाद में यह बताऊंगा कि इस कमी के क्या कारण हैं लेकिन हम इससे यह कैसे समझ लें कि हमारी प्रोडक्टिव नहरों में तरक्की हुई है?

श्रीमन्, जरा यह भी देखें कि इस प्रकार की सिंचाई से फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है या नहीं और हुई है तो कितनी? सन् ४५–४६ में सिंचित भूमि की फसल की कीमत ७३ करोड़ रुपए लगाई गई थी और ५५–५६ में १९६ करोड़ की कीमत की फसल आंकी गई। इस तरह से आप देखें कि फसल की कीमत २.७ गुना बढ़ी जब कि मूल्यों में तीन-साढ़े तीन गुने की वृद्धि हो गई। इसका साफ मतलब यह है कि ठीक तरह से पानी नहीं पहुंचा। पलेवा तो हुआ, लेकिन बाद में समय से पानी खेतों में नहीं पहुंचा। नतीजा यह हुआ कि फसल की पैदावार घट गई, फलतः गल्ले की कीमत भी कम हुई। ऊपर मैंने उत्पादक नहरों की बात कही है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से कहा और उन्होंने विधान परिषद् में प्रश्नों के उत्तर में भी कहा था कि अप्रैल, मई और नवम्बर के मासों में १५ हजार क्यूसेक्स पानी गंगा का बह जाता है और दस हजार क्यूसेक्स गंगा नहर में जाता है। मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि अप्रैल, मई व नवम्बर में जिस वक्त किसानों को पलेवे के लिये पानी की जरूरत पड़ती है, पानी उपलब्ध नहीं होता, यदि दस हजार क्यूसेक्स उपर्युक्त फालतू पानी को आप गंगा नहर में नहर चौड़ी करके मिला दें या कोई और पैरेलल चेनल बना दें, जिसमें भी कम कीमत लगे और अच्छा असर हो, इस तरह का कोई तरीका इस्तेमाल किया जाय। बहरहाल, जो १० हजार की वर्तमान कैपेसिटी है उसको २० हजार कर सकते हैं। मंत्री जी कहेंगे कि वह पानी आगे आकर हिंडन नदी में गिराया जाता है और लोअर गंगा नहर में प्रयुक्त होता है? कम हो सकता है। तो मैं इस संबंध में इंजीनियर्स की राय बता दूं। जब नदी का वाटर लेविल नीचे चला जाता है तो नदी में सब–स्वाइल वाटर ज्यादा तेजी से आने लगता है। १५ हजार न आवे तो १२ हजार से कम न आवेगा। गंगा के पानी को बढ़ाने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जिस तरह से नांगल और भाखरा डैम हैं, गंगा में भी ऐसी पासिबिलटी है कि बांध बांध कर गंगा नहर की कैपेसिटी बहुत बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार स्थायीरूप से पानी उपलब्ध हो सकता है। हो सकता है कि तब रामगंगा बांध की जरूरत न पड़े। उस क्षेत्र के लिये जिसका किसान इतना सजग है, ८ फीट प्रति एकड़ पानी गंगा की नहर में है जब कि २ फीट प्रति एकड़ सारदा की नहर में मिलता है, लेकिन सरकार कोई ध्यान उत्पादक नहरों को बढ़ाने की ओर नहीं देती।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अब मैं अनुत्पादक नहरों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अनुत्पादक की तो धुआंधार वृद्धि हो रही है। सन् ४५-४६ में नहरों की लम्बाई कुल ९,७३८ मील थी और ५५-५६ में १५,४३४ मील। ट्यूबवेल सन् ४५-४६ में १,८८६ मील थे और ५५-५६ में ४,९४८ मील। सरकार को इंजीनियर्स जैसी सलाह देते हैं वही सरकार करती है, मंत्री जी को तो कोई विशेष ज्ञान है नहीं। जो उत्पादक हो उस पर पहले ध्यान होना चाहिए और जो अनुत्पादक हो उस पर बाद में। इस तरह से श्रीमन्, एक बात तो साबित हो गयी कि इतनी बड़ी घटी जो सरकार उठा रही है वह उसकी नीति की खराबी है कि उत्पादक नहरों को न बढ़ाकर अनुत्पादक को बढ़ाया जाय।

दूसरी बात श्रीमन्, इन तमाम कामों से सरकार को मुनाफा कम हुआ, सरकार की रेवेन्यू कम हुई। सन् ४५-४६ में शुद्ध लाभ १ करोड़ ८० लाख ५९ हजार ७१ रु० था। ५९-६० में अनुमानित था २॥ करोड़ से कुछ अधिक, लेकिन हुआ कुल ८५ लाख २८ हजार ८०० रु०। सन् ६०-६१ में १ करोड़ ८५ लाख ५५ हजार २०० रु० का अनुमान कर रहे हैं। तो लाभ में कहीं नहीं बढ़ रहे हैं और प्रदेश का किसान कर भार से मरा जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाय। साढ़े ३ हजार लोग सोशलिस्ट पार्टी के सन् १९५४ में जेल गये थे। सिंचाई की बेतहाशा बढ़ी दरों को कम कराने के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया था।

समय कम है अतः आवश्यक बातें ही कहूंगा। श्रीमन्, अब जरा रेट देखें। १९४५-४६ में ईख-कर अपर गंगा में १० रु० व लोअर गंगा में ९ रु० था, इस समय है ३२ रु०। धान का साढ़े ७ रुपया था अपर गंगा का और ५ रुपया था लोअर गंगा का, अब हो गया १८ रुपया। सब्जी का ६ रुपया था और अब १४ रुपया हो गया। खरीफ की अन्य फसलों का ३ रुपया था, अब ७ रुपया हो गया। गेहूं का ५ रुपया था, अब १२ रुपया हो गया। मटर आदि अन्य रबी की फसलों का ४ रुपया था जो ९ रुपया हो गया। रेट दुगने, तिगुने और साढ़े तीन गुने तक बढ़ गये, लेकिन मुनाफे में घटी हुई। ४५-४६ की ही मुनाफे की स्थिति रहती तो वह १ करोड़ ८० लाख था। अब रह गया ८५,००,००० रुपया। मुनाफ़े में पीछे और कर में तिगुने आगे बढ़ गये। कैसे देश की तरक्की हो सकती है? एक बात और कह दूं। यह खराबी क्यों है, मुनाफे की कमी क्यों है, जमीन क्यों सींचने से रह गई? एक आंकड़ा देखा जाय नहरों के जो डिजाइन किये हैं कि इतने प्रतिशत सींचना चाहिये, किन्तु उतने प्रतिशत नहीं सींचा जा रहा है। रामगंगा नहर से ४७ प्रतिशत सींचा जाना चाहिए लेकिन सींचती है २५ प्रतिशत। राज्य के ट्यूबवेल की डिजाइन ४२ प्रतिशत की है लेकिन सींचते हैं ३२ प्रतिशत। तो जहां जो साधन उपलब्ध हैं उनका ही उपयोग नहीं होने दिया जा रहा है।

दूसरी कमी क्या है? ट्यूबवेलों में बेतहाशा घटी चल रही है। सरकार एक ट्यूबवेल १८,००० रु० में बनाती है और ६०,००० रु० तक उसकी लाइन बनाने में और इंजीनियर्स की सुख-सुविधा में खर्च होता है। परिणाम यह है कि इस बजट में ट्यूबवेलों में २,३२,३२,००० रु० की हानि है। रेवेन्यू में जितना आया उतना बिजली और आपरेटरों की तनख्वाह में खर्च किया जाता तो ४४,००,००० रु० का मुनाफा होता। लेकिन खाऊ लोग जो बैठे हुए हैं, मुनाफ़ा कैसे हो? रेट जरा देखा जाय, ११,००० गैलन पर एक रुपया है, वाष्प से चालित पर और १६,००० गैलन पर १ रुपया विद्युत से चालित पर पिछले साल ट्यूबवेल में १०७ लाख रुपया सूद का देना पड़ा, इस साल ११४ लाख देना पड़ेगा।

इसलिये भी घाटा हो रहा है कि पूंजी व्यय में वृद्धि और सुधार पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है और जहां वृद्धि और सुधार में पूंजी व्यय बढ़ना चाहिये उसमें कमी हो गई। जहां १९५९-६० में ३५२ हजार पूंजी व्यय था, अब २७६ हजार रह गया।

अनुरक्षण पर अनाप-शनाप खर्च हो रहा है। १९५८-५९ में ३५५ लाख था १९६०-६१ में ३८६ लाख हो गया। अनुरक्षण के नाम से जो रुपया खर्च किया जाता है वह इंजीनियर्स

की सुख-सुविधा के लिये ही किया जाता है, उनके बंगले, मोजेक के फर्श के लिये। ऐसे-ऐसे इंसपेक्शन हाउसेज हैं जिनमें १० दिन भी लोग नहीं ठहरते होंगे,लेकिन बने हुए हैं। यही नहीं, इंजीनियर्स के साथ-साथ बरकंदाज लोग तम्बू वगैरह लेकर चलते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं, रहेंगे बंगले में ही। ४७ नम्बर की ग्राण्ट में कई इस तरह के अलग-अलग मकान बनाये गये हैं। मुजफ्फरनगर से काम नहीं कर सकते तो शामली में जायेंगे। उत्पादक नहरें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन डिवीजन बढ़ते चले जा रहे हैं। अफसरों पर चार गुना खर्च...
(लाल बत्ती जलने पर) अभी तो मेरे सात मिनट बाकी हैं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, केवल दो मिनट बाकी रह गये।

श्री रामस्वरूप वर्मा––इस समय मुझे थोड़ा समय दे दिया, जाय बाद में जब मैं बोलूंगा उसमें से मेरा समय काट लिया जाय।

तो मैं कह रहा था कि अफ़सरों पर खर्च चौगुना बढ़ गया है। अपव्यय का नमूना देखें। नैनीताल जिले के बनबसा में ओमबाग और लक्ष्मण बाग हैं, जिनमें तमाम किस्म के पेड़ आम, लीची आदि के हैं, लेकिन वहां के सब फल इंजीनियर्स खा जाते हैं या डालियों में लग कर लखनऊ की ओर आते हैं।उनका कोई नीलाम नहीं होता। बाराबंकी में भी तमाम इस तरह का खर्च हो रहा है। जो नहर की पटरियों की घास है उसका तो नीलाम विभाग फौरन करता है और ऊंचे दामों पर करता है लेकिन इनका नहीं; क्योंकि अगर नीलाम कर दें तो खायें कैसे, डालियां कैसे लगेंगी।

अब मैं संक्षेप में सुझाव देना चाहता हूं। ट्यूबवेल सिंचाई समितियों को दे दिये जायं और सरकार जिस रेट पर बिजली लेती है, उसी रेट पर अगर समितियों को बिजली दी जाय तो ट्यूबवेल फायदे में चलेंगे और पूरी सिंचाई भी हो सकेगी। सरकार इस खर्चे व नुकसान से बच जायगी। (२) सिंचाई विभाग में ६० प्रतिशत इंजीनियरिंग पर और ४० प्रतिशत रेवेन्यू पर खर्च होता है। अगर वाटर सप्लाई ठीक तरह से हो जाय तो रेवेन्यू को तोड़ा जा सकता है और फिर उसी हिसाब से लगान सिंचित भूमि का बढ़ा दिया जाय। इस प्रकार सिंचाई का लगान अलग कायम कर दिया जाय। रेवेन्यू का फिर स्टाफ भी नहीं रहेगा, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई निश्चित होनी चाहिये। (३) इसके साथ ही साथ एक बात और कह दूं, हर जगह ओसराबन्दी होनी चाहिये। (४) कम से कम २० वर्ष का जो अनुभव सरकार को है जिससे पता चल जाता है कि किन दिनों में किसान को पानी की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, उसके आधार पर कृषि वर्ष के पूर्व यह डिक्लेयर कर दिया जाया करे और गांव सभाओं को सूचित कर दिया जाया करे कि हमारी फलां नहर इतने दिनों तक इन हफ्तों में, फलां महीने में चलेगी ताकि किसान खेत तैयार करले और पानी के लिये जो लाठी डंडे चलते हैं वह न चलें और किसान को सहूलियत मिल जाय और कोई झगड़ा न हो।

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों को लिया जाय तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो यह कि माताटीला के बारे में और शारदा सागर के बारे में मुझे यह कहना है कि ये इतने डिफेक्टिव बांध हैं, जिनसे हमारा खर्चा बढ़ गया है। बांधों का डिजाइन खराब होने के कारण माताटीला का एक भाग बह गया है। माताटीला बांध में डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स, जो १० लाख रुपये की लागत का विगत मई-जून में बना था और उसके बारे में कई बार हाउस में कहा जा चुका है, विगत जुलाई में ही वह गया था।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

नारायणी नहर को देख लीजिये। ४७ लाख का एस्टिमेट था और बनी कितने में ? १ करोड़ २० लाख में भी अब तक नहीं बनी, यानी पूरी नहीं हुई। उसमें एक धोबिहा साइफन बनाना था १७,००० रु० से। उस पर ३५ हजार खर्च हुआ और तीन दफा बह गया। ये हमारे इंजीनियर हैं जिनकी हमारे माननीय मंत्री जी बड़ी तारीफ करते हैं। उसमें एक्जिक्यूटिव इंजीनियर मुअत्तल किया गया। मुझे यह डर है कि जिस तरह हाइडल के चीफ श्री माथुर के विरुद्ध मेरे द्वारा हाउस में शिकायत करने के कारण, उनकी पदोन्नति हो गयी और वे स्टेट तथा केन्द्र के बीच में लियांजा आफिसर हो गये, इसी प्रकार इन इंजीनियर महोदय की बुराई करने का नतीजा यह न हो कि उनकी भी माननीय मंत्री जी पदोन्नति कर दें और जो आदमी निर्दोष है-एकाउन्टेंट-उसे मामला उभाड़ने के कारण मार दिया जाय। माननीय मंत्री जी के पास ज शिकायतें आती हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है कि यह रामस्वरूप वर्मा जी को कहां से खबर मिल जाती है और वे समझते हैं कि कोई ब्लैक शीप है। अगर राष्ट्र के हित में कोई कार्य करे तो ब्लैकशीप, और जो राष्ट्रद्रोह करे उसके प्रति हमदर्दी दिखाई जाती है।

माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि पहाड़ी जिले में एक तुमरिया बांध बन रहा है और जिस प्रकार उसका डिजाइन किया गया है उससे इतना पानी नहीं मिलने का है जिससे सिंचाई हो सके। १० मील लम्बी लोढ़ा नदी इतना पानी नहीं दे सकेगी जिससे सिंचाई हो। वह बांध बिलकुल मैच्योर नहीं हो सकेगा। पानी जब निकलेगा नहीं तो सिंचाई हो नहीं सकेगी और सारा रुपया बरबाद जायगा। अतः पास की दूसरी नदी से पानी लेने का प्रयत्न किया जाय।

एक अन्तिम बात शारदा सागर बांध के स्कैंडल के बारे में और निवेदन कर देना चाहता हूं ; मैं माननीय मंत्री जी से बात करना चाहता था, लेकिन नहीं हो सकी, हाउस में उसे बतला देना चाहता हूं ताकि तमाम माननीय सदस्यों को भी उसकी जानकारी हो जाय। एक सिस्टम होता है फिलूटो डालने में सिंगिल्स व प्रिग्रेबिल लगाने का। वह, यह पत्थर नदी से निकाला जाता था। नदी से पत्थर निकालने के लिये फारेस्ट डिपार्टमेंट रायलटी लेता था। फारेस्ट डिपार्टमेंट, जिसके यहां से पत्थर निकाला गया वह तो कहता है कि कम पत्थर निकाला गया यानी कम रायल्टी मांगता है; लेकिन पेमेंट करने वाले कहते हैं कि ज्यादा पत्थर निकाला गया, ज्यादा रायल्टी लो। तो पत्थर उतना न मौके पर आया, न वहां से लाया गया और न वहां खोदा गया; लेकिन कहा गया कि ज्यादा पत्थर खोदा गया। हुआ यह कि प्रि ग्रेबिल में शारदा सागर में ट्रक के फेरे गिने गये और प्रि ग्रेबिल का घनफुट नहीं गिना गया। इसलिये पेमेंट अधिक करना पड़ा और माल कम आया।

एक बात और इंजिन तथा बिजलियों के बारे में कहना चाहता हूं। शारदा सागर मे न जाने कैसी नयी बैटरियां लग वैसे ५-५ साल की मियाद होती है, लेकिन ३ महीने मे T. D. No. 24 पर ४-४ दो बार व एक एक बार बैटरियां ईश्यू हुईं।

माताटीला बांध में, जिसकी चर्चा मैं सदन में कर चुका हूं, जो मर्किंग और बर्किंग हुई है, इससे जनता का सर्किंग हो गया है। इसलिये तमाम बातों का सिंहावलोन करते हुए मैं आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि जो हमारा कटौती का प्रस्ताव है वह सरकार की सिंचाई विभाग में नीति के विषय में है जिसमें वह बिलकुल असफल हुई है। उसमें सरकार ने जनता का खून चूसा है और प्रदेश को तबाह किया है। इसलिये इन कटौती के प्रस्तावों को स्वीकार करके सरकार को अपदस्थ करना चाहिये।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का आपने समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यावद करता हूं, इस अनुदान के लिये जो उन्होंने सदन के सम्मुख रखा है। साथ ही मैं भाई रामस्वरूप जी वर्मा की उस आलोचना से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा कि सिंचाई योजनाओं से इस प्रदेश की अवनति हुई है। यह एक ऐसी आलोचना है कि जिससे इधर बैठे हम जैसे छोटे-मोटे आदमी भी सरकार की यदि कोई समालोचना करें तो उन सब का स्थान समाप्त हो जाता है। समालोचना, वहीं तक स्थान रखती है और उससे सुधार भी होता है किसी सरकार का या विभाग का, जिसमें कुछ तत्व हो। यह मैं ही नहीं, इस सदन का शायद कोई भी सदस्य मानने के लिये तैयार नहीं है कि सिंचाई योजनाओं से प्रदेश की अवनति हुई है। यह एक ऐसी अतिशयोक्ति है, जिससे, मैं समझता हूं, कि न सिंचाई विभाग पर कोई असर होगा, न माननीय मंत्री जी पर असर होगा और मेरा अपना ख्याल तो यह भी है कि जनता पर भी इसका कोई असर नहीं होगा जिस खयाल से उन्होंने यह कहा।

उन्होंने बड़ी भारी तुलना की, कावेरी नदी की और गंगा नदी की। मैं अपने मित्र को यह बातना चाहूंगा कि कावेरी नदी की स्थिति मैंने थोड़ी बहुत देखी है। रिजरवायर बनाने या पानी को रोकने की जो योजनायें हैं, मैं बहुत टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि मैदानों में यह कभी भी बहुत सफल नहीं होती। कावेरी नदी जिन जिन जगहों में रोकी गई है वहां वह नदी चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। वहां उस नदी को रोक कर कुछ रिजरवायर बनाये गये हैं, और उससे, मैं यह जरूर मान सकता हूं कि, उस नदी की कैपेसिटी के मुकाबले में कुछ अधिक पानी रोक रखा गया है। यदि वह गंगा नदी को देखें तो मैं एक उदाहरण दूं। हमारे यहां गाजियाबाद के पास एक हिंडन नदी है। वहां सरकार ने एक स्कीम बनायी कि आगरा और मथुरा को पानी देंगे। २७ गांव वहां उठाये जा रहे थे। जनता ने उसका विरोध किया और यहां तक विरोध हुआ कि सरकार को वह योजना स्थगित करनी पड़ी और एक दूसरी योजना चालू करनी पड़ी। यदि गंगा नदी को कावेरी नदी की तरह रुकवाना चाहें तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हरद्वार से लेकर मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर तक कहीं भी यह उचित नहीं होगा। माननीय रामस्वरूप जी ने जो यह कहा कि कानपुर में गंगा को रोक कर बरसाती पानी जमा कर लेंगे, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैदान में गंगा जैसी बड़ी नदी को बरसात में रोक कर कितना फायदा वह कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कावेरी और गंगा नदी की स्थितियों को एक साथ मिला कर कुछ ज्यादा अच्छी बात उन्होंने नहीं की। हां, यदि सिंचाई के साधन, नदियों से, ट्यूबवेल्स से या और छोटी छोटी योजनाओं से, माननीय मंत्री जी और सरकार बढ़ा सके, तो उसके लिये मैं भी प्रार्थना करूंगा और हर विरोधी दल के सदस्य से कहूंगा कि वह ऐसे सुझाव दें कि ये योजनायें बढ़ायी जानी चाहिये।

उन्होंने जो थोड़ी सी चर्चा की है मैं इस सम्बन्ध में भी थोड़ा सा कहूंगा। सिंचाई विभाग जिससे यहां नहरें बढ़ायी गयीं, ट्यूबवेल बढ़ाये गये और जो छोटी योजनायें किसानों को तकावी कि शक्ल में रुपया देने की हैं, व्यक्तिगत तौर पर किसानों को सरकार ने सहायता दी है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा हित हुआ है किसानों का तथा और लोगों का; और मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सिंचाई योजनायें घाटे में चली हैं। कोई भी स्कीम जो चालू हो उसका मुनाफा और नफा आज ही नाप लें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। जो ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

और नहरें निकाली नयी हैं, उनको आज भी मुनाफे की शक्ल में देखा जाय तो मुर्गी के पेट से अंडे निकालने के अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती है।

हमारे यहां एक ईस्ट जमुना कैनाल है। जब से यह बनी है, आज तक वह मुनाफे की नहर है और किसानों की दृष्टि से, जब वह नहर स्थापित की गई थी तो उससे बहुत थोड़ा रकबा सींचा जाता था और आज उसका रकबा कई गुना बढ़ गया है। मुझे यहां तक बताया गया है कि शुरू में केवल दस हजार एकड़ भूमि सींची जाती थी और आज उसी से ५ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। भाखरा डैम की चर्चा की गई है। उसकी स्थिति ऐसी है कि वहां पर कच्चे पहाड़ हैं लेकिन जो डैम सिंचाई के लिये बन रहा हो, चाहे वह रिहन्द हो या चाहे कोई और योजना हो, उनका मुनाफा आज ही देखा जाय जो १०० वर्ष तक काम देंगे, वह ठीक नहीं है, बल्कि उनका मुनाफा इस दृष्टि से देखा जाय कि आगे उसका क्या असर पड़ेगा। आज जो ट्यूबवेल्स लगते हैं, वह मंहगे मालूम पड़ते हैं; लेकिन इसके पीछे दूसरी चीज है कि जो योजना हमने किसानों के हित के लिये चलाई है वह व्यापारिक आधार पर नहीं चलाई है। आज जो तकावी किसानों को कुंए के लिये दी जाती है उससे सूद नहीं ले पाते हैं, चाहे उससे उसका फायदा होता है। अगर किसान यह सोचने लगे कि उसे फायदा नहीं होता है तो वह तकावी क्यों लेगा नहर का पानी नहीं लेगा और वह दूसरे तरीके से अपना काम चलायेगा। हमारी योजनाओं पर चाहे लागत ज्यादा आती हो, लेकिन उससे जनता का हित होता है, किसान का हित होता है, इसलिये हम इन योजनाओं को व्यापारिक दृष्टि से नहीं नापते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि सिंचाई विभाग के लिये यह कहने से कि हमारा प्रदेश इसमें पीछे गया है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है।

मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाऊंगा कि सिंचाई विभाग से जनता की एक बड़ी भारी मांग है कि जहां किसानों की जमीन नदियों के दोनों तरफ है वहां पर पुल बनवा दिये जायं। आज तरक्की का युग है, किसान भी आगे बढ़ना चाहता है, पहले वह रास्ते की दिक्कतों को बरदाश्त कर लेता था, लेकिन आज का किसान, जो अन्न की पैदावार बढ़ाता है और खेती की उपयोगिता समझ बैठा है, वह बरदाश्त नहीं कर सकता है। जो पुल बने हुए हैं और थोड़ी लागत से चौड़े किये जा सकते हैं, उनको करा दिया जाय। सरकार की तरफ से इजाजत दे दी जाय तो छोटे-मोटे पुलों को वह स्वयं अपने खर्चे से बनाने के लिये तैयार है। उसकी इजाजत दे दी जाय, क्योंकि यह देश के हित में है। माइनर्स इस हिसाब से बना दें कि कोई दिक्कत न हों।

दूसरा सुझाव यह है कि जहां पर यातायात के साधन बहुत कम हैं वहां नहरों की पटरियों को यातायात के लिये खोल दिया जाय और पुख्ता कर दिया जाय। मंत्री जी के पास इस समय दोनों विभाग हैं। बहुत सी नहरें ऐसी हैं जहां कोई सड़क नहीं है, वहां पर जनता के लिये पटरियां खोल दी जायं। अगर मंत्री जी इसको मंजूर कर लेंगे तो सरकार की बचत होगी और यातायात का फायदा होगा। एक खतरा जो बताया जाता है, वह यह कि नहर की पटरियों पर खतरा हो जायगा। हरिद्वार से लेकर रुड़की तक नहर की पटरी पर काफी बड़े मार्ग हैं जिनसे यातायात का काम लिया जाता है; जब कि हरिद्वार और रुड़की के बीच में चलने वालों को कोई खतरा नहीं होता तो मैदानों में तो उससे और सुविधा होगी।

एक सुझाव मुझे और देना है, वह मेरे इलाके से वास्ता रखता है। पहले माट ब्रांच हमारे जिले और अलीगढ़ के कुछ हिस्से को पानी देती थी, लेकिन मथुरा को पानी पहुंचाने के लिये हमारी नहर को खारिज कर दिया गया। सरकार का यह आश्वासन था कि जहां खारिज कर दिया गया है वहां इतने ट्यूबवेल लगवा देंगे कि सिंचाई के लिये पानी मिल जायगा, परन्तु चार वर्ष हो गये, जो पहले नहर का रकबा था, और माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी थी, उसको पानी नहीं दिया जा रहा है। ट्यूबवेल इतने ऊंचे स्थान पर लगा दिये गये हैं कि नया रकबा उससे जरूर सींचा जा रहा है, लेकिन माट ब्रांच का जो पहले का रकबा था उसमें पानी

नहीं जा रहा है, जिसमें पानी देने के लिये आश्वासन दिया था। मैं फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)-- माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बुलन्दशहर के माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सरकार की सिंचाई की योजनायें व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं चलायी जाती हैं, किसान के हित के दृष्टिकोण से चलायी जाती हैं। यह उनका खयाल है। पर सरकार की ऐसी नीति नहीं है। मैं उसको इस बात से साबित करना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में सिंचाई कमेटियां बनी हैं। मेरे जिले में सिंचाई कमेटी की बैठक १३ सितम्बर, १९५८ को हुई थी। उसमें बताया गया था कि उमरन माइनर बनने वाली है, उसमें कहा गया था कि उसके लिये पया मुकर्रर कर दिया गया है। मैंने सदन में एक प्रश्न के जरिये से यह बात जाननी चाही थी कि क्या सरकार उस माइनर को बनाने जा रही है, तो उसका जवाब मिला कि माइनर का सर्वे इत्यादि कराने से ज्ञात हुआ कि माइनर की लागत तथा वार्षिक रखरखाव का खर्चा अधिक पड़ता है; इसलिये उसको निर्माण करने का विचार छोड़ दिया गया है। इससे साबित होता है कि जब तक रखरखाव का खर्चा न पूरा हो और सरकार को लाभ न हो, तब तक सरकार माइनर नहीं बनाती है। ताज्जुब यह है कि दूसरी जगह माइनर बनायी जाती है, वह ऐसी जगह पर बना दी जाती है जहां पर दो-चार फर्लांग पर दूसरी माइनर होती है। मिसाल के तौर पर उसी विकास क्षेत्र में मोंगरा और खानपुर माइनर होते हुए सरसई माइनर पास ही निकाल दी गयी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये कोई काम वह नहीं करते हैं, लेकिन यह जो दूसरी माइनर, सरसई है यह केवल एक व्यक्ति के लाभ के लिये बनायी गयी है। उसमें जितना पानी बह रहा है, सारा बेकार चला जाता है। सरसई माइनर के सम्बन्ध में मुझे कमेटी में बताया गया कि इस माइनर को चार मील बढ़ाने के लिये सर्वेक्षण कराया जा रहा है। मैंने जब सदन में पूछा कि उसका सर्वेक्षण कराया गया है, तो मुझे जवाब मिला कि कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि उस माइनर का जो पानी बेकार जाता है, उसकी टेल को एक दो मील और बढ़ा दिया जाय तो बहुत-सा रकबा उसके कवर हो जायगा और जो टेल से पानी बह कर जाता है और काश्तकारों की फसल को नुकसान पहुंचता है, उससे वह बच जायगी।

मान्यवर, एक यह भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि खांदियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसके सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि पानी ठीक समय पर, अगर माइनर से बहाया जाय, रजबहे में पानी पूरे लेवेल पर छोड़ा जाय तो यह चीज न हो। आज होता यह है कि कहने के लिये तो माइनर चलायी गयी, मगर जिस लेवेल पर पानी छोड़ना चाहिये था उस लेवेल पर नहीं छोड़ा गया। कहते यह हैं कि काश्तकारों ने पानी लेने से इनकार किया, वह दूसरे काम में लगा हुआ था। लेकिन वहां तो कुनाबे में पानी ही नहीं निकला। रजबहा बराबर चलता रहा और दोष किसान पर लगाया गया कि उसने पानी नहीं लिया। इसलिये जब किसान को पानी की जरूरत हो तब रजबहे में पानी छोड़ा जाय और पूरे लेवेल से छोड़ा जाय तो यह चीज न हो। मेरा तो यह सुझाव है कि बम्बे और रजबहे की पट्टी की सुरक्षा का जो काम है यह काम गांव सभाओं के सुपुर्द किया जाय। इस से बहुत हद तक खांदियां होना बन्द हो जायगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहर का जो कानून है वह बहुत पुराना हो गया है। इसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिये। आज का कानून ऐसा है कि अगर झील के कहीं एक कोने में भी पानी पहुंच जाय तो पूरी झील का रकबा उसमें भर लिया जाता है। सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ाया जाता है, वह माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने अभी बता दिया है।

अनुदान में कुछ वृद्धि की मांग करते और सरकार के इस काम में जितना ज्यादा धन हो सकता उसको पास करके इस काम में बढ़ावा देने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अभी रामस्वरूप वर्मा जी ने अपने भाषण के अन्त में बताया कि हमारे प्रदेश में पैदावार घटी है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने प्रदेश की पैदावार के आंकड़े किस कागज से लिये हैं, मुझे मालूम नहीं है। इस पैदावार का बढ़ना या घटना खाली सिंचाई की व्यवस्था पर नहीं है बल्कि सारे प्रदेश में और सारी जनता की यह परिस्थिति रही है कि हमारे प्रदेश को आजादी मिलने के बाद बराबर कितनी बार ओले आये हैं, बाढ़ आई है और सूखा पड़ा है। यह सब जितने भी विघ्न हो सकते हैं वह यहां पर आये हैं। इस वजह से हम अपनी पैदावार को आगे नहीं बढ़ा पाये हैं। लेकिन जहां तक मारे यहां सिंचाई का रकबा बढ़ने की बात है, वह रकबा बढ़ा है। मुझे खुशी है कि हमारे पूर्वी जिलों में सिंचाई का काफी प्रबन्ध हुआ है। मैं मंत्री जी का और उनके विभाग का बड़ा आभारी हू कि हमारे पूर्वी जिले, जो सूखे से मेशा पीड़ित रहते थे, जिन की धान की पैदावार इसलिये मर जाती थी कि पानी नहीं मिल पाता था, वहां पर अनेक पानी की योजना बना कर सरकार ने पानी देने का प्रयत्न किया है और लोगों ने काफी पा ी ाया है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं और वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही जो दो रीघाट या टांडा नहर में कमी की बात है उसके लिये इस ाउस को विदित ही है कि केवल फ रेन एक्सचेन्ज के कारण ही मशीन में देरी हो रही है जिसकी वजह से यह योजना पूरी कामयाब नहीं हो पायी है। यह बात तो प्रश्नोत्तर में सरकार ने सदन को बताई थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि मंत्री जी का प्रयत्न है कि मशीन जल्दी आवे और उन खेतों को जल्दी से पानी मिले और खेतिहर मजदूरों की पैदावार बढ़े।

साथ ही जहां तक आपने मुनाफे की बात कही है मुझे ताज्जुब हुआ व्यापारिक दृष्टिकोण की बात सुनकर। जहां वेलफेयर स्टेट बनाने की बात हो रही हो, समाज के कल्याण की बात हो रही हो वहां केवल ब्याज खाने की नीयत से कोई काम नहीं किया जा सकता। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि हमारे माननीय मंत्री जी जिनके बारे में कहा गया कि वे किसानों की तकलीफ नहीं जानते, खेतिहर किसानों और मजदूरों के समाज में किस अग में दर्द है, उसको जानते हैं और इसी वजह से जब उन्होंने देखा कि ट्यूबवेल बनाने में ६०,००० रुपया लगता है, आजादी के बाद यहां ४,२०० ट्यूबवेल बने हैं जिन पर ६ करोड़ ८३ लाख रुपया लग गया है और उस रुपये पर साढ़े ४ रु० प्रतिशत के हिसाब से १ करोड़ ८० लाख रुपया ब्याज निकलता जा रहा है, तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे हमारे प्रदेश का कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमारे मुख्य मंत्री जी ने और विभ ग ने यह निश्चय किया कि ट्यूबवेल नहीं बल्कि हम छोटी सिंचाई योजनायें चलायेंगे, और आपको इस बात की जानकारी है कि किसानों को पक्के कुएं बनाने और र ट लगा कर सिंचाई करने के लिये तकावी देने का इंतजाम किया गया और आज लाखों रुपये हर जिले में इसके लिये दिया जा र ा है ताकि किसान अपनी खेती बढ़ाने के लिये तकावी लें। यह इसलिये भी किया जा रहा है कि जो किसान और मजदूर ट्यूबवेल लगने से बेकार हो जाते हैं, वे बेकार न होने पायें, और साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि यह इसलिये किया गया है कि ट्यूबवेल के कारण को रोज भ्रष्टाचार की शिकायत हुआ करती थी और जिससे सारे प्रदेश की सर्विसेज को डिमारेलाइज किया जाता था, वह न होने पाये। अधिष्ठाता महोदय, जब छोटी सिंचाई योजनाओं पर काम होगा और गांव-गांव में अपने पक्के कुएं होंगे, सिंचाई के लिये रहट होंगे तो भ्रष्टाचार और शिकायत की बात न होगी और न एफीशियेन्सी के घटने की बात होगी और न मजदूर ही बेकार होंगे। इस तरह से सरकार का

[श्री मुरलीधर]

प्रयत्न है कि किसान और मजदूर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और उनका प्रोडक्शन बढ़ सके।

मैं माननीय मंत्री जी को एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं। १८७० और १८३० में जब ईस्टर्न जमुना और लोअर गंगा कैनाल बनीं, उस समय देश में चांदी की करेंसी थी और ठेकेदारों को पैसा बांटने के लिये बरकन्दाज रखे जाते थे ताकि वे बड़े बड़े बक्से उठा कर ले जायं और मजदूरों को पैसा बांटा जा सके। आज ठेकेदारों को पेमेंट चेक द्वारा हो रहा है और इसलिये वे बरकन्दाज और दफादार, जिनकी तनख्वाह २०० रुपया माहवार होती थी सारे प्रदेश के ३०० डिवीजनों में जिन पर सालाना ७ लाख २० हजार रुपया खर्च हो रहा है, और ९ लाख रुपया भत्ता उनको दिया जाता है वह मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी बचत करने की सोचेंगे। एक बरकन्दाज कम करके इस ओर कदम उठाने की उन्होंने कोशिश की है। अफसरों के लिये यह निजी आदमी न रखे जायें और इनकी आवश्यकता आगे नहीं पड़ेगी ऐसी आशा है।

साथ ही मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि डिवीजनों में जो ओवरसियर रखे गये हैं, वह जहां जरूरत हो वहां ही रखे जायं। एक ओवरसियर पर ३०० रुपया लग जाता है और यह १०० के करीब जरूरत से अधिक हैं। इस तरह से इन पर ३ लाख ६० हजार रुपया ज्यादा खर्च हो रहा है। इसको कम किया जाय।

साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग में हरिजनों का प्रतिनिधित्व एक परसेन्ट भी पूरा नहीं हो पाया है। मुझे ताज्जुब है, बड़े बड़े इंजीनियर्स और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स अगर नहीं मिल सकते हैं तो क्या चपरासी, पतरौल और कामदार आदि पदों के लिये भी हरिजन एक परसेन्ट भी नहीं मिल सकते हैं? इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसके लिये उचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

साथ ही एक बात टेलीफोनों के बारे में कहना चाहता हूं। इस विभाग के पास टेलीफोन अपने हैं जो विभाग तथा आफिसरों के काम के लिये हैं। अगर वे टेलीफोन जनता के लिये भी खोल दिये जायें तो इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगी और जनता को फायदा भी पहुंचेगा। इससे विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही उसका काम रुकेगा।

एक बात मैं ट्यूबवेल आपरेटर्स की तब्दीली के बारे में और कहना चाहता हूं। मेरा यह सुझाव है कि अगर उनकी तब्दीली का समय ज्यादा से ज्यादा दो साल कर दिया जाय और इसी समय के अन्दर उनकी तब्दीली हो जाया करे तो इससे जनता की शिकायतें कम होंगी और विभाग की बदनामी भी इस संबंध में कम होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। जितने लोगों ने भी इस अनुदान के संबंध में भाषण किये, इधर से भी और उधर से भी, सभी ने कुछ न कुछ खामियां बताई हैं। यह तो कहा गया कि मांग ज्यादा होनी चाहिये लेकिन उन्होंने एक लिस्ट खामियों की बताई। मैं इस संबंध में विस्तार में न जाकर अपने ही जिले गोंडा की कुछ बातों को कहना चाहता हूं। यूं तो उस जिले में न कोई नहर है, न कैनाल है, और न कोई सिंचाई की बड़ी भारी योजना है। उस जिले में सिंचाई के साधन इतने कम हैं कि जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह वास्तविक बात है कि जब तक खेत खेत में पानी नहीं पहुंचेगा तब तक न तो इस देश की उन्नति ही होने वाली है और न किसान का ही कुछ भला होने वाला है। किसान की हालत तभी सुधर सकती है जब उसके खेत के लिये पानी का प्रबन्ध हो। हमारे जिले में सरकार की तरफ से कुछ करने का प्रयास अवश्य किया गया है और खास तौर से वहां कुछ डैम्स बनाये गये हैं जैसे---खैरमान, कोहरगड्डी, बघेलखंड, गिरगिटही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और पचपेड़वा आदि, जिसमें कि दो करोड़ के करीब रुपया सरकार का खर्च हुआ। लेकिन इतना खर्च होने के बाद भी यह निश्चित है कि जब सिंचाई का समय आता है तो उसमें पानी नहीं रहता है। फरवरी के बाद उन बंधियों में एक कतरा पानी भी नहीं रहता है। तो इतना रुपया खर्च किया जाय और उससे सिंचाई की योजना को कोई बल न मिले तो इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं। इन बड़ी बड़ी योजनाओं से यह उम्मीद होती है कि जब बरसात होगी, नालों में पानी रुकेगा, और उससे कुछ फायदा होगा। लेकिन अगर चूहों ने नालों को कहीं पर काट दिया तो पानी सब निकल जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा है।

हमारे गोंडा जिले में छोटी छोटी योजनायें सफल हुई हैं। वहां पर लोगों ने छोटे-छोटे ट्यूबवेल बनाये हैं जिसमें ६०-७० एकड़ की सिंचाई हो सकती है। तो अगर इस विभाग ने बड़ी बड़ी योजनाओं के स्थान पर छोटी छोटी योजनायें बनाई होतीं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि काफी फायदा हुआ होता और इससे चौगुनी आबपाशी हो जाती और उनके खेतों को पानी पहुंच जाता लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये योजनायें बड़ी भारी बनायीं और छोटी योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा खेती की सिंचाई हो सकती थी।

एक मुझे और निवेदन करना है मंत्री महोदय से कि इसमें बड़े बड़े रकबे लिये गये, कितनी काश्त छुड़ाई गयी, उनकी खेती खड़ी थी, अब वहां अधिकारी अपनी खेती कराते हैं, अरहर लगी है, फसल लगी है, और जिन गरीबों के खेत हैं वह दूर से देखा करते हैं। तो इतना बड़ा एरिया ले लिया गया और मुआवजा देने के लिए आज तक ३-३, ४-४ वर्ष हो गये, वह चाहे मजदूरी का बहाना हो, चाहे उनकी हालत कितनी गयी गुजरी हो गयी हो, कितने ही बेघरबार के हो गये हों, उनको कम्पेंसेशन मिलना नामुमकिन हो गया और अगर मिलता भी है तो अगर २-४ बीघे का खेत हो तो सरकारी शेड्यूल रेट से १०-१५ रुपया बीघा उनको मिल जाता है और अगर उसे लेने के लिए ४ मर्तबा गोंडा आया तो जितना कम्पेंसेशन मिलना है वह उसी में सब खर्च हो गया। तो मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जो इस तरफ कम्पेंसेशन बाकी पड़ा हुआ है, जिसके लिए एक प्रश्न भी आया था कि उनको दिलाकर या दूसरी जगह जमीन दिलाकर बसाने की कृपा करें, तो वह किया जाय।

एक बात और निवेदन करनी है कि वहां बड़े-बड़े राजकीय ट्यूबवेल बन हुए हैं जो कि १०० के करीब हैं। एक की मिसाल बताऊं कि करीब दो ढाई वर्ष हुए गांव में ट्यूबवेल बना था, पंपिंग सेट भी नहीं आया था और नहर तजवीज हो गयी कि खोदी जाय। वह काश्तकार हमारे पास आया कि इसमें तो सैकड़ों बीघे खेत खुद जायगा, अगस्त का महीना है, मक्का की फसल तैयार है, एक आध महीने की मोहलत दे दी जाय ताकि हम अपनी फस्ल काट लें। तो मैंने वहां के इंजीनियर साहब से प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार का हुक्म है कि इसको जल्दी तैयार किया जाय। हमने कहा कि अभी तक तो आपका पंपिंग सेट भी कुएं पर नहीं है, चलेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि नहर पहले बनायी जाती है। आखिर उनकी फसल खुद गयी, उसका कम्पेंसेशन नहीं दिया गया और आज तक वह नहीं बन पायी। एक और इसी तरह ट्यूबवेल है, ३ वर्ष से वह कुआं बना है, १५ नवम्बर का राजकीय ट्यूबवेल है नबावगंज के पास। यहां पर उच्चाधिकारी मौजूद हैं, वह तजुर्बे के तौर पर जाकर देख लें कि उसके बनने में ५०-६० हजार रुपया सरकार का खर्च हुआ। फिर बिजली की लाइन वहां पहुंच गयी, लेकिन उससे मुश्किल से १०० एकड़ खेत की सिंचाई

[श्री बलदेवसिंह]

हो पाती है। मैंने जब वहां के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब तक गूल बनाने को पैसा नहीं था, भले ही मिट्टी को काट कर चलाया जाता हो लेकिन दूसरे खेत में पानी नहीं जाता, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। तो श्रीमन्, मैं नहीं कहता कि आपकी योजनाएं गलत हैं, ये बहुत अच्छी हैं और इनको जरूर बनना चाहिए और सबके खेतों में पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन इसकी देखभाल और इसका असर इतना कम पड़ता है कि मैं आपसे क्या बताऊं? उच्चाधिकारी टेक्निकल आदमी हैं, हम लोगों की पहुंच भी नहीं है, लेकिन इतना मैं निश्चित जानता हूं कि गांव में किस स्थान से पानी हर जगह पहुंच सकता है वह हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। गांव वाले जितने सुन्दर तौर से उसको जानते हैं कि हमारा गांव कहां ऊंचा है, कहां नीचा है उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन कोई ऐडवाइस नहीं ली जाती। जब वह कहते हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। दो एक ट्यूबवेलों के बारे में तो मैंने स्वयं कहा, लेकिन नहीं माना। जहां मना किया था उसी जगह पर बनाया गया और बनने के बाद जब पानी नहीं पहुंचा तो स्वयं कहते हैं कि नीचे हिस्से पर पड़ गया, ऊंचे पर पानी नहीं चढ़ता।

तो यह जिला बड़ा बदकिस्मत जिला है। आपका ध्यान भी बहुत कम उधर पहुंचता है। सड़कों के मामले में भी मैं कुछ कहने वाला था, अवसर नहीं मिला, लेकिन चौधरी साहब उधर जा चुके हैं, मुमकिन है कि कृपा करें। वहां आपकी सिंचाई योजना भी इतनी खराब है कि उस जिले से छोटे जिलों में वहां से दुगने तिगुने राजकीय ट्यूबवेल हैं, लेकिन गोंडा में इतनी कम संख्या में सिंचाई के साधन हैं जिनके लिये क्या कहा जाय। जो ऊंचे बनते हैं उनसे जिले को लाभ नहीं होता।

अगर कोई डैम बने, जैसा मैंने सुना है कि कोई तजवीज है, तो बगैर पहले उसका सर्वे किये हुये न चालू किया जाय। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो पांच सात डैम आपने बनाये हैं उन पर जो खर्चा स्टाफ वगैरह पर हो रहा है उससे ४०, ५० हजार रुपये साल का घाटा हो रहा है। तो वे न सरकार के और न जनता के ही उतने काम के हैं। चाहिये ऐसा कि टाइम पर पानी पहुंच जाय और रुपया भी बेकार न जाय।

मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिनका मुआवजा बाकी है उनके ऊपर विशेष कृपा करके उनका मुआवजा दिला दिया जाय तो यह बहुत कल्याणकर होगा। अन्त में मैं कहूंगा कि हमारे पिछड़े जिले गोंडा की सिंचाई की ओर अधिक ध्यान देकर उसका उपकार करें।

श्री सुखलाल (जिला इटावा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार नदियों से बड़ी बड़ी नहरें निकाल कर तथा हजारों ट्यूबवेल्स खुदवाकर जमीन की सिंचाई का जो प्रबन्ध कर रही है उससे काश्तकार की पैदावार बढ़ी है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इटावा जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां आयाना झील से जो नाली निकाली गयी है उससे हजारों एकड़ जमीन निकल आयी है और उसमें लाखों मन गल्ला पैदा होने लगा है। इसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर एक फुट नाली उसे और गहरी कर दी जाय तो कम से कम दो सौ एकड़ जमीन और निकल सकती है जिसमें हजारों मन गल्ला पैदा हो सकता है।

सन् १९५२ में बम्बे का सर्वे हो चुका है और उसके लिये रिपोर्ट भी माननीय मंत्री जी के पास आ चुकी है लेकिन अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थना है कि उसे स्वीकार शीघ्र करें।

हमारे जिले में कोई ऐसा ट्यूबवेल नहीं है जिससे सिंचाई हो। उसी जिले में औरैया तहसील में यमुना, चम्बल के बीच में आज तक कोई सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया गया है और न कोई वहां पर रोजगार है, न कोई उद्योग-धंधे हैं जिनसे जनता को फायदा हो। इसके कारण वहां बेकारी बहुत है, जनता में असंतोष बहुत है और यही कारण है कि उस क्षेत्र में

डाकू या चोर ही जाते हैं और इटावा से आगरे तक वे धावा मारते हैं और गिरफ्तारियां होती हैं। वहां हजारों गांवों में पुलिस सरकार ने लगा दी है। जितना रुपया पुलिस पर खर्च किया जाता है अगर वही रुपया सिंचाई के कार्यों में लगा दिया जाय तो वहां की पैदावार बढ़ सके और चोर और डाकुओं का आतंक भी कम हो जाय क्योंकि सबके लिये काम हो जाय और बेकारी कम हो जाय।

हरिजनों के पास सिंचाई के लिये कोई साधन नहीं हैं। इतने खेत भी हरिजनों के पास नहीं है जिनसे उनकी जीविका चल सके। न उनके पास कुएं बनाने के लिये तकावी है जिससे कुएं बना सकें। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हरिजनों के पास बहुत कम जमीन है, उनके पास पैसा नहीं है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हरिजनों को कम जमीन पर भी कुएं के लिये तकावी दी जाय ताकि वह कुएं बनाकर अपनी सिंचाई का प्रबन्ध कर सकें। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर सरकार उचित ध्यान देने की कृपा करेगी। अन्त में मैं पुनः प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इर्रीगेशन, एग्रीकल्चर और प्लानिंग विभाग एक ही मन्त्री के अन्तर्गत होने चाहिये जिससे इन विभागों में आपस में कोआर्डिनेशन हो सके और यह पता चल सके कि कहां किस जिले में किस स्थान पर पानी की आवश्यकता है। श्रीमन्, जो बजट हम लोगों को बांटा गया है उसके खंड ३ के पृष्ठ ४०-प पर इस बात का जिक्र है कि सिंचाई विभाग ने पूर्वी जिलों में सिंचाई के साधनों का विकास किया लेकिन वहां के लोग उन साधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग के साथ-साथ एग्रीकल्चर विभाग क भी मन्त्री होते तो वे उस ओर ध्यान रखते कि बुन्देलखंड में जो भी जिले आते हैं वहां के लोग अगर सिंचाई के साधनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वहां सम्भवतः वह इस चीज को नहीं बनने देते। तो आपके द्वारा मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे सिंचाई विभाग के साथ-साथ कृषि विभाग को भी ले लें जिससे एक दूसरे में कोआर्डिनेशन होता रहे।

अब मैं मन्त्री जी का ध्यान आंकड़ों की पुस्तक की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके द्वारा प्रतीत होता है कि पश्चिमी जिलों के किसान अधिक पानी का उपयोग करते हैं। उसके पृष्ठ ११ पर लिखा हुआ है कि पश्चिमी जिलों में नहरों द्वारा सिंचाई की दरें पूर्वी जिलों की दरों की अपेक्षा अधिक होने के कारण प्रदेश की निर्धारित मालगुजारी में वृद्धि हुई। इसमें दिये गये आंकड़ों से मालूम होता है कि सन् १९५७–५८ में ८,०४७ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की गई और ७७,१८६ हजार रुपये की निर्धारित मालगुजारी आई। इसी प्रकार से १९५८–५९ में ७,५३२ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की गई और ८३,७९६ हजार रुपये की निर्धारित मालगुजारी आई। इस प्रकार से ६,६१० हजार रुपये की सिंचाई की मालगुजारी में बढ़ोत्तरी हुई। तो पश्चिमी जिलों के किसान जो कि पानी चाहते हैं और उसके लिये मारे-मारे फिरते हैं उनके लिये सिंचाई की दरें बढ़ा दी गईं, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अब भी अपर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है।

पूर्वी जिलों के लिये कहा जाता है कि वहां के लोग पानी नहीं लेते, वहां के लोग स्वयं खेती भी नहीं करना चाहते लेकिन हमारे पश्चिमी जिलों में लोग अपने हाथ से खेती करते हैं इसलिये पानी भी लेते हैं। तो जो पानी लेता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, वहां का एरिया सरप्लस एरिया भी कहलाता है, उस इलाके को मन्त्री जी कुछ छूट और दें जिससे वहां के किसान उठ कर

[श्री हिम्मतसिंह]

खड़े हों सके। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जहां पहले गेहूं का सिंचाई का रेट रिबेट काटकर साढ़े ४ रुपये था वह अब १२ रुपये हो गया है, ईख का जहां पहले १० रुपये था अब ३२ रुपये कर दिया गया है, चावल जहां पहले ६ रुपये था अब १४ रुपये कर दिया है। तो इस प्रकार से पश्चिमी जिलों में पहले से बढ़े हुये रेट्स को और बढ़ा दिया गया है। आखिर वहां के लोग इस प्रकार की द्विभांति की नीति के क्यों शिकार किये जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

अब मेरा जिला एक ऐसा जिला है जहां ट्यूबवेल का कमांड है और नहर की टेल वहां पर खत्म होती है। वहां के किसानों ने टेल के पानी के लिये मंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को कई बार दरख्वास्तें दीं कि हमारा नहर महकमे से कमांड कर दिया जाय और ट्यूबवेल से पानी दिया जाय जिससे सिंचाई हो सके। लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी इसको नोट कर लें--डिबाई, जिला बुलन्दशहर में बुढ़ानपुर खुर्द गांव है। वहां ठीक प्रबन्ध की व्यवस्था करके वहां के लोगों को सुविधा देने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त डिबाई परगना में कूप की भी बहुत जरूरत है।

बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही है, वे पूरी नहीं हुईं, मध्यवर्ती योजनायें भी पूरी नहीं हुईं तथा छोटी-छोटी योजनाओं के अन्तर्गत जो कुओं की स्कीम थी, वह भी पूरी नहीं हुई है। इसी पुस्तिका के पृष्ठ २२ से २३ पर बताया गया है कि २,९७० ऐसे कुएं हैं जो अभी तक नहीं बनाये गये हैं। पूर्वी जिलों वाले पानी नहीं लेते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं और कहते हैं कि दरें बहुत हैं लिहाजा मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अधिक से अधिक कुएं पश्चिमी जिलों में बनवायें ताकि वहां के लोग अधिक से अधिक सिंचाई करके अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकें।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--अधिष्ठाता महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य हर समय यह क्या कह रहे हैं कि पूर्वी जिलों की उपेक्षा की जाय और पश्चिमी जिलों को दिया जाय। वे बराबर पूर्वी और पश्चिमी का सवाल उठा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने पूर्वी, पश्चिमी जिलों का खयाल नहीं किया। पश्चिमी जिलों के लोग मेहनत करते हैं और अपनी मशक्कत से २४ घंटे काम करके अन्न पैदा करते हैं और पूर्वी जिलों को देते हैं। सरकार द्वारा दी गयी किताबों में स्वयं लिखा है कि पूर्वी जिलों के लोग पानी नहीं लेते हैं। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है वे बजट के खंड ३ के पेज ४०-प को देखें। उसमें लिखा हुआ है कि वहां के लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग मेहनत करने वाले हैं उनके लिये पानी का प्रबन्ध करें, इसका उन्हें अधिकार भी है। पश्चिमी जिलों में सिंचाई के नाम पर टैक्स क्यों लगाया जाता है। जब आप उनसे टैक्स लेते हैं तो आप उनके लिये सिंचाई का प्रबन्ध करें। उनके लिये अधिक से अधिक कुएं बनाये जायं ताकि वे अधिक से अधिक अन्न उपजा सकें। पानी का कमान्ड उतना ही रखा जाय जितना पानी आप सप्लाई कर सकें, उससे अधिक कमांड न रखा जाय। इससे किसानों को नुकसान होता है।

एटा जिले के अलीगंज क्षेत्र के हजारों काश्तकारों की एप्लीकेशन माननीय मंत्री जी के पास आयी है। वे कह रहे हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी कुएं बनायें। कई स्थानों पर जहां कुएं फेल हो गये हैं वहां पर सरकार को पानी का दूसरा इन्तजाम करना चाहिये। बड़े सिंचाई के साधन न हो सकें तो छोटे साधनों से किसानों को सहायता पहुंचानी चाहिये। इस विभाग के पतरौल और ट्यूबवेल आपरेटर लोगों को तंग करते हैं। आशा है माननीय मंत्री जी उन पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

भारतीय जनसंघ ने बार-बार कहा है कि किसानों के लिये छोटे-छोटे कुएं बनाओ। अगर आप बड़े-बड़े ट्यूबवेल्स नहीं बना सकते हैं तो उन लोगों को छोटे-छोटे कुएं और रहट लगा कर पानी देने का प्रबन्ध करिये ताकि काश्तकार सिंचाई कर सकें और अन्न पैदा करके देश को दे सकें। जब खरीफ की फसल कटती है तो नहरों से पानी नहीं मिल पाता है। पानी न होने से रबी की फसलें, गेहूं, जौ, चना और मटर आदि रह जाती हैं। इसलिये पानी का इंतजाम ठीक ढंग से किया जाय।

नरौरा क्षेत्र के अन्दर मेरठ डिवीजन का कुछ भाग मिला दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस क्षेत्र को पानी नहीं दिया गया है। उनके लिये भी पानी की सुविधा होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने सिंचाई का जो अनुदान रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और कटौती का प्रस्ताव जो श्री रामस्वरूप जी ने रखा है, उसके विरोध में बोल रहा हूं। श्री रामस्वरूप जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको देखने से और उनके भाषण से ऐसा मालूम होता था कि सिंचाई विभाग बिलकुल बेकार-सा है और उसमें सब अवनति के काम किये गये हैं। यदि कोई अजनबी आदमी आज इस सदन में होता तो जो रामस्वरूप वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे सुनकर बड़ा ताज्जुब होता। आज सिंचाई जैसे महत्व के अनुदान में किसी किस्म की कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा जाना चाहिये था। हमारा देश कृषि प्रधान देश है. . . .

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)––श्रीमन्, व्यवस्था का एक प्रश्न मैं रखना चाहता हूं। इस माननीय सदन का नियम है कि जब किसी माननीय सदस्य के बारे में कोई बात कही जाती है तो उसक पहल आदरसूचक शब्द लगा कर उनका नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे ट्रेजरी बेंच के सदस्य उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––ठीक है, माननीय सदस्य भविष्य में इसका ध्यान रखें।

श्री रामलखन सिंह––आदरसूचक जितने भी शब्द लग सकते हैं उन सब को उनके नाम के पहले लगाने के लिये मैं तैयार हूं।

अधिष्ठाता महोदय, जो सिंचाई का अनुदान है वह बड़े महत्व का अनुदान है। इस कृषि प्रधान देश में सिंचाई के बिना खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है, जिसके बिना आर्थिक व्यवस्था खराब होती है। इस सदन तथा इस प्रदेश के रहने वालों की यह राय कभी भी नहीं हो सकती कि सिंचाई के लिये अनुदान न दिया जाय और उसके लिये व्यवस्था न की जाय। आज से कई हजार वर्ष पहले भगीरथ नाम के व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश में हिमालय से पानी की धारा लाये जो आज गंगा के नाम से प्रचलित है, और जिसकी आज पूजा होती है तथा उसके बारे में पुराणों में भी बड़ी कथा है। तो हमारे यहां यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी में ही सिंचाई की व्यवस्था प्रारम्भ हो गयी थी लेकिन हमारी लोकप्रिय सरकार जब से, १९४७–४८ से इस प्रदेश में राज्य कर रही है तब से सिंचाई की व्यवस्था पहले से ज्यादा अच्छी और बढ़िया ढंग से चलाने के लिये बहुत-सी योजनायें चलायी गयी हैं और उसका नतीजा यह है कि हमारे पश्चिमी जिलों में चाहे पहले नलकूप रहे हों लेकिन हमारे जिले के लोग जो पश्चिमी जिलों में या बाहर नहीं गये थे उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही नलकूप के दर्शन किये। तो ये जो नलकूप

[श्री रामलखन सिंह]

बनाये गये हैं, उनसे जो पानी की व्यवस्था की गयी है उससे काफी सिंचाई हुई और बहुत-सा कृषि का उत्पादन बढ़ा।

उसी तरह से नहरें भी बनायी गयी हैं, किन्तु उसके लिये कुछ थोड़े से सुझाव मुझे आपके सामने देने हैं। खास तौर से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले जौनपुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जौनपुर जिले में जितने नलकूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में होने चाहिये थे उतने नहीं बन सके। उस जिले के लोगों ने इस बात की बड़ी आशा की थी कि हमारे यहां काफी नलकूप हो जायंगे और जौनपुर जिला जो अन्न के मामले में डेफिसिट एरिया है, उसकी सिंचाई के द्वारा तरक्की होगी और वहां गल्ले की पैदावार बढ़ जायगी। लेकिन अफसोस कि वह आशा नहीं पूरी हो सकी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां कोई भी नलकूप नहीं बनाया गया। अभी उस जिले में नलकूपों की बहुत कमी है। बहुत से वहां ऐसे स्थान हैं जहां नहरें नहीं पहुंच सकती हैं और जहां सिंचाई की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की जा सकती, वहां नलकूपों का होना बहुत जरूरी है। हमारा क्षेत्र जौनपुर में रारी क्षेत्र के नाम से मशहूर है। उस क्षेत्र में बहुत सी नदियां हैं जैसे—गोमती, सई, वरुणा, वसुही और पीली आदि। नदियों के किनारे जितने गांव हैं उनके अन्दर सिंचाई की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। मैं आप के द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नदी के किनारे के गांवों की सिंचाई की जो भी व्यवस्था हो सके वह की जाय। अगर वह नहीं होती है तो नदी के किनारे के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण जो दूसरे लोग सिंचाई के साधनों से लाभ उठा रहे हैं वह वहां के लोग नहीं उठा पाते और कराहते रह जाते हैं और तकलीफ में रह जाते हैं।

इसी तरह से कई स्थान ऐसे हैं कि जहां नहरों की व्यवस्था तो है या प्लान भी है कि वहां नहरें बनें लेकिन वहां अभी तक या तो नहरें नहीं गई हैं और अगर गई हैं तो थोड़ी सी खेती बनी हैं और बाकी नहीं बनीं और पानी नहीं पहुंचा। जब नहरों के लिये सर्वे हुआ और नहरों की व्यवस्था की बात चली तो लोगों को आशा हुई थी कि नहरें बनेंगी और सिंचाई का प्रबन्ध होगा और पैदावार में उन्नति होगी, लेकिन आज तक वहां नहरों की ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है कि लोग अपने खेतों की ठीक से सिंचाई कर सकें। इससे वहां बड़ी निराशा छाई हुई है, मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। जो नई जमीन तोड़ कर खेती किये हैं वहां भी अगर दूर तक पानी का प्रबन्ध कर दिया जाय तो उनकी खेती भी लाभप्रद हो सके। हमारे यहां जौनपुर में सिगरारे के पास चांदपुर का पानी नहर काट कर जाता है। वह फैलता रहता है, मैंने इस सम्बन्ध में इंजीनियर्स का ध्यान भी आकृष्ट किया, चिट्ठी भी लिखी, लेकिन पानी गिरता ही रहता है जिससे २५-३० बीघा जमीन पानी से लबालब भरी रहती है और जाड़ा गर्मी बरसात किसी मौसम में वहां कोई खेती नहीं हो सकती, बराबर पानी भरा रहता है।

नलकूपों के सम्बन्ध में भी मेरा कहना है कि जो उनके आपरेटर्स हैं वह वक्त से पानी नहीं देते और उनको जितनी परवाह होनी चाहिये वह नहीं करते बल्कि उनके बारे में लोगों का जैसा अनुमान है, उनमें भ्रष्टाचार है। इन सब चीजों को अगर दूर किया जाय तो सिंचाई विभाग जो काम कर रहा है वह आगे चल कर बहुत अच्छा होगा और उससे इस कृषि प्रधान देश की तरक्की हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान मांगा है उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूं कि इस अनुदान पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैंने बजट को देखा तो उत्तर प्रदेश के दक्खिनी भाग के लिये केवल ३ लाख रुपया रखा गया है। माननीय मंत्री जी से मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि बुन्देलखंड के लिये यह रकम बहुत ही कम है। कम से कम उनको वहां के लिये २०-२५ लाख रुपया रखना चाहिये था। हमारे माननीय मंत्री

जी को मालूम है कि वहां पर नलकूप भी नहीं चल सकते, इंजीनियर्स का कहना है कि वह वहां काम नहीं दे सकते। इसलिये वहां छोटी-छोटी बन्धियों की बहुत जरूरत है और उनके लिये यह ३ लाख रुपया नहीं के बराबर है। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि बुन्देलखंड पर उनकी हमेशा कृपादृष्टि रहती है, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि यह केवल चार जिलों के लिये है या और जिले भी हैं। भारत सरकार ने पिछड़े जिलों के लिये ८६ लाख रुपया रखा है, मैं यह जानना चाहती हूं माननीय मंत्री जी से कि उस ८६ लाख में से क्या बुन्देलखंड को भी कुछ मिलेगा ?

हमारे यहां पहले कुछ स्कीमें भी चली थीं। कुछ बंधे भी बने हैं, बंधियां भी बनी हैं, लेकिन दो-तीन साल से ऐसा हो गया है कि बन्धी बनाना बिलकुल बन्द हो गया है। सब जानते हैं कि बुन्देलखंड में ऊंची-नीची और रूखी जमीन है। वहां बंधी नहीं होंगी तो बिलकुल पैदावार नहीं होगी। वहां गांव में छोटे-छोटे नाले हैं। जब उनमें पानी आता है तो मिट्टी बह जाती है और कंकड़ रह जाते हैं। इसलिये वहां पर बन्धे और बंधियों की सख्त जरूरत है। भूमिहीन हरिजन भाई आज मकान बनाने के लिये परेशान हैं, अगर वहां पर छोटी-छोटी बंधियां डलवा दें तो काफी जमीन निकल सकती है।

हमारे यहां नाले हर गांव में करीब-करीब हैं। इंजीनियरों से हम लोगों ने कहा कि बन्धी डलवा दो तो जमीन समतल हो जाय। उन्होंने कहा कि हमको सरकारी आज्ञा नहीं है, केवल २०० रुपया एकड़ के हिसाब से हमें मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि जहां गहरे नाले हैं वहां के लिये कम से कम ४-५ सौ रुपया रखना चाहिए ताकि बंधी पड़ सकें और समतल जमीन हो जाय।

हमारे यहां बंधे भी हैं। झांसी में दो हैं—कमला सागर और गोविन्द सागर। मंत्री जी हमारे यहां गिरधारीलाल सागर बंधा हमीरपुर जिले में बनवाने की जरूर कृपा करें। आगे आने वाली संतान गुणगान करेगी। इसलिये मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि हमारे यहां अपने नाम से बंधा जरूर बनवाएं।

बुन्देलखंड एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है, वहां खेत में इतनी रुखाई रहती है कि पानी न दिया जाय या बरसात न हो तो बिलकुल गल्ला नहीं पैदा होता। मैं समझती हूं कि करीब-करीब सभी हमारे मंत्री महोदयों की कृपा दृष्टि है। मैं उनकी आलोचना नहीं करती इसलिये कि अभी थोड़े दिन तो उनको हुए ही हैं और शायद आगे चल करके बंधे बंधियां डलवायेंगे। जिस प्रकार उन्होंने इस साल हमारे मौदहा की सड़क को लिया है, जहां भी खराबी देखें, सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता की परेशानियों को दूर करे।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—मुझे श्रीमन् यह निवेदन करना है कि संख्या के अनुपात से हमारी पार्टी को समय नहीं मिल पाता है।

श्री अधिष्ठाता—मैं यत्न करता हूं कि आपकी पार्टी को समय मिले।

***श्री महमूद अली खां** (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे मौका दिया। साथ ही मैं अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सूबे की ७५-७६ फीसदी आबादी खेती पर डिपेंड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महमूद अली खां]

करती है और जो अनुदान सिंचाई के सिलसिले में पेश किया गया है इस पर कटौती का प्रस्ताव आना मेरी समझ में कुछ बात नहीं आयी।

इन्सान की जिन्दगी के लिये खूराक की जरूरत है और खूराक के लिये पानी की जरूरत है। तो प्रदेश के लिये सब से अहम जो अनुदान है वह सिंचाई का है। जो कुछ सरकार ने सिंचाई के सिलसिले में किया है वह बहुत ज्यादा है। खास तौर पर ट्यूबवेल्स की जो स्कीम सरकार ने चलायी है उससे देहातों के अन्दर बिजली नजर आती है और तरह-तरह की इंडस्ट्रीज भी खोली जा रही हैं। यह सब सिंचाई विभाग की बदौलत नजर आ रहा है। इस सिलसिले में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि सिंचाई तीन तरीके से होती है, नहर, ट्यूबवेल और छोटे-छोटे कुओं और रहट वगैरह से।

नहरों के सिलसिले में यह कहना है कि चूंकि इस वक्त इंटेंसिव कल्टीवेशन शुरू हो गया है, आबादी सूबे की बढ़ रही है जिसकी वजह से खूराक की समस्या है, वेजीटेबिल्स की काश्त की जा रही है, सीलिंग हो जाने से भी इंटेंसिव कल्टीवेशन बढ़ जायगी, तो इस सिलसिले में एक जनरल सर्वे नहरों का किया जाय कि जहां-जहां नहरों का पानी दिया जाता है यह देखा जाय कि हेड और टेल पर किस तरह पानी दिया जाता है। चूंकि नहरों में पानी तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लिहाजा हेड पर जितना ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जा सकता है और जितनी उस इलाके को जरूरत हो उसको तो रख लिया जाय बाकी तमाम एरिया को ट्यूबवेल के अन्दर दे दिया जाय। और एक नई स्कीम तमाम सूबे में चले ताकि ट्यूबवेल ज्यादा से ज्यादा लगा सकें।

दूसरा सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश में और देश में यातायात के साधनों की बहुत कमी है। उस सिलसिले में माननीय विकल जी ने कहा था। लेकिन मैं उसमें जरा-सी तरमीम यह करना चाहता हूं कि कैनाल्स पर जो पटरियां हैं वह बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। सरकारी अफ़सरान कभी-कभी जाते हैं दौरे पर लेकिन उनके रखरखाव पर खर्च बहुत होता है। तो उस खर्च को देखते हुए और यह देखते हुए कि पटरियों से नेशन को कोई फ़ायदा नहीं है इसलिये नहर की पटरियों को जनता के लिये खोल दिया जाय।

तीसरा सुझाव ट्यूबवेल्स के सम्बन्ध में है। ट्यूबवेल्स पर सर्विस रोड्स हैं। एक दिक्कत जरूर है कि सर्विस रोड्स जो बनायी गयी हैं वे कम चौड़ी हैं लेकिन उनमें रकबा काफी घिरा हुआ है। उसकी हालत यह है कि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। साल, छः महीने में कोई अफसर चला जाता है, सरकार का तमाम रुपया खर्च होता है लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। कैनाल एक्ट का सेक्शन ७० जो है उसके मातहत अगर कोई किसान उस पर गाड़ी ले जाता है तो उसको सजा मिलती है। ऐसी सूरत में इन सरकारी रोड्स को डबल कर दिया जाय कच्चा ही और इनको भी ओपेन कर दिया जाय। इससे हमारे सूबे में जो कम्युनिकेशन का मामला है खास तौर से देहात का, वह हल हो जायगा। जितने ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं वे देहातों में हैं और उनसे जब छोटी-छोटी सड़कें कनेक्टेड होंगी तो उनको पंचायतें श्रमदान से बना सकती हैं।

ट्यूबवेल्स पर एरिया बहुत ज्यादा है। इससे किसान को नुकसान पहुंचता है। किसानों को जमीन के हिसाब से घंटे मिलते हैं। ५० बीघा जमीन है तो ३ घंटे मिले। इसमें किसान क्या कर सकता है? रात को वे ३ घंटे पड़े और नाली खराब हो गयी तो वह पानी नहीं पा सकेगा। मेरा सुझाव है कि ३०० एकड़ से ज्यादा किसी ट्यूबवेल पर रकबा न रखा जाय।

हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं वे पावर के भी मंत्री हैं। इर्रीगेशन के लिये जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स लोग बनाना चाहते हैं उसमें इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सबसिडी होना चाहिये और ऐसी सबसिडी होना चाहिये जिससे किसानों को आसानी से ट्यूबवेल्स बनाने में मदद मिल सके। इससे बड़ा फायदा होगा और खास तौर से ऐसे इलाकों में जहां सस्ते ट्यूबवेल्स

केबिटी सिस्टम पर बन सकते हैं जिनकी लागत ८, ९ हजार होती है उनके लिये गवर्नमेंट सबसिडी दे। इससे काश्तकारों को फायदा होगा और स्टेट को भी फायदा होगा।

एक सुझाव और दूंगा। वह यह है कि किसानों को जो बिजली मिलती है सिंचाई के सिलसिले में उनसे जो २६ रुपये माहवार लिये जाते हैं लाइन के सिलसिले में वह बिलकुल न लिये जायं। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी व यू० पी० गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने सिंचाई के सिलसिले में काम किये हैं और इस कटौती के प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)––एक व्यवस्था का प्रश्न है। विशिष्ट गैलरी में एक सज्जन पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो लोग सदन में आकर बैठें वे जरा सदन की मर्यादा का खयाल रखें।

श्री अधिष्ठाता––आपने ठीक कहा। किसी विजिटर को इस तरह नहीं बैठना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामस्वरूप जी वर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान स्वीकार करने की मांग की है उसके सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिंचाई अपने प्रान्त के लिए एक बहुत जरूरी और आवश्यक साधन है, मान्यवर, इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। इसमें भी दो राय नहीं है कि सिंचाई के साधन बहुत कुछ इधर बढ़े हैं। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस विभाग में जब से वह आये हैं या जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है जितना रुपया खर्च हुआ है क्या उतना निर्माण कार्य भी हुआ है और जितना निर्माण कार्य हुआ है क्या उस हिसाब से जनता को फायदा पहुंच रहा है? जरा अपने दिल पर हाथ रख कर वह सोचें! मैं कहूंगा कि यह कदापि नहीं हुआ है।

भ्रष्टाचार के बारे में तो पी० डब्ल्यू० डी० के अनुदान पर बोलते हुये उन्होंने यह सर्टिफिकेट दे दिया है कि मैंने इस में बहुत सुधार कर दिये हैं और अब कोई भ्रष्टाचार नहीं रह गया है। तो भ्रष्टाचार तो उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैं जरा यह पूछना चाहता हूं कि उन के विभाग में जो निर्माण कार्य आज हो रहा है। जिसमें अरबों रुपये लग रहे हैं वह काम कितना मजबूत हो रहा है इसका भी एक सर्टिफिकेट मन्त्री जी अब की जवाब देते वक्त दे देंगे। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान विधायक निवास की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पहले की सीमेंट की बनी हुई सड़क मौजूद है और जो अब बनायी गई वह भी मौजूद है, पहले के बने हुये कमरे भी मौजूद हैं और जो ए० ब्लाक के ऊपर अब बनवाये गये हैं वह भी मौजूद हैं। दोनों को देख लें, पता लग जायगा। इसी तरह से नहर विभाग के भी काम हुये हैं।

श्रीमन्, आज एक बहुत ही सुन्दर किताब इस विभाग द्वारा सदन में बांटी गयी है। इसको मैंने बड़े गौर से देखा है। इसमें जो बातें मुझे मिलीं उनको देख कर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। क्या माननीय मन्त्री जी की मन्शा यह है कि वे हमें आंकड़ों के जाल में डाल कर असलियत से दूर रखना चाहते हैं या उनके विभाग ने स्वयं माननीय मन्त्री जी को धोखे में रखने की कोशिश की है? इसमें सन् १९५७-५८ में सबसे ज्यादा सिंचाई हुई है ८०,३४,०१५ एकड़ जबकि सन् १९५५-५६ में कुल ६३,८४,३०२ एकड़ भूमिकी सिंचाई हुई थी। इस तरह से करीब साढ़े १६ लाख एकड़ जमीन में ज्यादा सिंचाई दिखलायी गयी है। लेकिन जब मैंने बजट के पन्ने उल्टे और उसमें आमदनी देखी कि वाकई आमदनी भी सिंचाई का रकबा बढ़ने से बढ़ी या नहीं तो वहां मुझे उल्टा नजर आया। आप देखें कि सन् १९५७–५८ में आमदनी है २,१९,१८,४५७ रुपये

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

की और सन् १९५५-५६ में आमदनी है २,९१,२९,३०८ रुपये की। तो एक तरफ सिंचाई का रकबा तो करीब १६ लाख एकड़ ज्यादा हुआ मगर आमदनी में करीब ७२ लाख पये की कमी हो गयी। तो आखिर यह क्या बात है, माननीय मन्त्री जी जरा इस को बताने की कृपा करेंगे कि यह क्या गोरखधन्धा है? जहां तक इस विभाग में भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, इस विभाग के एक कर्मचारी श्री० पी० एच० पंजाबी ने हमारे गोरखपुर जिले के एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया था और उस के साथ ही अपना इस्तीफा भी भेज दिया था। माननीय चरण सिंह जी उस समय इस विभाग के मन्त्री थे। उन्होंने सब मामले को देखा और देख कर उसके इस्तीफे को वापस किया और उसकी जांच करायी। कई लोग इस में सस्पेंड हुये। दो इन्जीनियर मुअत्तल हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, श्रीमन् यह देख कर कि माननीय चरणसिंह जी के हटते ही १५ दिन के अन्दर जिसने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा भंडाफोड़ किया था उसको मुअत्तल कर दिया गया। वह आज तक मुअत्तल है, उसके बच्चे भूखों मरते हैं और यह नहीं कि उसके चार्जेज गलत हों, सरकार ने खुद कहा है कि उसके चार्जेज बहुत सही पाये गये। जब कि उसकी रिपोर्ट पर इस सिलसिले में एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर मुअत्तल हुआ, दो असिस्टेंट इन्जीनियर मुअत्तल हुये, और ८, १० ओवरसियरों पर पुलिस केस कायम होने जा रहा है, लेकिन उसका फल पंजाबी को यह मिला कि आज वह ६ महीने से मुअत्तल है, उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं। यहां पर अगर सवाल उठाया जाता है तो उसका उल्टा-सीधा उत्तर दे दिया जाता है और टाल दिया जाता है। अक्सर यह देखने में आया है कि यहां जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत उठाई जाती है उनको यह सरकार फौरन तरक्की दे देती है। इस से हमें डर होता है क्योंकि जहां वह कम आदमियों को नुकसान पहुंचाता है अगर हम उसकी शिकायत करें तो सरकार उसको और ऊंची जगह पर पहुंचा देती है ताकि वह पूरे प्रान्त को तकलीफ देने लगे। इस डर से हम यहां आज कोई मामला भ्रष्टाचार का नहीं रखना चाहते हैं। हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं कि वह अपने दिल को थामकर देखें कि उनका विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है।

माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने इस बात को मंजूर किया है कि देश की पैदावार में बढ़ोत्तरी इसी पर निर्भर करती है कि खेती बढ़िया हो और खेती बढ़िया होने के लिए यह जरूरी है कि सिंचाई के साधन अच्छे हों। मैं आप के जरिये उन से पूछना चाहूंगा कि कितने खेतों के लिए उन्होंने सिंचाई का साधन तैयार कर दिया है। मैं अपने जिले की तरफ जाता हूं तो मालूम होता है कि वहां पर कुल खेत का दसवां हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहां सिंचाई हो सके। मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर दो नदियां पड़ती हैं—डांडा और रोहिन। उनसे बांध बांधकर हर साल किसान अपनी सिंचाई किया करते थे। इस से उन को बड़ी आसानी थी। लेकिन हमारी सरकार ने उसी जगह पर बांध लगा दिये। इसमें कई लाख रुपये लगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस से वहां की जनता को कुछ फायदा हो रहा है? मैंने इस साल सवाल किया था तो उसका जवाब मिला कि खरीफ में रोहिन से दो एकड़ और डांडा से एक एकड़ भी सिंचाई नहीं हुई। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है कि फसल सूख गयी, बरबाद हो गयी। जब कि वह पानी मिलने से ठीक हो सकती थी तो क्यों सिंचाई न हो सकी? मुझे उम्मीद है कि यह बात मन्त्री जी अपने विभाग से पूछेंगे और बतावेंगे कि उपरोक्त नहरों से खरीफ की फसल को अब की साल पानी क्यों नहीं मिला।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दिये जायं क्योंकि हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन इसकी समस्या हल हो सकती है। हमारे यहां ८० फीसदी जड़हन की फसल होती है। यह यदि बहुत अच्छी फसल हो, लेकिन हथिया नक्षत्र में अगर पानी न बरसे तो यह बरबाद हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार उस क्षेत्र में यदि एक लाख रुपया लगा दे तो इसी साल एक लाख मन गल्ला ज्यादा पैदा हो सकता है। लेकिन सरकार

ध्यान नहीं देती है, पता नहीं उसकी मंशा क्या है ? मैं किसी की नीयत पर हमला करना नहीं चाहता। इतना काम हो रहा है, नीयत जरूर अच्छी होगी, मन्त्री जी को या तो सही राय नहीं देते हैं या उनकी जानकारी नहीं है या उन्होंने समझ रखा है कि हम लोग बुरे हैं। हम बुरे नहीं हैं हम आपकी उस सड़ी उंगली को बताने वाले हैं कि इसे वक्त पर कटा दीजिये जिससे बाद में पूरा जिस्म न कटाना पड़े। हमारे यहां छोटे-छोटे नालों पर फाटकदार पुल बना दिये जायं। इस में ५-५ ६-६ हजार रुपया लगेगा। थोड़ी सी मदद कर दी जाय तो जो बांध हर साल बह जाता है वह रुक जायगा। इससे तीन फायदे हैं। रबी की फसल की सिंचाई हो सकेगी, खरीफ की सिंचाई होगी और आने जाने के साधन उस क्षेत्र में हो जायेंगे। उसके लिए ब्लाक ने प्रस्ताव भेजा है, कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी है, मैंने मन्त्री जी के कमरे में भी जिक्र किया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं कैसे कहूं कि यह करोड़ों और अरबों रुपया अन्न की बढ़ोत्तरी के लिए खर्च किया जाता है, किसानों को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है। मैं कहूंगा कि इधर के बैठने वाले लोगों ने जो एक सुझाव दिया था, मन्त्री जी को, कि वह सहकारिता के द्वारा कार्य करवायें। मुझे बैठे-बैठे हंसी आ रही थी। सहकारिता से कभी मन्त्री जी काम ले सकते हैं ? अगर मन्त्री जी सच्चाई से लेना भी चाहें तो मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि उनका विभाग नहीं चलने देगा। उसका पेमेंट नहीं होगा। बीस तरह के पखने डाले जायेंगे। गिरवा कर कहा जायगा कि फिर से बनाओ और फिर वही ठेकेदार जो बड़े-बड़े जलसों में मन्त्री जी को उनके विभाग को हजारों रुपये के हार पहनाते हैं, दस दस हजार की अफसरों को दावत देते हैं, वही काम करेंगे और वही सुचारु और सच्चे माने जायेंगे। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन के विभाग में जो लाखों की बरबादी हो रही है उस को रोकें। श्रीमान्, गोरखपुर में, नीचे के हिस्से में पार्टी विशेष का अधिपत्य है, वहां पर नदियों में नीचे बांध बांध दिया जाता है और ऊपर पुल खुला पड़ा है। जहां अगर एक तरफ बांध बांध दिया जाय तो पानी जंगल की तरफ जा सकता है, वहां कोई काम नहीं होता है। नीचे बांध बांध दिया जाता है, वह उसी प्रकार है, जैसे ऊपर से थाली का पानी गिराया जाय और नीचे कटोरा लगा दिया जाय तो लाजिमी है कि नीचे पानी फैलेगा। फ्लड रिलीफ बोर्ड ने, ऊपर से एक स्कीम बनायी थी, लेकिन ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया गया और नीचे बांध बांध दिया गया, जिस के कारण १५, १५ दिन तक बाढ़ का पानी ऊपर रुक जाता है, सारी फसल बरबाद हो जाती है। माननीय मन्त्री जी कृपा करके फरेंदा तहसील पर नजर करें और वहां के लोगों को जीने का मौका दें।

श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को धन्यवाद दूंगा कि आप ने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं माननीय सिंचाई मन्त्री को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हजारों ट्यूबवेल बना कर और सैकड़ों मील नहरें निकाल कर प्रदेश में सिंचाई का साधन जुटाया है। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ कमी है। लेकिन उस के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। दस-पांच वर्षों में सारी कमी पूरी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह काम जीवन भर रहेगा। लेकिन अपनी वित्तीय अवस्था को देखते हुये पर्याप्त उन्नति हो रही है। उस में खराबियों को दूर करने के लिए अगर हम सब मिल कर सहयोग करें और जितना नुक्ताचीनी में समय खर्च करते हैं उतना सहयोग करने में करें तो बहुत जल्द बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है।

मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ सिंचाई सम्बन्धी कार्यों की ओर ले जाना चाहता हूं क्योंकि हमारी बांसगांव तहसील के अन्दर, सारे भू-मण्डल में सब से अधिक मनुष्योंका बोझ

[श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय]

पड़ता है। एक वर्ग मील में, कहीं दो सौ, कहीं तीन सौ, कहीं चार सौ, पांच सौ की आबादी है, लकिन बांसगांव तहसील में एक वर्ग मील में ११-१२ सौ फी वर्ग मील का औसत आया है। वहां एक इंच भी रेलवे नहीं है जिस के कारण कोई भी कल कारखाने या विकास के बड़े कार्य नहीं हो सकते हैं। वहां के अधिकांश लोग कुली बन कर दुनिया के हर हिस्से में जा कर मजदूरी करते हैं और अपना पेट भरत ह, लेकिन सरकार आज तक उस पिछड़े हुये क्षेत्र की तरफ जसा ध्यान देना चाहिए, वैसा नहीं दे पायी है। उस तहसील में सड़कों की भी बड़ी कमी रही है और अब भी है। एक बार श्री लक्ष्मीरमण जी आचार्य ने कृपा करके वहां का दौरा किया और देखा कि यू० पी० भर में सबसे खराब सड़क वहां पर थी। उन्होंने एक सड़क बनवा दी है जो कि ४८ मील लम्बी है और चार जिलों को मिलाती है। आज उस पर १४ लारियां चल रही हैं और जनता को उससे विशेष सुविधा प्राप्त हुई है। वही एक चीज है जिससे कि जनता समझती है कि नयी सरकार से उसे कुछ लाभ पहुंचा है।

यों सिंचाई के साधन कुछ दिये गए हैं, लेकिन उन्हीं एरियाज में ट्यूबवेल दिये गए हैं, जहां पोखरे भी थे, कुएं भी थे, नदियां भी थीं। मगर उन एरियाज में जहां कि बिलकुल ऊसर है और हजारों एकड़ जड़हन की खेती अगर बारिश हो जाय तो होती है, एक भी ट्यूबवेल नहीं दिया गया है। बारिश न होने पर फसल वहां सूख जाती है और नतीजा यह होता है कि नेपाल से और उत्तरी गोरखपुर जिले से धान और चावल लाकर सारी तहसील के लोग अपनी गुजर करते हैं। कंट्रोल होने के नाते या ट्रांस-राप्ती एरिया होने के नाते डर के मारे इस साल वहां से धान भी नहीं आ सका। इसलिये बांसगांव तहसील के लोगों को एक तरह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कंट्रोल की दूकानों से बाजरा खरीदकर और उसे खा खा कर लोग दिन काट रहे हैं। चावल इसलिये नहीं मिल सका कि ट्रांसराप्ती एरिया कंट्रोल के अन्दर आता है, कोई खरीदकर लादकर के ले नहीं जा सकता है। ११ आदमियों पर जाली मुकदमा चलाया गया जो कि धान ला रहे थे, यद्यपि धान पर कोई मनाही नहीं है। उन पर जुर्माना हो गया, वे परेशान हुए। इससे हजारों गाड़ीवान धान के लिये इच्छा रखते हुए भी और उसके लिये कोई मनाही न होने पर भी डर के मारे उसे लेने नहीं जा रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने जिला मैजिस्ट्रेट से कहा कि एक नोटिस छपाकर बांट दीजिये कि कोई मनाही धान पर नहीं है। पर यह करने के लिये वह तैयार नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि उस तहसील के लोग बाजरा खा खा कर दिन काट रहे हैं, चावल नहीं खरीद पा रहे हैं।

सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करूंगा कि उस ऊसर एरिया में जहां अगहनी फसल, लेट पैडी, हुआ करती है, वहां दस पांच ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करे। वह इलाका उरुवा बाजार के पूरब और ककरही से पश्चिम है। उसे सकरदेइया का ऊसर कहते हैं। वहां प्रधान गांव हरपुर, भताड़ी, गजपुर, धरिहरा और गउर आदि हैं। वहां कोई २५ हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसके अन्दर ऊसर है, लेकिन उसमें एक एकड़ भी जमीन ऐसी नहीं है जो परती पड़ी हो। सब खेत बने हुए हैं। सब में अगहनी फसल होती है, लेकिन जब बारिश होती है तभी। बारिश न होने पर वह फसल सूख जाती है। एक छटांक भी अन्न होना मुश्किल हो जाता है। उस एरिया में दस-पांच ट्यूबवेल बना देना चाहिये था जिससे वहां के लोगों को अगहनी की फसल में भी लाभ होता और दूसरी फसलें भी वहां हो सकतीं, लेकिन अफसोस है कि सरकार के इंजीनियर लोगों का ध्यान उस ऊसर की तरफ नहीं गया और उसको ऊसर जानकर छोड़ दिया गया। उसको उपजाऊ बनाने के लिये किसानों की तरफ से तो प्रयास किया गया, लेकिन उसको उपजाऊ कायम रखने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस क्षेत्र में जरूर ट्यूबवेल लगा दिये जांय।

इसके अलावा एक दूसरा क्षेत्र है बेलघाट द्वाबा का जो कि कुआनो और घाघरा नदियों के बीच में पड़ता है। शाहपुर से कूरी बाजार तक, ५० हजार एकड़ का एरिया वह भी आबाद हो सकता है। नहीं तो, हर साल एक फसल तो बाढ़ में चली जाती है, दूसरी फसल में सिंचाई का साधन न होने के कारण अच्छी फसल नहीं हो पाती। इसलिये वह इलाका आज तक पिछड़ा हुआ है। गरीबी का बोझ अपने सिर पर ढोते हुए वहां के लोग देशविदेशों में जाकर किसी तरह से अपना पेट पालते हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगा आपके द्वारा कि उस द्वाबे की तरफ भी विशेष ध्यान सरकार दे। वह कुआनो और घाघरा नदियों के बीच में पड़ता है। इस साल घाघरा के पेट में चार, पांच गांव मुसल्लम चले गए हैं। हजारों मकान नदी के पेट में समाप्त हो गए और वहां के निवासी बाहर आकर सड़कों के किनारे या पेड़ के नीचे छप्पर डालकर पड़े हुये हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न कोई सहायता पहुंचाई गई और न पुनर्वास के लिये लकड़ी की मदद या गल्ले की मदद किसी तरह से सरकार ने पहुंचाई। इस उपेक्षा के लिये मैं सरकार से कहूंगा कि यह बड़ी भारी भूल है। जब आप शरणार्थियों को शरण देते हैं, मकान देते हैं और पढ़ने लिखने का सामान देते हैं, दवाई का इन्तजाम करते हैं तो उन चार गांवों के शरणार्थियों के लिये आपने इस तरह से उपेक्षा क्यों की? उसके लिये मैं सरकार से कहूंगा कि इस कमी के लिये पश्चाताप करना चाहिये और तत्काल ही उनको सहायता पहुंचानी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि ट्यूबवेल जहां जहां लगाये गये हैं वहां नालियां इतनी कम बनाई गई हैं कि सैंकड़ों बीघा खेत बिना सिंचाई के रह जाते हैं। नालियों को मिट्टी डालकर बनाया गया है उनको खोदा नहीं गया है जिसकी वजह से किसानों के खेत चौपट हो गये हैं। सिंचाई का जो लाभ होना चाहिये वह लाभ नहीं हुआ है। ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं। यह जरूर है कि १०, २० एकड़ की सिंचाई हो जाती हो मगर उससे हजारों एकड़ की सिंचाई हो सकती थी, लेकिन वह नहीं की गई। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आज वे ट्यूबवेल नालियों की हालत खराब होने के कारण बेकार पड़े हुये हैं। उन नालियों को दुरुस्त करने का प्रयत्न तत्काल होना चाहिये जिससे सरकार का लाभ हो और जनता के पैसे का भी सदुपयोग हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस सरकारी अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध इसलिये करता हूं कि उन्होंने घटाकर एक रुपये कर देने का रखा है। अच्छा होता अगर वे इसको और बढ़ाने का प्रस्ताव करते।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सब से पहले मुझे यह बात कहना है कि आज सिंचाई के क्षेत्र में काफी विस्तार होता चला जा रहा है और हमारी सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है, लेकिन उन सब के बावजूद भी जब हम इस बात को देखते हैं कि सिंचाई का जो क्षेत्रफल है वह जिस अनुपात से नहरों की लम्बाई बढ़ रही है और ट्यूबवेल बढ़ रहे हैं, बान्ध और बन्धियां बनती जा रही हैं, उस अनुपात से सिंचाई का क्षत्रफल नहीं बढ़ रहा है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक जो मैंने समझा है इसका एक ही कारण देखने को मिलता है और वह यह कि सिंचाई के रेट ज्यादा हो गये हैं। किसान न ट्यूबवैल का पानी लेता है और न नहर का पानी लेता है क्योंकि उसके ऊपर इतना भार पड़ता है कि वह इस रेट से इतना परेशान हो जाता है कि वह अदा नहीं कर पाता है। आप देखेंगे कि आज से पहले सन् १९४४–४५ में जैसे हमारे यहां सिंचाई के साधन थे उससे हमारी आय १९४४–४५ में १८२ लाख रुपये थी

[श्री ऊदल]

और १९४५–४६ में भी वह १८१ लाख रुपये थी लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से आप देखें कि—

१९५०–५१ में २६७ लाख .. १९५५–५६ में ७३८ लाख ।
१९५३–५४ में ४४० लाख .. १९५६–५७ में ७६७ लाख ।
१९५४–५५ में ४८४ लाख .. १९५७–५८ में ८२१ लाख ।

इसका नतीजा यह होता है कि आज जो सिंचाई के रेट हैं वह दुगने और ढाई गुने हो गये हैं जिसकी वजह से किसान परेशान है ।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि ट्यूबवेल के बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आज किसान नहरों और ट्यूबवेलों से पानी नहीं लेना चाहता है ? वह हिचकिचाता क्यों है ? इसका कारण वह बतलायें । कृषि से सिंचाई का संबंध बहुत गहरा है और किसान इस सिंचाई से अपना फायदा नहीं महसूस कर रहा है । सन् १९४५–४६ में जब अंग्रेजों का राज्य था यहां पर उस समय ५९,५३,००० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती थी और १९५१–५२ में यह ७१,०५,००० एकड़ क्षेत्र में हुई, १९५३–५४ में यह ६७,२५,००० एकड़ में, १९५४–५५ में ८८,०६,००० एकड़ क्षेत्र में और १९५५–५६ में ६३,८३,००० एकड़ क्षेत्र में हुई । इधर एक-दो साल के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन देखा जाय कि हमारा सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा नहीं है और घटता जा रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी क्या कारण है कि किसान पानी लेने में हिचकिचाता है ?

तीसरी बात यह कि जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं, उनकी क्षमता जो आंकी गयी थी, उस अनुपात से काम नहीं कर रहे हैं और इसके कारण बिजली आदि में खर्च ज्यादा आ जाने के कारण किसान पर रेट ज्यादा पड़ जाता है और इससे किसान परेशान है ।

मैं सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर और माननीय मंत्री महोदय से मिल चुका हूं । मेरे क्षेत्र में शारदा सागर कैनाल का एक टुकड़ा है, उसका कुछ हिस्सा जौनपुर से बनारस में जाता है । वहीं नाद नदी एक पड़ती है । मैंने कहा तो कहा गया कि चूंकि नहर का पानी वहां जायगा इसलिये ट्यूबवेल का प्रोग्राम वहां के लिये खत्म कर दिया गया । लेकिन छोटे-छोटे कुलाबे भी वहां नहीं लगाये गये और नतीजा यह है कि पचासों गांव सिंचाई से महरूम हैं और वहां किसानों को परेशानी है । आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी तथा विभाग के बड़े अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता हूं । कोई काम शुरू करने से पहले उसका पूरा प्लान नहीं बनाया जाता, न कोई नक्शा बनाया जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि जो इस्टीमेट बनाया जाता है, काम शुरू होने पर वह दुगुना, तिगुना और चौगुना होता जाता है । उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने टांडा पम्प कैनाल को रखना चाहता हूं जो फैजाबाद में बनने वाली है । आप देखें कि उसका एक हिस्सा जिसमें दो पम्प लगने वाले थे और १९५७ तक जिसको पूरा हो जाना चाहिये था और जिसमें १९,५०,००० रुपये का खर्च का अंदाज था, उसमें उसके बाद कुछ सिंचाई के महानुभाव थे, वे गये और उन्होंने एक दूसरी योजना तैयार की ४५ लाख २५ हजार रुपये की और उसे प्रस्तुत किया सरकार के सामने । पहली योजना से सिंचाई होती थी २२,२२३ एकड़ और दूसरी योजना से आप देखें कि सिंचाई होगी ४४ हजार ८९४ एकड़ । फिर दोनों योजनाओं को एक में मिलाया गया और आप ताज्जुब करेंगे कि दोनों को मिलाकर ६५ लाख ५ हजार

की योजना आती है। इसमें ६ पम्प लगने थे। अब इस योजना में ८ पम्प लगने की व्यवस्था उन्होंने की और नतीजा यह हुआ कि ६५ लाख की जगह यह ८० लाख ६८ हजार की व्यवस्था की गयी। इसके बाद अब तीसरी योजना खड़ी की गयी। सिर्फ ४ मील की लम्बाई बढ़ी है और १०८ लाख कुछ प्वाइंट रुपया इस पर खर्च होने जा रहा है। अभी काम नहीं शुरू हुआ और ४ पम्प के लिये जर्मनी की एक कम्पनी को आर्डर दिया गया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये पम्प सन् १९६१ की मार्च तक उम्मीद है कि आयेंगे। तो यह एक योजना पर जो इस तरह से रुपया बढ़ता जाता है इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मौके पर जाकर नक्शा बनाने की जरूरत है। मेरे पास करोड़ों रुपये के आंकड़े हैं, समय की कमी के कारण मैं उन्हें नहीं बता रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--मुझे खुशी है कि मुझे इस सिंचाई विभाग से संबंधित अनुदान पर बोलने का अवसर मिला है। हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य था तो हमारी बहुत बड़ी इच्छा यह थी कि कब हमारा देश आजाद होगा और कब हम आजाद होकर अपने देश में सिंचाई के साधन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मुझे याद है कि हमने अनेक बार सम्मेलनों में बराबर यह कहा कि हमारे जिलों में, हमारे प्रदेश में, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय। लेकिन उस समय तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया जब तक वह सरकार यहां बनी रही। जब से कांग्रेस की हुकूमत हुई, उसने सब से ज्यादा ध्यान सिंचाई के विस्तार के साधनों की ओर दिया। सिंचाई के विस्तार के साधनों के लिये बड़े-बड़े इंजीनियर्स लगाये गये, सारे प्रदेश का सर्वे कराया गया और यह मालूम किया गया कि कहां-कहां कितनी सिंचाई की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति किन साधनों से की जा सकती है। इस ओर हर प्रकार के प्रयास किये गये। हमारे पास जितने भी उपयोगी साधन थे और जिनका हम उपयोग कर सकते थे, उनका पूरा-पूरा उपयोग किया गया। दूसरे मुल्कों से भी आर्थिक सहायता लाकर अपने प्रदेश को समृद्ध बनाने की चेष्टा की गयी। हिन्दुस्तान राजनीतिक दृष्टि से आजाद था, आजाद होकर भी कांग्रेस ने सर्वदा इस बात की घोषणा की कि हमारा देश अभी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ है। उसने बारबार यह कहा कि आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिये हमारे लिये आवश्यक है कि हम आर्थिक क्रान्ति अपने देश में उत्पन्न करें। आज सिंचाई के जो भी साधन हमारे यहां हैं उन सभी साधनों को फैलाकर हमने यह आशा की है कि हम अपने प्रदेश में एक आर्थिक क्रान्ति उपस्थित करेंगे। आर्थिक क्रान्ति उसी समय सम्पन्न होगी जब हम सभी लोग पूर्ण रूप से हर मानी में सम्पन्न होंगे।

हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि का उत्पादन बढ़ाना हमारा सबसे आवश्यक अनिवार्य कर्त्तव्य है जिसको इस राज्य ने समझा है और उसको पूरा करने के लिये सही कदम उठाया है। मैं जानता हूं जब हम लोग मुल्क की खिदमत करने वालों में गिने जाते थे इसलिये कि अंग्रेजों की मुखालिफत करते थे, लेकिन आज वह समय आया है जब कि मुल्क की खिदमत करने वालों में से हम लोगों का नाम इस माने में कट चुका है कि हम उत्पादन की वृद्धि में कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमें उस व्यक्ति को पापी समझना चाहिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

जो इस प्रदेश के धन को धन न समझकर , उत्पादन के काम में किसी न किसी प्रकार से सहयोग न करता हो। आज एक ओर हम यह कहते हैं कि हमारे पास बड़े-बड़े दिमाग वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं और हम उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनसे कहते हैं कि अब देश की सेवा का भार तुम्हारे ऊपर है, तुम देश की सेवा करने वाले हो, तुम्हारी खिदमत से ही देश की तरक्की हो सकती है, किन्तु दूसरी ओर यह भी कहना शुरू करते हैं कि यह नीच हैं, ये पतित हैं, ये बेईमान हैं, ये निकम्मे हैं, चोर हैं, ये निरर्थक हैं। यह दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। या तो आपको मुल्क की तरक्की करनी है तो जितनी जीनियस है, प्रतिभा है, जो भी मेधा है, जो भी शक्ति है उसको सम्भाल करके आगे लाना होगा, उसको उपयोग करने की शक्ति अपने भीतर पैदा करनी होगी, अपने देश को ठीक करना होगा जिससे कि लोग उन स्थानों पर जाकर अपने सर को ऊंचा कर सकें, लेकिन केवल यह कहना कि इंजीनियर चोर हैं, बेईमान हैं और हम ईमानदार हैं, यह चीज जरा भी शोभा नहीं देती। मुझे रवीन्द्र ठाकुर का एक ग्रंथ देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिस तरह की प्रजा होगी, राजा भी उसी तरह का होगा। हमारे अन्दर अगर दोष दिखलाई देता है तो यह हमारे समाज का दोष है।

आज हमारे देहातों में चले जाइये। कोठियां देख करके लोग उधर झुक जाते हैं। यह नहीं पता लगाते कि यह कैसे बनीं। सामाजिक मान्यता उन कोठियों को प्रदान कर दी गयी है। समाज आज आर्थिक समाज हो गया है। जिसके पास अर्थ है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। एक तरफ अर्थ की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, दूसरी तरफ अर्थ संचित करने के खिलाफ आप आन्दोलन करते हैं। ये दोनों चीजें नहीं चल सकतीं।

राज्य में एक चीज हमने देखी है। हमारे कर्मचारियों में थोड़ी सी कमजोरी है। जब उनको गालियां दी जाती हैं, वह उनको सुनकर के थोड़ा-सा दब जाते हैं और उनका थोड़ा अधिक लिहाज करते हैं, यह शिकायत हमारी है और मैं यह समझता हूं कि बहुत से लोगों का यह स्टंट है कि किसी मुहकमें से अगर काम लेना हो तो उसके खिलाफ एक नारा लगा दो कि बड़ा बुरा मुहकमा है, खराब है, बड़े खराब लोग हैं, पतित हैं, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, नौकरी की भावना से दबी हुई उनकी आत्माएं उभरें और जो हम कहें उसे जो कमजोर लोग हैं वह मान लिया करें। तो हमारी सरकार को उनको भी बल प्रदान करना चाहिये कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई नारा लगाता है तो तुम नारे की परवाह न करो। तुम समझो कि हम देश की सेवा करने वाले और खिदमत करने वाले हैं। अपने भीतर पवित्र रहो। अगर तुम गिल्टी कांशेस के नहीं हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।

(इस समय ४ बजकर ४३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पुनः पीठासीन हुए।)

कारवां जाता है और कुत्ते भूकते रहते हैं। उसी तरह से यह इनक्लाब का कारवां है जिसके तुम अग्रणीय हो। तुम काम करते रहो, फिर जितने भी भूकने वाले हैं वह अपने मुंह को बन्द करेंगे। समय बतलायेगा कि कौन इस मुल्क की खिदमत करने वाला था। देश के निर्माण के लिये जिन लोगों ने खून और पसीना दिया वह लोग भी कुछ थे, यह समय बतलायेगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हम लोगों को थोड़ा-सा ठंडे होकर अपने को रखना चाहिये और विचार करना चाहिये इसी दृष्टि से कि देश का निर्माण कैसे होगा। क्या गाली देने से होगा? या अपने टैलेंट को, मेधा और प्रतिभा को इकट्ठा करने से होगा? मैं इतना ही कहने के लिये आज खड़ा हुआ था।

मैं समझता हूं कि सिंचाई की ओर हमारी सरकार की नीति अत्यन्त प्रगतिशील है और किसी भी प्रदेश से हम पीछे नहीं हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो कुछ हम करते

हैं हम अपने राज और देश के उत्थान के लिये ठीक ठीक कर रहे हैं। त्रुटियां होती हैं, खामियां होती हैं, हमें संतोष नहीं है। अगर हम संतुष्ट हो जायं कि हम जो कुछ करते हैं अब इससे अधिक नहीं करने को तैयार हैं तो हम दोषी हो सकते थे, क्योंकि तरक्की के काम करने में संतोष नहीं होना चाहिये। उत्थान और इनक्लाब करने वालों का संतुष्ट हो जाना उनकी सब से बड़ी खामी हुआ करती है शासन की। आदमी भी बहुत किस्म किस्म के हैं। कोई बुरा होता है, कोई भला होता है, लेकिन सारी जमाअत को एक स्वर से बुरा कहते जाना और लगातार बुरा कहते जाना, यह बुराई को कम करने वाली चीज नहीं है। मैं बार-बार कह चुका हूं। मैंने एक बार पहले कहा था कि स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि "बुरा वह है जो बुराई का प्रचार करता है। इससे अधिक बुरा वह है"

श्री अधिष्ठाता---समय समाप्त हो गया।

श्री राम लक्षण तिवारी---तो मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नन्दराम---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे हर्ष है कि सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने दल के उपनेता माननीय रामस्वरूप जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, जहां तक सिंचाई विभाग का संबंध है, मानव जीवन के जितने भी उपयोगी साधन हैं, सिंचाई विभाग उन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि मानव जीवन के लिये खाना और कपड़ा दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं और ये दोनों ही चीजें कृषि की उपज से पैदा होती हैं और कृषि की उन्नति, उत्पादन की उन्नति सिंचाई विभाग के सही ढंग से होने पर ही निर्भर है, लेकिन दुःख है कि जो सिंचाई विभाग इतना महत्वपूर्ण है, इतना आवश्यक है उसीविभाग में आज जितनी अव्यवस्था, अनियमितता, अव्यावहारिकता और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उससे हर मानव का हृदय दुखी होता है और लज्जा से सिर झुक जाता है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि हमारे सिंचाई मंत्री का हृदय किस पत्थर से बना हुआ है कि उनको अपने विभाग के भ्रष्टाचार, अनियमितता और अव्यवस्था पर दुःख नहीं होता।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर हमारे माननीय उपनेता रामस्वरूप जी काफी बोल चुके हैं। मुझे कुछ अपने क्षेत्र की समस्या और दूसरी बातों की चर्चा करनी है।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक सिंचाई का संबंध है उसके दो साधन हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक तो नहर और दूसरा ट्यूबवेल। तीसरा साधन जनता की तरफ से होता है तालाब या कुएं आदि। जहां तक नहर की दशा है, उसके बारे में मैं आमतौर से कह सकता हूं कि उसमें बहुत ही अनियमितता और भ्रष्टाचार है। जहां तक पानी का संबंध है जिस वक्त पलेवा होता है उस समय तो पानी दे दिया जाता है। मैं प्रतापगढ़ से आता हूं। वहां शारदा नहर है और काफी पानी है, लेकिन वहां पर भी ऐसा है कि जब किसान पलेवा करता है तब तो पानी दे दिया जाता है और बाद में पानी छोड़ा नहीं जाता है। हर साल ऐसा होता है और किसानों की रबी और खरीफ की दोनों फसलें सूख जाती हैं। वह मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां सूखा पड़ जाय तब मुसीबत और अधिक पानी बरस जाय तब मुसीबत क्योंकि उससे बूड़ा आ जाता है। तो खरीफ डूब

[श्री नन्दराम]

गयी। हमारे यहां धान की खेती अधिक होती है। इस वर्ष सिंचाई विभाग ने शुरू में पानी तो दे दिया, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं दिया और क्वारी धान सब सूख गया। माल विभाग की तरफ से छूट भी दी गयी, लेकिन नहर विभाग की तरफ से कोई छूट नहीं दी गयी। जिन खेतों को नहर से सींच लिया गया उनके लिये माल विभाग से भी छूट नहीं मिली।

इसी तरह की और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें अनियमितता होती है। कुछ कानून की गलती और कुछ कर्मचारियों की गलती। किसानों ने अगर कुंओं से या तालाबों के पानी से नहर की नाली से सिंचाई कर ली उसका भी खेत दर्ज कर लिया जाता है और उससे भी सिंचाई की वसूली होती है। किसान रोता है पीटता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा भी होता है कि अगर कोई किसान दूसरे किसान की नाली से अपने खेत में पानी ले जाता है तो उस बीच के किसान का खेत भी सिंचाई में दर्ज कर लिया जाता है। श्रीमन्, पर्चियां कब बांटी जाती हैं? नियम यह है कि जिस दिन परची बटे उस दिन से एक महीने के अन्दर किसान उज्रदारी कर सकता है, लेकिन देखा यह जाता है कि परची उस समय बांटी जाती है जबकि उज्रदारी का समय निकल जाता है या लगभग समाप्त होने को होता है। इसके अलावा श्रीमन्, एक धांधली और है कि हमारे यहां वारबन्दी नहीं है। नहर में पानी काफी है, लेकिन नहर से सिंचाई बहुत कम होती है और उसका कारण यही है कि वहां पर वारबन्दी नहीं है। एक मसल जो पहले से रही है वही आज भी वहां है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज आजादी के जमाने में गरीबों की मदद होनी चाहिये थी, लेकिन जैसा कि भूतपूर्व भू-स्वामी नीची धोती वाले बाम्हन, ठाकुर हमेशा गरीब लोगों को दबा करके लाठी के बल पर अन्याय करते रहे उसी तरह से आज नहर विभाग से या ट्यूबवेल विभाग से भूतपूर्व भूस्वामी नीची धोती वाले बाम्हन ठाकुर पानी ले लेते हैं और ऊंची धोती वाले, पिछड़े वर्ग व हरिजनों को समय पर पानी नहीं लेने देते।

एक सदस्य—यह ऊंची और नीची धोती क्या होती है?

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने बतला तो दिया।

श्री नन्दराम—श्रीमन्, मुझे समय अधिक मिलना चाहिये क्योंकि मैं अशिक्षित आदमी हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप सबसे अधिक शिक्षित मालूम होते हैं।

श्री नन्दराम—मालूम होता है माननीय सदस्य ऐसे समाज में रहे हैं जहां उन्होंने ऊंची धोती वालों को देखा ही नहीं। श्रीमन्, मेरे विचारों की श्रृंखला की कड़ी तो टूट गई। तो श्रीमन्, भ्रष्टाचार की जहांतक बात है, बड़ी-बड़ी जगहों में तो वह है ही, लेकिन छोटी-छोटी जगहों में भी मेरा यह अनुभव है कि बिना एक रुपया लिये परची नहीं दी जाती। ऐसा भी होता है कि अगर किसी किसान पर अमीन या पतरौल नाराज हो गये या कोई बड़ा आदमी उन पर नाराज हो गया तो उनकी गलत सिंचाई दर्ज कर दी जाती है और उनको पर्चा या तो दिया ही नहीं जाता या अगर दिया गया तो जब उज्रदारी की अवधि निकल जाती है तब दिया जाता है।

नहर विभाग के बारे में मुझे यह भी कहना है कि हमारे क्षेत्रों में नयी नहरें निकली हैं। वह इलाका एक नीचा इलाका है। वहां पर बहुत जगह ऐसा होता है कि गांवों के अन्दर का पानी नहरों की पटरी की रोक से निकल नहीं पाता और अधिक बरसात में बूड़ा आ जाता है। मजबूरी में लोग नहर की पटरी को काट देते हैं जिससे उनपर मुकदमे चलते हैं। इस संबंध में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसका सर्वे करायें और जहां पर ऐसे स्थान हों जहां बूड़ा आ जाता हो और गांव डूब जाते हों, उन डूबे हुए गांवों की जमीन को बचाने के लिये नहरों के नीचे से सीपन निकालने का प्रबन्ध किया जाय ताकि वे गांव डूबने से बच जावें। मेरे

जन्म-स्थान जिले बुलन्दशहर में ट्यूबवेल ग्रुप जहांगीराबाद में बहुत से किसानों ने ८२ नम्बर ट्यूबवेल पर श्रमदान से नाली बनाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे पक्का नहीं कराया है। विद्युत् भी मंत्री जी के पास है। खरीफ की सिंचाई में ग्रुप जहांगीराबाद के ट्यूबवेल में विद्युत् बहुत कम गई और सिंचाई न होते हुए भी किसानों से सिंचाई वसूल की गई यद्यपि फसल मारी गई। इटावा जिले में जमुना और चम्बल की घाटी में कई हजार बीघे ज़मीन बिलकुल बेकार पड़ी हुई है। वहां पर एक और इलाका भोगनी डिवीजन है जहां नहर का पानी न मिलने से लाखों मन मटर की फसल सूख गई। ऐसी अवस्था में सरकार को चाहिये कि हर जगह सर्वे करावे और जहां नहर की सिंचाई काम नहीं देती है वहां ट्यूबवेल से सिंचाई करावे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसान पानी नहीं लेता है। इसका मुझे विश्वास नहीं है। हां, सिंचाई की दर इतनी महंगी है कि किसान के लिये पानी लेना असम्भव सा हो जाता है। लेकिन चूंकि मरता क्या न करता, वह पानी लेता है वरना उसके बच्चों की जीविका या पालन कैसे हो? मगर अफसोस है कि नहर और ट्यूबवेल दोनों से पानी समय पर नहीं मिलता है। मैंने देखा है कि बहुत से पतरौल और अमीन भी नीची धोती वालों की, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, पार्टीबाजी में पड़ जाते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई सम्बन्धी अनुदान का समर्थन करता हूं। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि आजादी के बाद हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधनों में काफी उन्नति हुई है। हमारे यहां ट्यूबवेल की तादाद भी बढ़ी और नहरों की लम्बाई भी बढ़ी। मगर हमको देखना पड़ता है कि जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसके अनुपात से लाभ होता है या नहीं। बहुत पिछले सालों के आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान सिर्फ ग्रान्ट नम्बर १० और ४७ की ओर ले जाना चाहता हूं। ग्रान्ट नम्बर १० में प्रोडक्टिव कामों पर १,७६,८४,००० रुपया और अन-प्रोडक्टिव कामों पर ३,१२,८१,००० रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। ग्रान्ट नम्बर ४७ में प्रोडक्टिव कामों पर सिर्फ ३९,२८,९०० रुपया और अन-प्रोडक्टिव कामों पर ६,९३,७१,२०० रुपया खर्च करने जा रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाय तो प्रोडक्टिव मदों के खर्चे की तुलना में अन-प्रोडक्टिव मदों का अनुपात १ और ५ का आता है।

मान्यवर, यही नहीं, एक और प्रश्न उठता है। मैं आपके सामने लिस्ट पढ़ना नहीं चाहता हूं। अन-प्रोडक्टिव वर्क्स जो पेज नम्बर ४०३ पर वाल्यूम ४ में दिये हैं, उनसे साफ है कि जितने काम आजादी के बाद इस प्रदेश में हुये हैं, उनमें से ९९ फीसदी कामों के नाम उसमें मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अपनी जनरल डिबेट की स्पीच में कहा था आज मैं फिर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से दुबारा इस बात की मांग करूंगा कि वे मेहरबानी करके इस प्रदेश के अन्दर एक हाईपावर कमीशन बैठायें और वह दो बातों को देखें। पहली यह कि सन् ४७ के बाद कितने काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने टेकअप किये, उनमें से कितने प्रोडक्टिव पहले बताये गये थे जो बाद को अनप्रोडक्टिव हो गये और कम से कम एक दो नाम ऐसे बतायें जो सन् १९४७ के बाद सही मानी में प्रोडक्टिव हुआ हो। डिपार्टमेंट ने जो एस्टीमेट और टाइम उस काम के लिये दिया था, क्या वह काम उतने समय में और उस ऐस्टीमेट में पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? माननीय मंत्री जी इस बात को मालूम करने की भी कोशिश करें कि इस तमाम अपव्यय की जिम्मेदारी किस पर है।

मान्यवर, मुझको इस बात का पता चला है कि सरकार ने माताटीला, सपरार और अर्जुन बांध तथा शारदा पावर हाउस के सिलसिले में कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाई हैं। माननीय मंत्री जी

[श्री नवलकिशोर]

इस हाउस को विश्वास में लें और हमको बतायें कि उसका क्या परिणाम हुआ था। सरकार ने उस पर किस तरह से और क्या कार्यवाही की।

मान्यवर, जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है मुझे दुख है कि चाहे वर्कलोड बढ़े या न बढ़े, लेकिन स्टाफ पर खर्चा बढ़ता ही जाता है। यह खर्चा १९५८–५९ में ४,१२ लाख था, १९५९–६० में ४,४८ लाख हुआ, लेकिन इस साल ४,७६ लाख हो गया। इधर एक और खर्चा बढ़ता जाता है वहां दूसरी ओर आमदनी को देखिये जो इसी बजट में बतायी गयी है। वह १९५७–५८ में १५४ लाख थी, ५८–५९ में १,९० लाख हुई, लेकिन सन् १९५९–६० में वह ८५ लाख ही रह गयी। एक साल के अन्दर एक करोड़ से ज्यादा कम हो गयी। यही नहीं यदि सिंचित क्षेत्र को भी देखें तब सरकारी पुस्तिका के आंकड़ों के अनुसार शुरू के सालों में वह घटी है और बाद को भी व्यय के अनुपात से नहीं बढ़ी है।

मान्यवर, मेरे एक दोस्त ने उपदेश दिया कि निन्दा नहीं करनी चाहिये। मैं १०० प्रतिशत उनसे इत्तफाक करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को इस बात का गौरव हो कि हमारे प्रदेश के इंजीनियर बहुत योग्य हैं, क्षमतापूर्ण हैं। लेकिन मैं उनसे आपके द्वारा जनतंत्र और जन-कल्याण के नाम पर अपील करना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश की प्रगति की नाव उनके हाथ में है, वह चाहें तो इसको पार लगा सकते हैं और चाहें तो डुबो सकते हैं। मेहरबानी करके वह इस देश और इस प्रदेश की गरीब जनता, जिसको आज भी दो समय सही ढंग से खाना नसीब नहीं होता है, उसकी गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ न करें। उनका फर्ज है और मैं चाहता हूं कि उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाय। हमको इन बातों से ज्यादा खुशी होने वाली नहीं है, लेकिन एक अजीब तमाशा मालूम होता है कि ऐस्टीमेट दिया जाता है २ करोड़ रुपये का कि इसमें माताटीला बांध बन जायगा। यह ऐस्टीमेट वे विशेषज्ञ देते हैं जिनके हाथ में हमने इस प्रदेश के तमाम साधन सौंप दिये हैं। वे कहते तो हैं कि माताटीला बांध २ करोड़ रुपये में बन जायगा और उस पर खर्च हो गये १२ करोड़ रुपये और फिर भी पावर हाउस का नाम निशान तक नहीं है। मान्यवर, इन बातों से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्या फर्क रह जाता है विशेषज्ञ और साधारण व्यक्ति में?

मान्यवर, अब मैं ट्यूबवेल्स के बारे में बतलाऊं कि हमारे यहां हजारों ट्यूबवेल्स बने, लेकिन किस कीमत पर बने, कितने पैसे उस पर खर्च करने पड़े? श्रीमन्, सब से बड़ा कंडेमनेशन तो इरीगेशन डिपार्टमेंट का आपके इस बजट में ही किया गया है। इरीगेशन एक्सटेंशन सर्विस के नाम से एक नयी सर्विस की स्थापना इस बजट में कृषि विभाग के अन्तर्गत की गयी है जो किसानों को पानी इस्तेमाल करने के साधन बतलायेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि इरीगेशन विभाग ने पानी तो हमको दिया, लेकिन पानी के इस्तेमाल करने के साधन उनके अधिकारियों ने नहीं बताये जिससे पानी का इस्तेमाल नहीं हो सका। यह विभागीय जहनियत का भी द्योतक है।

स्टाफ के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कई बार कहा था और इस समय भी एकाध बात मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि स्टाफ बढ़ा। कई बार इस बात के लिये शिकायत की गयी एस्टीमेट कमेटी ने भी कहा कि विभाग के पास इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि एक इंजीनियर का क्या वर्किंग लोड होना चाहिये या है। पी० डब्ल्यू० डी० ने अपने यहां की इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि इरीगेशन डिपार्टमेंट ने इस सम्बन्ध में क्या किया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके हमें इस बात को भी बतला दें कि उनके यहां सिंचाई विभाग में इसका क्या आधार है कि एक इंजीनियर के ऊपर इतना वर्क लोड होना चाहिये। उनकी श्रेणियां भी बहुत हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यह अंग्रेजी समय में सही हो सकती थी। पर आज के जनतंत्र के युग में यह बहुत जरूरी है कि हम छोटी श्रेणी के अफसरों पर विश्वास करें। अगर हम उनके

ऊपर अविश्वास करेंगे तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकेगा। यानी अगर सब देश की सेवा करने की भावना से, जिम्मेदारी से काम करें तो मैं समझता हूं कि स्टाफ के अन्दर कमी हो सकती है और कोई वजह नहीं है कि स्टाफ के अन्दर कमी न हो।

ट्यूबवेल्स बन जाते हैं परन्तु गूलें नहीं बन पातीं जिससे उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। मुझे अपना अनुभव है और इस सम्बन्ध में मैंने पहले वाले सिंचाई मंत्री जी से कहा भी था और आपके मंत्रित्व काल में भी आपसे तो नहीं मिला हूं, लेकिन इस सम्बन्ध में इंजीनियर आदि को चिट्ठी भेजता रहा हूं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ट्यूबवेल्स बन जाते हैं तो बिजली नहीं मिलती और अगर बिजली भी मिल जाती है तो उसका पानी ही काफी तौर से डिस्चार्ज नहीं होता। बाढ़ सम्बन्धी कामों में सरकार का ९ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन उसका लाभ बहुत कम प्राप्त हो सका है। माननीय मंत्री जी से मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी बंगलिंग और अपव्यय इस शाखा में हुआ है उतना शायद ही किसी और स्थान में हो। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात का खंडन करें।

श्री अधिष्ठाता—वह कौन विभाग है?

श्री नवलकिशोर—एक बाढ़ निरोधक संगठन बना था। साथ ही इस बात की भी बहुत शिकायत है कि काश्तकारों की जमीन ले ली जाती है, लेकिन उनका कम्पेनसेशन पे नहीं हो पाता। मान्यवर, मुझे याद है कि हमारे दोस्त श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी तो माता-टीला बांध के पानी में ही जाकर इसी बात पर बैठ गये थे कि पानी आयेगा तो मुझे बहा कर ले जायगा और फिर बड़ी मुश्किल से वहां किसानों को पेमेंट हुआ। आज भी ऐसी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं कि तीन-तीन और चार-चार साल पहले जमीन तो ले ली गयी जिसका लगान भी काश्तकार को देना पड़ता है, लेकिन उसका कम्पेनसेशन पेमेंट नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि अधिकारीगण इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें।

मुझे खुशी है कि माइनर इर्रीगेशन के सम्बन्ध में आपने अपनी नीति बदली है। लेकिन इस बात से मुझे बहुत दुःख है कि जहां माइनर इर्रीगेशन का काम नियोजन विभाग के अन्तर्गत होता है वहां उसके लिये अलग से इंजीनियर की मांग की जाती है। यह हालत है कोआर्डिनेशन की कि इर्रीगेशन स्टाफ मौजूद है, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन माइनर्स के लिये काम हो तो प्लानिंग के लिये अलग से इंजीनियर नियुक्त करने की मांग की जाती है। डिपार्टमेंटलिज्म की इससे बढ़ कर कोई दूसरी गलत मिसाल नहीं हो सकती। मेरे क्षेत्र में पिछली पुस्तिका में अरल नदी पर एक छोटे बांध की बात थी, इस वर्ष वह उस किताब में नहीं है।

कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के सम्बन्ध में भी बातें कही गयीं। एक जमाना पूर्व कोआपरेटिव के जरिये सैकड़ों ट्यूबवेल्स बने। उससे लोगों ने पानी नहीं लिया। मैं भी कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स का विरोधी नहीं हूं। मगर वह सफल नहीं हुये और अधिकांश बेकार पड़े हैं। मुझे खुशी है कि सिंचाई विभाग ने तय किया है और माननीय मंत्री जी ने भी कि हम इन कोआपरेटिव नलकूपों को लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें ले लीजिये चाहे पेमेंट जब कभी भी हो क्योंकि इनका जो वाटर पोटेन्शियल आपके प्रदेश में है उसको आप सही मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने ३०–३६ लिये हैं कुछ और लेना चाहते हैं,

[श्री नवलकिशोर]

इसमें कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, जैसे जमींदारी के बान्ड्स दिये गये उसी तरह से आप इनको भी ले लीजिये और जितनी जल्दी हो सके मेरी राय में उनको ले लेना चाहिये।

कुछ मैं लेबर कोआपरेटिव्ज के बारे में भी कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी इस बात के हामी हैं और उन्होंने वादा भी किया है कि अगर इस प्रदेश में मजदूरों के कोआपरेटिव्ज संगठित हो सकें तो वह उनको काम देंगे। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन जो हमारा कान्ट्रैक्ट सिस्टम है उसके बारे में काफी चर्चा हुई, लेकिन आज तक उसमें कोई तरमीम नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिकेशन का कुछ और बेहतर तरीका हो, उनको आप ठीक करें। आखिर में मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता क्योंकि मेरे एक भाई ने कहा है कि मैं उसको न कहूं।

श्री अधिष्ठाता---आप अपनी प्राइवेट बातों को न कहा करें।

श्री नवलकिशोर---ठीक है, मुझे अफसोस है मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा जिसकी मुझे तकलीफ है और वह यह है कि बड़ा मुश्किल होता है कि भ्रष्टाचार ऊंचे स्तर पर पकड़ा जाय परन्तु यदि कभी कोई ऐक्शन ले भी लिया जाय और उनको उस स्थान से हटाया भी जाय मगर यदि बाद में उसको ह्वाइटवाश कर दें तब इसका तमाम सर्विसेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरा स्पष्ट संकेत हाइडिल विभाग के चीफ इंजीनियर की ओर है, जिनके विषय में सरकार के उस समय के एक मंत्री महोदय ने, जिनके ऊपर इस विभाग का पहले भार था, कुछ आरोप लगाये थे, जिनकी मैं सदन में चर्चा करना उचित नहीं समझता और न विशेष जानकारी ही है। लेकिन उनके ऊपर एक्शन हुआ और वह छुट्टी लेकर भी गये और यह आश्वासन था कि वह फिर वापस नहीं आयेंगे, लेकिन ऐसा नया तरीका इस्तेमाल किया गया जैसा कि नौकरशाही का कायदा होता है, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, जिसको आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी या लियाजां आफिसर कहते हैं या सम्पर्क अधिकारी कहते हैं। उस जगह पर उनको अप्वाइंट किया गया। अच्छा होता कि पहले इस बात की घोषणा होती कि उन पर सन्देह निराधार हैं और उनको उसके बाद चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर ही वापस किया जाता, लेकिन वह कुछ न करके एक नई पोस्ट क्रियेट की गई। इस तरह की गलत परम्पराओं को हमें प्रश्रय नहीं देना चाहिये, इसका बुरा असर अनुशासन पर भी पड़ता है और विभाग की कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। अन्त में मैं केवल एक सेन्टेन्स कह कर अपनी बात खत्म करूंगा कि मैंने जो सुझाव विभाग के सम्बन्ध में दिये हैं, उनको मंत्री जी सही स्प्रिट में लेने की चेष्टा करें। मैं यह भी समझता हूं कि हमारी श्रद्धा, विश्वास और प्रशंसा कर्मचारियों के लिये होनी चाहिये, लेकिन उनको भी यह समझना है कि हमारे प्रदेश की जनता उनसे क्या आशा करती है और आज के विकास युग में उनका क्या उत्तरदायित्व है।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। यद्यपि उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ अपने भाषण को प्रस्तुत किया परन्तु वास्तविकता नहीं छिप सकी। पहली बात तो यह कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो काम निर्धारित किये गये थे वह अब तक दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी पूरे नहीं हो सके हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी प्रगति के साथ, जितनी तेजी के साथ हमारे प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ सका। यह निर्विवाद है कि जहां हमारे प्रान्त की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है, वहां ठीक उसी भांति हमारी प्रति एकड़ पैदावार कम होती जा रही है। इस कारण आज खाद्य समस्या का समाधान हमारे लिये एक बड़ी चिन्ता का विषय बन गया है और उसके निराकरण के लिये आवश्यक है कि खेती की उपज को बढ़ाया जाय। चूंकि सिंचाई खेती की उपज की जान है या एक प्रमुख साधन

कहना चाहिए। इसलिये जब तक हम अपने सिंचित क्षेत्र को नहीं बढ़ा लेंगे और समुचित मात्रा में नहीं बढ़ा लेंगे तब तक कृषि का उत्थान असम्भव है और जब तक कृषि का उत्थान नहीं होता, उसमें कार्य करने वाले ८५ परसेंट किसानों का उत्थान नहीं होता तब तक हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता। जब तक किसान धनी नहीं होगा, उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक जितना भी उद्योग आपके यहां खड़ा है उसकी उपज की कोई खपत नहीं होगी और सब चौपट हो जाएगा। आपका नियोजन किताबों में ही रह जायगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्त होने को है। अब तक सिंचाई में क्या प्रगति हुई? एक आंकड़े की जो पुस्तिका मिली है उसमें देखने से मालूम होता है कि सन् ५८–५९ तक हमारी सरकार ने —जो अपने आपको प्रगतिशील सरकार कहती है—केवल १४ परसेंट भूमि को सिंचित किया है। और साढ़े १५ परसेंट भूमि किसान ने अपने जन धन से सिंचित बनाई है। मुझे एक भ्रम है मैं उसका समाधान करना चाहता हूं। सिंचाई पत्रिका में ऐसा गोलमाल लिख दिया है, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं, लिखा है: "आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक प्रदेश की १२१.१५ लाख एकड़ भूमि को सिंचन सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो कृषि योग्य भूमि की ३० परसेंट होगी।" यह साफ नहीं किया कि यह केवल सरकारी कार्यकलापों में से होगी या किसानों और सरकार दोनों को मिला कर होगी। उस पर माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करें। वैसे उनके आकड़ों की, जो किताब है, उससे साफ है कि १४ परसेण्ट सरकार ने किया है और साढ़े १५ परसेण्ट किसानों ने। लेकिन ३० परसेंट के लिये स्वयं ही श्रेय लिये ले रहे हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में १५३ करोड़ रुपया व्यय किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५३ करोड़ रखा गया। प्रथम योजना में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का कितना लक्ष्य था और द्वितीय में कितना लक्ष्य है और प्रत्येक में कितनी सफलता मिली, यह माननीय मंत्री जी जवाब में बताने की कृपा करें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अब तक सिंचाई में सरकार द्वारा जो प्रगति हमको मालूम हुई है वह यह है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद इन्होंने केवल ४ परसेण्ट भूमि का सिंचन बढ़ाया है। उसके लिये मेरा अनुमान है कि २ परसेण्ट इन्होंने बढ़ाया होगा और २ परसेण्ट किसान ने . . . . .

श्री अधिष्ठाता—आपका अनुमान कुछ गलत सा मालूम होता है।

श्री रघुवीरसिंह —उस पर तो मंत्री जी प्रकाश डालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले यह चर्चा चली थी कि पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। इसके लिये भी मैं सरकार को दोषी समझता हूं कि वही यह प्रश्न पैदा कराती है। मैं देख रहा हूं कि हमारे सूबे में एक ही सरकार है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में आबपाशी की दर कुछ और है, दक्षिणी क्षेत्र में कुछ और, पूर्वी क्षेत्र में कुछ और पश्चिमी क्षेत्र में कुछ और है। जब एक तरह का शुल्क है ही नहीं तो लोगों को कहने का मौका मिलता है इसके लिये सरकार दोषी है और मैं जानना चाहता हूं क्या कारण है कि पश्चिमी जिलों में आबपाशी की दर सबसे ज्यादा है? किसी काम के लिये कहा जाय तो सरकार कहती है कि धनाभाव है लेकिन सरकार यह नहीं देखती कि फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाय। सिंचाई विभाग को लीजिये इसमें तीन उप विभाग हैं एक नहर विभाग, एक ट्यूब वेल विभाग और एक ड्रेनेज विभाग और सब के अलग अलग इंजीनियर्स

[श्री रघुवीरसिंह]

तथा अन्य कर्मचारी हैं। मैं अपने एटे जिले का उदाहरण देता हूं। हमारे जिले में पांच क्षेत्र नहर के ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पड़ते हैं, २ क्षेत्र ट्यूबवेल इंजीनियर्स के पड़ते हैं और २ क्षेत्र ड्रेनेज ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पड़ते हैं। इस प्रकार ९ ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के क्षेत्र हैं, लेकिन एक का भी हमारे यहां हैडक्वार्टर नहीं है। अगर हम सम्बन्ध स्थापित करना चाहें तो ९ ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स से बात करें तब अपनी किसी समस्या को हल करा सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब आप गरीब हैं तो गरीबों की तरह रहिये, प्रत्येक जिले के स्तर पर आपको एक ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर रख देना चाहिये। जहां तक मेरा अपना विचार है मैं जानता हूं इनमें से किसी भी विभाग के ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर कला एवं विज्ञान की दृष्टि से एक सी जानकारी रखते हैं। इसलिये जिले के प्रत्येक सिंचाई विभाग के कार्य को देख सकते हैं फिर क्या कारण है कि उप विभाग स्थापित कर इतने इंजीनियर रखे जायं और हमारे जिले में एक भी नहीं? अगर ऐसा किया जायगा तो खर्चा भी कम हो जायगा और वह सुचारू रूप से काम भी कर सकते हैं क्योंकि अधिकार क्षेत्र छोटा हो जायगा और जो बड़े-बड़े भत्ते दिये जाते हैं उनको हमारे यहां दौरा करने पर उसकी भी बचत हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं सरकार हमारी इस बात को मान ले।

सरकार ने प्रान्त के स्तर पर ही नहीं जिले के स्तर पर भी अजीब भेदभाव की नीति अपना रखी है। हमारे जिले एटे में अलीगढ़ डिवीजन में नदियों की आबपाशी ली जाती है, लेकिन उसके बाद ज्यों ही नदियां मैनपुरी डिवीजन में आ जाती हैं वहां कोई आबपाशी नहीं ली जाती। मैंने पिछले साल भी मंत्री जी से कहा था कि यह न्यायसंगत बात नहीं है। नदियों की कहीं आबपाशी नहीं ली जाती है तो अलीगढ़ डिवीजन में ही क्यों है? नदियों में प्राकृतिक रूप से पानी आता है, आप न तो उनकी सफाई करवाने पर खर्च करते हैं और न अन्य किसी तरह से तो फिर आबपाशी क्यों लेते हैं? नदियों से सिंचाई करना उसके पानी का इस्तेमाल करना हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिये नदियों की आबपाशी से हमें मुक्त किया जाय। जब नदियों की आबपाशी किसानों को देनी पड़ती है तो वह अक्सर कहते हैं कि इससे तो अंग्रेज सरकार अच्छी थी कि उस समय नदियों की सिंचाई की आबपाशी नहीं ली जाती थी आज अपनी सरकार में ली जाने लगी है।

श्री अधिष्ठाता—हर गंवार आदमी ऐसा कहता है।

श्री रघुवीरसिंह—जो सच्ची बात थी वह मैंने बता दी। हमारी सरकर को नाले बनाने की बड़ी आदत पड़ गई है। मैं मानता हूं कि नालों की जरूरत है, लेकिन ऐसी छोटी नदियों में २०, २० नाले डाल दिये गये हैं कि उनमें पानी ले जाने की क्षमता नहीं है और नतीजा यह होता है कि उनमें बाढ़ आजाती है। छोटी नदियों के किनारे जो जमीन उपजाऊ होती है उस पर खेती होती है लेकिन नालों के पानी के कारण वह पैदावार गल जाती है। कहीं कहीं ऐसे अनावश्यक नाले बनाये जाते हैं जिनसे जनता को कोई अपेक्षाकृत लाभ नहीं है। उदाहारण के लिये जिला एटा में गोकनी ड्रेनेज, जिसका आज कल सर्वे हो रहा है, वह पांच मील लम्बा नाला बनाया जा रहा है। मैंने स्वयं देखा है कि उस नाले के निकलने से ज्यादा से ज्यादा १०० एकड़ जमीन बच सकेगी, लेकिन रास्ते में ५ मील के दौरान में उससे तिगुनी, चौगुनी कृषि योग्य भूमि बर्बाद होगी। हजारों रुपया खुदाई में लगेगा तब नाला बनेगा और जिस नदी में डाला जायगा आगे चल कर वह बाढ़ का कारण बनेगा।

एक बात यह कहनी है कि आज जितना भी विकास हो रहा है वह विकास ऐसा है जैसे वृक्ष की जड़ में पानी न देकर पत्तों को सींचा जा रहा है। ऐसा विकास किया जाय जो वास्तविक विकास हो। अभी मैं ने इस किताब में पढ़ा कि रामगंगा योजना और उसके साथ साथ छोटी छोटी योजनाओं को इसलिये स्थगित कर दिया गया कि पैसे का अभाव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब ४ अरब रुपया हमारी दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में

खर्च हो गया और उनसे कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ, तो क्या उस धन से यह योजना चालू नहीं की जा सकती थी जिससे अपर तथा लोअर गंजेज नहरों में पानी पहुंचा दिया जाता? इससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी जिससे किसान की पैदावार बढ़ती और प्रदेश का लाभ एवं उत्थान होता।

मैं यह कहना उचित समझता हूं कि हमारी सरकार ने सिंचाई विभाग को बड़ी उदासीनता से देखा है, उसके साथ बड़ी उपेक्षापूर्ण नीति बरती है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे सुझावों पर सरकार विचार करेगी।

*श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने इस अनुदान पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। जो अनुदान इस सदन में प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। माननीय वर्मा जी गंगा नदी में बांध डाल कर पूरे प्रदेश को सिंचाई से लाभान्वित करना चाहते हैं और जब गंगा में बांध बांधना चाहते हैं तब भी कटौती का प्रस्ताव लाते हैं यह बात न्याय संगत नहीं है।

श्रीमन, स्वतन्त्रता मिलने के बाद से प्रदेशीय सरकार ने सिंचाई की ओर जो प्रगति की है वह किसी से छिपी नहीं है। आज चाहे ४ फीसदी या २ फीसदी की बात कही जाय, लेकिन हमारे प्रदेश के कोने कोने में कोई न कोई काम जरूर हुआ चाहे वह छोटी सिंचाई की योजना हो चाहे नहर की योजना हो, चाहे ट्यूबवेल की योजना हो। आजादी मिलने के बाद ही पहले पहल सरकार ने सिंचाई की सुविधा देने के लिये किसानों को लोहा दिया, सीमेंट दिया और उसके बाद ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी। साथ ही सिंचाई के नलकूप और नहरों की योजना का जाल बिछ गया।

मैं पूरे प्रदेश की बात न कह कर अब अपने जिले की बात कहता हूं। सुल्तानपुर जिला प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। राजनीतिक दलबन्दी में पड़ कर दूसरे जिले चाहे अभावग्रस्त न रहे हों, लेकिन अधिक शोर मचा कर वे ज्यादा पिछड़े हुए माने गये चाहे पूर्व के जिले हों या पश्चिम के जिले हों। अगर सन् ४७ के पहले के आंकड़ों को देखा जाय तो सुल्तानपुर सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है और सबसे अधिक घना आबाद है। वहां खेती के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। आजादी मिलने के बाद वहां गोमती नदी के दक्षिण व उत्तर में नहरों का जाल बिछ गया और ट्यूबवेल वहां काफी बना दिये गये जिससे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी। वहां बाढ़ व सूखे का अब प्रकोप नहीं होता और गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जिससे आज वहां का काश्तकार जिन्दा है और वह अपने कपड़े व खाने का इन्तजाम कर लेता है।

छोटी योजनाओं की बड़ी चर्चा की जाती है। मैं भी चाहता हूं कि छोटी योजनायें जरूर चलाई जायं, लेकिन पूरे प्रदेश में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न स्थिति है। कहीं गहराई पर पानी होता है और कहीं १०,१५ फुट पर पानी होता है। हमारे जिले में गोमती नदी के किनारे ६०, ७० फुट पर पानी होता है। इसलिये वहां नलकूप की योजना का होना परमावश्यक है। मेरे जिले में नलकूप लगे हैं। वहां बिजली की लाइनें भी पहुंच गयी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीप्रसाद पांडेय]

और यहां तक कि मेरे जिले में ट्यूबवेल से प्रदेश में पहले नम्बर की सिंचाई हो रही है, लेकिन चूंकि एक-एक ट्यूबवेल का कमांड एरिया हजार-हजार और पन्द्रह-पन्द्रह सौ एकड़ रख दिया गया है इसलिये पूरी पूरी सिंचाई उनसे नहीं हो पाती ।

कहा गया कि सिंचाई में घाटा हो गया । माननीय अब्दुल रऊफ लारी ने और एक आध दूसरे माननीय सदस्यों ने इसका बड़ा जिक्र किया कि सिंचाई में गवर्नमेंट को घाटा हुआ । मैं उनको बताना चाहता कि यह गवर्नमेंट कोई बनियागीरी नहीं करती जो सिंचाई से मुनाफा उठाना ही उसका ध्येय हो बल्कि वह किसानों की सहायता करना चाहती है और लोगों को अन्न देना चाहती है । उसके लिये यह आवश्यक है कि मुनाफे की ओर ध्यान न दिया जाय । हमारे प्रदेश में जब सूबे की लहर आयी तो माननीय मंत्री जी इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सिंचाई की दर कम कर के बहुत बड़ी सहायता किसानों की की और इसीलिये सिंचाई की आमदनी में कमी हुई । वैसे तो संकट के काल में पूरी सिंचाई मुफ्त करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी ने एक-तिहाई सिंचाई ही ली तो भी वे सराहना के पात्र हैं ।

आज जहां सारे प्रदेश और देश में अधिक अन्न उपजाओ की बात कही जाती है उसके लिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो किसान गन्ने के अलावा कोई तीसरी फसल अपने खेत में पैदा करना चाहें गरमी के दिनों में जबकि जमीन खाली रहती है तो उनसे एक-तिहाई या मामूली सिंचाई ही ली जाय और उसमें नफे की बात न सोची जाय ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सिंचाई का तरीका सिखाने के लिये ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक विभाग खोला गया है । हो सकता है कि इसके लिये कोई विभाग खोला गया हो, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर एतराज किया जाय क्योंकि किसानों को यह सिखाना आवश्यक है । बहुत से किसानों ने ट्यूबवेल्स को देखा तक नहीं है । उन्हें नहीं मालूम कि उससे कितना पानी देना आवश्यक है । यही कारण है कि पहले पहल बहुत से किसानों ने अपने गेहूं के खेतों में ट्यूबवेल्स से बहुत ज्यादा पानी दे दिया जैसे कि गन्ने के खेतों में देते हैं । नतीजा यह हुआ कि पैदावार ज्यादा होने के बजाय कम हो गयी, गेहूं में गेरुई लग गयी । इसलिये किसानों को सिंचाई का तरीका सिखाना आवश्यक भी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिलों में सिंचाई के मुहकमे वाले जो थोड़े से कर्मचारी होते हैं वे पूरे जिले के किसानों को यह तरीका बताने के लिये काफी नहीं हैं ।

साथ ही साथ ट्यूबवेल की गूलों के बारे में मुझे थोड़ा कहना है । कभी कभी ऐसा होता है कि काश्तकार अपने खेत में हो कर आगे पानी देना नहीं चाहता और वैसे पानी चढ़ नहीं पाता जिससे दूसरे किसानों को बड़ी दिक्कत होती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि बीच-बीच में गूलों से मिली हुई छोटी-छोटी नालियां विभाग की ओर से बनवायी जायं और थोड़ा-थोड़ा पानी ट्यूबवेलों के जरिये से सींचा जाय ।

इसके अलावा मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जैसे पानी पीने के कुंये के लिये ७-८ सौ रुपये मुफ्त में दिये जाते हैं अगर यह सहूलियत सिंचाई के लिये दी जाय, चाहे पानी पीने के कुंये के लिये थोड़ी कम भी सहूलियत दी जाय तो कुछ अधिक अनुचित न होगा । साथ ही साथ मैं अपने जिले सुल्तानपुर की बात विशेष रूप से कहता हूं कि जो ५-१० नल ट्यूबवेल से पीने के पानी के लिये दिये जाते हैं अगर उनकी संख्या बढ़ा दी जाय क्योंकि हमारे जिले में पानी बहुत गहराई में होता है तो उससे लोगों को पीने के पानी के सम्बन्ध में बहुत सहूलियत हो जायगी ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुल्तानपुर ऐसा जिला है जहां जमीन हर प्रकार के अन्न पैदा करने की दशा में है । वहां की आबहवा ऐसी है कि कपास की खेती बहुत अच्छी हो सकती है और किसान उससे लाभ उठा सकते हैं ।

इन जगहों पर यानी लखनऊ-बलिया रोड के दक्षिण की तरफ सुल्तानपुर जिले में और ट्यूबवेल्स लगवा दिये जायं । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई अनुदान के संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अनेक माननीय सदस्यों ने यह पूछा है कि सिंचाई जैसे अनुदान के लिये कटौती का प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया गया है ? मैं माननीय सदस्यों की सेवा में सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं और मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है ? हमें बताया गया है कि हमारे प्रदेश में १९४६ तक १,८४७ ट्यूबवेल्स थे और १९५९ तक ४,२५३ और लग गये । इस तरह से प्रदेश में ६,१०० ट्यूबवेल्स और लग गये । इस सिंचाई विभाग की पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि ४६-४७ में हमारे प्रदेश में जहां ट्यूबवेलों से ७,७६,०६४ एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी वहां १९५७-५८ में १६,९३ ७२५ एकड़ हो गई है । ४६–४७ से हमारे प्रदेश में ४,२५३ ट्यूबवेल्स और बढ़ गये और सिंचाई का क्षेत्र भी १० लाख एकड़ के लगभग बढ़ गया । लेकिन ट्यूबवेल्स से आमदनी होने के बजाय हमारे प्रदेश में १२८ लाख की हानि हुई है और ब्याज की भी हानि देखी जाय तो २३७ लाख की हानि हुई है ।

अधिष्ठाता महोदय, हम पश्चिमी जिलों के रहने वाले हैं और हमारे यहां ट्यूबवेलों की बहुत मांग है । हमारे यहां सिंचाई के पानी के लिये कत्ल हो जाते हैं । अगर २४ घंटे ट्यूबवेल्स चलाये जायं तो भी लोग वहां पानी लेने के लिये तैयार हैं । जहां पर ट्यूबवेल्स की मांग है और लोग अपना खून बहा देते हैं वहां की मांग को ठुकराकर ट्यूबवेल्स ऐसी जगहों में लगा दिये गये हैं जहां पर आमदनी न होकर सरकार को उल्टे घाटा हो रहा है । क्या बतायेंगे पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब, जैसा कि मैंने कल कहा था कि करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति लगाने के बाद जनता का पया क्यों इस तरह से बरबाद किया जा रहा है कि जहां सिंचाई की दस लाख एकड़ भूमि तो बढ़ जाय वहां १२८ लाख रूपये की हानि क्यों हुई ?

इसी प्रकार से मैं आपके सामने नहरों के आंकड़े पेश करना चाहता हूं । इस पुस्तिका में लिखा हुआ है कि १९४६ तक हमारे प्रदेश में १७,८२५ मील लम्बी नहरें थीं और १९६० तक वह २५ हजार मील हो गईं यानी ७,१७५ मील नहरें बढ़ गई और सिंचाई का रकबा भी बढ़ गया । आज जहां नहरों से किसानों को लाभ हुआ है वहां नहरों प आमदनी हुई है उसका एनुअल रिटर्न देखा जाय तो २१३ लाख है । इंटरेस्ट भी अगर लगाया जाय तो इस में १३७ लाख का घाटा है । आज जिस इलाके में नहरों और ट्यूबवेलों की मांग है वहां न बनाकर उन स्थानों पर नहर और ट्यूबवेल बनाये जा रहे हैं जहां एक ट्यूबवेल से तीन रुपये साल की भी आमदनी नहीं होती है और उस पर एक लाख रूपया व्यय कर दिया जाता है । अगर आप व्यापारी होते तो इस प्रकार का घाटा देख कर आपका हार्ट फेल हो जाता । मैं व्यापारी हूं और मैं जानता हूं कि रुपये की क्या कीमत है । आपको तो जनता का रुपया मिला हुआ है, आपको मंत्री पद मिला हुआ है, आप रुपये को बरबाद करने में क्यों हिचकेंगे क्योंकि पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री बने हुये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय लहरी जी, मंत्री जी का हार्ट कमजोर है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—कोई चिन्ता की बात नहीं है। जैसे कि मैंने कल भी मांग की थी, आज मैं पुनः मांग करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रदेश के ऊपर कृपा कीजिये। जब आप में इतनी क्षमता और योग्यता नहीं है कि इस पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट की बरबादी को रोक सकें और प्रदेश की जनता की भलाई कर सकें तो आप अपने पद से त्याग-पत्र दे कर अलग हो जाइये और किसी ऐसे व्यक्ति को चार्ज दीजिये जो इस बरबादी को अच्छी तरह रोक सके।

मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। १९५५–५६ में हमारे प्रदेश में जहां ६३ लाख ८३ हजार ३०३ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई थी वहां १९५७–५८ में आपके आंकड़ों के मुताबिक ८० लाख ३४ हजार १५ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। १९५५–५६ में जहां २ करोड़ ९१ लाख २९ हजार ३ सौ ८ रुपये की आमदनी हुई वहां १९५७–५८ में २ करोड़ १९ लाख १८ हजार ४ सौ ५७ रुपये की आमदनी हुई। यदि आप के आंकड़ों को देखा जाय तो इस प्रदेश में १९५५–५६ के मुकाबले में साढ़े १६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई बढ़ गयी, लेकिन प्रदेश की आमदनी ७२ लाख १० हजार ९ सौ ५१ रुपये कम हो गयी। १९५६–५७ में ६५ लाख ३१ हजार ९०२ एकड़ की सिंचाई की गयी और आमदनी २ करोड़ १९ लाख ६ हजार २२१ हुई। १९५७–५८ में १२ हजार ३३६ रुपये आमदनी ज्यादा है जब कि सिंचाई १५ लाख ३ हजार ११३ एकड़ ज्यादा की गयी। अब अगर एक एकड़ की सिंचाई पर एक रुपया भी लें तो आपकी आमदनी १९५५–५६ के मुकाबले में १९५७–५८ में कम से कम १५ लाख रुपये बढ़ जानी चाहिये थी, लेकिन केवल १२ हजार ३३६ बढ़ी। यह क्या गोरखधंधा है? अपने इंजीनियरों से पूछिये। आलीशान भवनों में बैठ कर आपको फुरसत नहीं है कि इन जगहों में जाकर मुआयना करें कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। मैंने पी० डब्लू० डी० बजट के ऊपर आपको इस बात की दावत दी थी कि आप की नाक के नीचे दारुल-शफा में आपके इंजीनियरों ने क्या गबन किया है, लेकिन मुझे जो कुछ देख पड़ा दुख है कि आपके एक असिस्टेंट इंजीनियर तो जरूर गये और दो मिनट देख कर चले गये। आपके चीफ इंजीनियर और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को इतनी हिम्मत नहीं है कि जा कर कम से कम उस गड़बड़घोटाले को देख सकते। आपकी आंखों के नीचे गबन होता रहे, लेकिन आप कुछ न कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप चल कर दारुलशफा में जो नयी बिल्डिंग बनी है जिसको बने एक साल भी नहीं हुआ है, उसको देखिये, उसका सीमेंट गिरने लगा है। पता नहीं एक–बीस का सीमेंट लगाया गया है या क्या है। जहां इस तरह की बेईमानियां. . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य सिंचाई विभाग पर आ जायं।

श्री जगन्नाथ लहरी—उसी पर बोल रहा हूं। भ्रष्टाचार और बेईमानियां फैली हुई हैं वहां आपको यह फुर्सत नहीं है कि आप उसको देखने के लिए जा सकें, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइए प्रदेश के उस भाग में जहां सचमुच लोग सिंचाई की आवश्यकता महसूस करते हैं, जहां ट्यूबवेल और नहरों से पानी लेने के लिए किसान तैयार हैं, जहां आपको घाटा नहीं हो सकता है, उन स्थानों पर आप ट्यूबवेल और नहरें बनवाइए, लेकिन आप सिर्फ कागजी कार्यवाही करते हैं, उन इलाकों की जनता को आप योजनाबद्ध कागज पर दिखा देते हैं, काम नहीं करते। मैंने कल चुनौती दी थी और आज फिर देता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में लिखा गया था कि फीरोजाबाद तहसील के इलाके में ट्यूबवेल लगवाने की आवश्यकता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह रखा गया, लेकिन आपने एक इंच भी जमीन वहां पर नहर से या ट्यूबवेल से सींचने का प्रबन्ध किया है? मैदानी इलाका है, समतल जमीन है, वहां का किसान उसके लिए हाहाकार कर रहा है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं। फुर्सत आपको क्यों मिलेगी? क्योंकि आपके इंजीनियर महोदय, चीफ इंजीनियर महोदय जहां रुपये का अच्छी तरह से गबन हो सकता है, जहां कोई देखने वाला न हो, जहां उनकी कोठियों और तिजोरियों में

रुपया भरा जा सके, ऐसे स्थानों की योजना बनायेंगे। दूसरे स्थानों की योजना वह कैसे बना सकते हैं ?

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जब तक प्रोग्रेसिव इकोनोमी को समझ न लिया जाय तब तक सिंचाई विभाग के बारे में एक अक्षर भी समझ में न आयेगा। यह कभी हो नहीं सकता कि आज का बनिया कल का सेठ। आज हम पैसा लगायें और कल ही हमको जाकर के लाभ हो जाय। यह हमारा मूल तत्व है, जिसको हमको समझना होगा। अभी हमारे प्रदेश का किसान एक मौसमी किसान था। केवल ट्यूबवेल लगा देने से और नहरें बना देने से ही कोई काम नहीं चलेगा। वह एक भाग्यवादी किसान रहा है। पानी से खेती करना हमें इस प्रदेश के किसानों को समझाना है। आज कितने किसान हैं, कितनी उनकी वंशपरम्परागत बातें हैं, ऐसे किसान कितने हैं जो अच्छी तरह से और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पानी लेना जानते हैं ? मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि या गिद्ध दृष्टि तो नहीं है, लेकिन मैं पूर्वी जिलों के दृष्टिकोण से बताता हूं कि हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिए, इस बात का हमको प्रचार करना होगा, तब वह किसान यह समझ पायेगा कि हमको इतने घंटे ट्यूबवेल से पानी लेना होगा, जितने में कि ट्यूबवेल आत्मनिर्भर हो जायगा। सरकार का यह प्रयत्न बहुत प्रशंसनीय है और इस सिंचाई विभाग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए प्रस्तावक महोदय ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि सरकार रक्त चूस रही है और उससे मोटिव को अटैच किया, उसको सुनकर के मुझे बहुत ही आश्चर्य और दुख हुआ। कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करके एक वृहत् चर्चा सिंचाई विभाग पर की जाय यहां तक तो ठीक है क्योंकि यह होना भी चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत कोई चुपचाप से काम नहीं चल सकता, उसकी अनेक बातों पर हमको विचार करना होगा और करना चाहिए। लेकिन सरकार के ऊपर एक मोटिव अटैच करना और उसमें कोई तथ्य जब न हो, तो यह एक आश्चर्य की बात है। उससे एक भ्रष्टाचार का प्रचार हम एक दूसरे तरीके से करेंगे।

सिंचाई विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। खेती में उत्तम बीज हो, उत्तम भूमि हो, उत्तम साधन भी हों, लेकिन यदि सिंचन कार्य ठीक न हो तो सब अपूर्ण हो जायगा। इसीलिए संस्कृत में जल को एक रस कहा है---रसो वै सः कहा है। एक आदमी के शरीर के अन्दर भी ७० से ८० प्रतिशत जल का अंश होता है और जल एक बहुत ही प्राण की-सी चीज है। इसका एक नाम नारायण भी है। इसलिए सिंचाई विभाग को हमें किसी हल्के दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां एक बानगंगा की नहर बनाई गई। तो क्या मैं यह समझूं कि वह नहर अनुद्देश्यपूरक है। इससे सरकार ने रक्त चूस लिया है। ट्यूबवेल से अगर एक बीघे खेत के अन्दर पानी लिया गया और उस पर हम शिड्यूल ए, बी, सी, डी, चार में से किसी भी रेट से ले लें तो उसमें पानी का जो एक बीघे गन्ने का दाम है वह कम या अधिक हो सकता है। इस पर हमें अनेक दृष्टि से विचार करना होगा, लेकिन केवल पाखंडवाद को यहां पर प्रस्तुत करके हम चाहते हों कि एक दम बादल खेतों के ऊपर कर दें तो इससे काम चलने वाला नहीं है।

जहां तक लघु सिंचन योजना का प्रश्न है, सिंचाई विभाग का ध्यान उस तरफ गया है। उसको जो प्राथमिकता दी गई है यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है क्योंकि इस प्रदेश में लघु सिंचन योजना से कार्य सिद्ध होगा और हमको इस बात पर आना चाहिये। जहां पर ट्यूबवेल नहीं जाते हैं तो वहां पर यह लघु सिंचन योजना कार्य कर सकती हैं। यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है।

[श्री रामलखन मिश्र]

मैं इस अवसर पर कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं अपने सिंचाई मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि आपको प्रदेश के हर भाग की प्लानिंग की जानकारी रहनी चाहिये कि किस जिले के भूभाग में कितने सिंचाई के साधन हैं या नहीं हैं या कहां पर सिंचाई के साधन हो सकते हैं ताकि हम जनता को बता सकें कि यहां क्या होने को है। वहां पर सरकार क्या करने वाली है। उसका इस प्रकार का रूप नहीं होना चाहिये कि जिस किसी ने कह दिया या जो करा ले गया तो उसका काम हो गया और बाकी वैसे ही रह गये। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं बस्ती जिले के डुमरियागंज के उत्तर भाग की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर चरनहवा की जो योजना थी वह फाइल में पड़ी हुई है। सरकार ने उसको पास कर दिया था और पास करने पर वहां इंजीनियर जा चुके थे। इटें गिर चुकी थीं और कोयला जा चुका था और कार्यारम्भ हो चुका था, लेकिन वह फाइल में योजना पड़ी हुई है। अभी तक उसकी तरफ कोई दृष्टि नहीं गई है। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस पर सरकार को अपनी दृष्टि करनी चाहिये। वहां की जनसंख्या बहुत बड़ी है जो सिंचाई के बिना तड़प रही है। कोई साधन वहां पर सिंचाई का नहीं है। वहां पर ट्यूबवेल नहीं हैं। सरकार की तरफ से एक जलकुण्डी योजना चली थी। उस ट्रांसराप्ती एरिया में कुछ काम होने को था लेकिन वह जलकुन्डी योजना छिन्न-भिन्न हो गई। उस योजना का नैपाल सरकार द्वारा बहुत विरोध हो रहा है। वहां पर जो नैपाल के एम० पी० आते हैं उनसे सुना है कि उस जलकुण्डी योजना का नैपाल सरकार से सम्बन्ध था, लेकिन वह अभी होने नहीं जा रही है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस भूभाग के ऊपर कोई न कोई प्लानिंग होनी चाहिये। आखिर हम जनता को जाकर क्या बतायें? अभी एक वहां पर किसान मेला था। वहां पर मेले में जनता बहुत थी और कुछ लड़के भी कालेजों से आये थे। वह बारबार हमसे प्रश्न कर रहे थे कि हमको यह बताइये कि सरकार यहां के लिये क्या योजना करने जा रही है। यह जलकुण्डी योजना तो जलकुण्डी में चली गई पर और दूसरी योजना होनी चाहिये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इससे सिंचाई विभाग को थोड़ा-सा इनिशियेटिव लेना चाहिये। अगर किसी तरीके से कोई सामाजिक काम हो, ट्यूबवेल की गूल बने या नहर बने तो उसके लिये कष्ट सारे गांव वालों को बरदाश्त करना चाहिये। यह आवश्यक है और मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में अगर कोई लेजिस्लेशन लाया जाय तो उचित होगा। अगर किसी किसान का एक बीघा खेत है और उस खेत के अन्दर से गूल निकल गई तो वह बिलकुल ही मर जाता है। इस प्रकार का कोई लेजिस्लेशन लाना चाहिये और यदि किसी गांव के अन्तर्गत कोई इस प्रकार की बात हो तो वह सब को सहन करनी चाहिये। यह आवश्यक चीज है और इसको इसके अन्दर ले आना चाहिये क्योंकि यह काम सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है। इसी प्रकार से कहीं न कहीं कोई नदी है यदि उनको बांध दिया जाय तो उससे सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। उधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। वैसे विकास विभाग की ओर से और दूसरे विभागों की ओर से नलकूप तालाब को गहरा बनाने के काम होते रहते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग का इसके ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिये। सिंचाई विभाग को उधर भी ध्यान देना चाहिये और नलकूपों का जो क्षेत्र है उसे मर्यादित करना चाहिये। यह बहुत ज्यादा है, इसे कम किया जाय। यह उद्देश्यपूरक है और इससे हमारी समस्या हल होगी।

*श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस अनुदान पर जो वाद-विवाद हो रहा है उस सम्बन्ध में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे साथियों ने इस विभाग से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किये। मैं आंकड़ों में नहीं जाता, कारण कि इस विभाग का सम्बन्ध देहात की जनता से अधिक है और इस प्रदेश की खाद्य स्थिति और जो अन्य आवश्यक वस्तुयें हैं वे इस विभाग पर निर्भर करती हैं। यदि यह विभाग ढंग से काम करे तो यह जो प्रदेश में खाद्य आन्दोलन होता है या दूसरे आन्दोलन होते हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था जो दैवी आपदायें आती हैं, सूखा आदि पड़ता है, उन सब पर हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि नहर का विभाग, कम से कम पश्चिमी जिलों की बाबत मैं जानता हूं कि एक योजना है और वह योजना यह है कि वह ज्यादा से ज्यादा इर्रीगेटेड एरिया दिखा देना चाहते हैं चाहे पानी काश्तकारों को एक बार ही मिल पाये। कागजों में इर्रीगेटेड एरिया बढ़ जाना चाहिये ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़ जाय। यह विभाग अपनी मालगुजारी बढ़ाने की तिकड़म में रहता है, लेकिन यह ध्यान नहीं देता कि काश्तकार को रबी की फसल में कितने बार पानी की जरूरत है। यदि गेहूं के लिये ३ या ४ बार पानी की जरूरत है तो मैंने देखा है कि यह नहर का विभाग समय पर पानी नहीं दे पाता है और पानी उत्पादन के लिये प्रमुख वस्तु है। इसके अलावा विभागीय इंजीनियरों की तरफ से यह भी कह दिया जाता है कि चूंकि बर्फ नहीं पिघली इसलिये नहर में पानी नहीं है और इसलिये हम ज्यादा पानी नहीं दे पायेंगे। अगर ऐसा हो तो काश्तकार को पहले से ही खबर भेज देनी चाहिये ताकि काश्तकार आप पर निर्भर न रहें और स्वावलम्बी बनें और अपने पैरों पर खड़े हो कर अपना उत्पादन बढ़ा सकें। यह विभाग गर्मी में, जब ईख आदि की फसल होती है उस समय यह कह कर टाल देता है कि इस समय हमारे पास पानी नहीं है और हम एरिया बांट देंगे और एक-एक महीने के बाद पानी मिलेगा। इससे प्रदेश के किसानों पर ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश की इकोनामिक स्थिति पर असर पड़ता है।

इस के बाद ड्रेनेज का ठीक इंतजाम नहीं है। नहरें आप अपने प्लान के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जहां-जहां नहरें बनी हैं वहां वहां पानी जो ज्यादा हो उसके निकलने के साधन नहीं रखे गये। पश्चिमी जिलों में पिछले तीन सालों का हम को तजुर्बा है, शायद पूर्वी जिले वालों को उसका शिकार नहीं होना पड़ा। सैलाब का हमको शिकार होना पड़ा है। श्रीमन्, इसमें पानी नीचे से ऊपर आ जाता है और खेत में पैदावार नहीं होती। यह गलत प्लानिंग ड्रेनेज न रखने के कारण होता है और पश्चिमी जिले वालों की बड़ी भारी समस्या है। यह नहरों की समस्या सहारनपुर से ले कर कानपुर तक है और आप देखें कि वहां इस के कारण उत्पादन कम होता जा रहा है। इसका कारण नहरों का पानी ऊपर आ जाना ही है। विभाग इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाया।

मैं खाने-पीने की चीज पर बहस नहीं करता। यह कहना चाहता हूं कि नहरों को तभी बढ़ाया जाय जब कि यह देख लिया जाय कि हम पिछले एरिया में पानी समुचित रूप से दे पाये हैं या नहीं। आज शिकायतें आती हैं। पीछे के कुलाबे चार-चार इंच के हैं, लेकिन उनको नहीं बढ़ाया जाता है। प्लान यह बनता है कि नहर आगे बढ़नी चाहिये ताकि हम प्रति एकड़ सिंचाई बढ़ा दें। जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ जाय क्योंकि नहर का पानी चाहे आप एक बार दे लें, दो बार दे लें, ४ बार दे लें, या दस बार दे लें, रेवेन्यू एक ही बार जितना लगेगा उतना ही तब भी लगेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अपनी आमदनी बढ़ाने की तिकड़म में रहते हैं। इस विभाग ने जो काम किये हैं वह ओवरसियराना तौर के सोचने के हैं न कि उत्पादन बढ़ाने के लिये। इस विभाग के हमेशा वह काम रहे हैं जिससे जनता को फायदा नहीं पहुंचता है।

श्री अधिष्ठाता--क्या आप अभी और समय चाहते हैं ?

श्री मलिखानसिंह--जी हां, मैं अभी और समय चाहता हूं। मुझे थोड़ा-सा समय और दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—तो आप कल अपना भाषण जारी रखें।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० मार्च, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

समझौता

बिजली काटन मिल्स, हाथरस के मालिक तथा हाथरस मजदूर पंचायत के मध्य दिनांक १७ फरवरी, सन् १९६० को निम्नलिखित फैसला हुआ—

१—सन् ५६ के बोनस मसले को मालिक लोग मजदूरों से आपस में फैसला कर लेंगे, मालिक लोग एक नोटिस द्वारा सभी मजदूरों से आज से एक सप्ताह के अन्दर ५ नुमाइन्दों के नाम मांग लेंगे, नाम आ जाने के बाद दोनों यूनियनों तथा १ हाथरस मजदूर पंचायत के सेक्रेटरी अथवा प्रेसीडेण्ट, २ कांग्रेस मजदूर संघ के सेक्रेटरी अथवा प्रेसीडेण्ट नुमाइन्दों को लेकर सन् ५६ के बोनस के मसले को आपस में तय कर लेंगे। यह कार्यवाही उपरोक्त समय के २१ दिन के अन्दर सम्पूर्ण होगी। उपरोक्त फैसला दोनों यूनियनों को मान्य होगा। तस्फिहा हो जाने के बाद मालिक लोग सन् ५६ के बोनस के मसले सभी अदालतों से वापस उठा लेंगे। दोनों यूनियनों को इस पर किसी प्रकार की आपत्ति न होगी। इस प्रकार १९५८ के अभिनिर्णय संख्या २—बी का प्रतिपालन हो जावेगा। बोनस के बांटने की अवधि भी मजदूरों के नुमाइन्दों से तय कर ली जावेगी।

२—इसी प्रकार सन् ५७,५८,५९ के बोनस के मसलों को भी उपरोक्त विधि से आपस में तय कर लिया जायगा, यदि आपस में तस्फिहा हो जाता है तो दोनों पक्ष अदालतों के समक्ष लगे मुकदमों में इसी राजीनामे को पेश कर देंगे ताकि तदनुसार अभिनिर्णय हो सके

३—अभिनिर्णय संख्या १३/५९ के सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने यह तय कर लिया है कि मजदूर पंचायत हाथरस एक मुश्त (दस हजार रुपया) १०,००० रु० लेकर मजदूरों को वितरित करवा देगी। जो फेहरिस्त मजदूर पंचायत, हाथरस मालिकों को देगी उसी के अनुसार मालिकान रुपया बांट देंगे। मालिक इस तस्फिहे के अनुसार सभी व्यक्तियों को जो अब तक नौकरी पर नहीं लिये गये हैं उनको दिनांक २२—२—६० से नौकरी पर वापस ले लेवेंगे तथा फैसले के मुताबिक वे लोग कार्य पर बहाल किये जावेंगे। इनको पुराने स्थानों पर रखने के मसले को भी मजदूर पंचायत से आपस में बैठकर मालिक लोग निश्चित कर लेंगे, उनकी नौकरी अटूट रहेगी यानी कन्टीन्युटी आफ सर्विस भी उन्हें प्राप्त होगी, जो धन मालिक लोग देवेंगे वह नौकरी पर न रहने के दिनों का वेतन स्वरूप होगा। इस प्रकार अभिनिर्णय संख्या १३/५९ का पूर्ण पालन माना जावेगा, और मालिक लोग प्रत्येक अदालत से तत्सम्बन्धित मुकदमें वापस उठा लेवेंगे।

४—अभिनिर्णय संख्या ७७/५८ जो कि कोन वाइंडिंग से सम्बन्धित है उस में दोनों पक्षों ने यह फैसला किया है कि कोन वाइन्डरों को तनख्वाह २—९—० प्रति सैकड़ा पाउन्ड माल पर दी जावेगी। यह वेतन फैसले के अनुरूप पिछली बकाया का भी भुगतान मालिक लोग करेंगे, इस प्रकार इस अभिनिर्णय का प्रतिपालन किया जावेगा और प्रत्येक अदालत से मालिक लोग तत्सम्बन्धित मुकदमों को वापस ले लेंगे।

५—उपरोक्त तस्फिहे में जितनी देय धनराशि होगी उसको ३ किस्तों में मजदूर पंचायत के परामर्श से मजदूरों को वितरित कर दी जावेगी। पहली किस्त मार्च

में होली से पूर्व दे दी जावेगी। दूसरी व तीसरी किस्त अप्रैल व मई में भुगतान कर दी जावेगी जो कि चुक्ते के रूप में होगी।

ह० भगवान दास,
ता० १७-२-६०।

ह० मैनेजिंग डाइरेक्टर,
बिजली काटन मिल्स प्रा० लि०, हाथरस:
ह० मंत्री
१७-२-६०
कांग्रेस मजदूर संघ,
हाथरस।

मंत्री,
हाथरस मजदूर पंचायत,
हाथरस।

सत्यापित
ह० प्रभाकर तिवारी,
१७-२-६०
सहायक श्रमायुक्त,
आगरा प्रदेश, आगरा।

दिनांक हाथरस;
१७-२-६० ई०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

तालिका जिसमें १९५८-५९ सीजन में इस प्रदेश की सभी चीनी मिलों ने अलग अलग जितना गन्ना पेरा और इसमें जितना बाहरी जोन का था उसका विवरण दिया हुआ है

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	पेरा गया गन्ना (लाख मनों में)		
		गेट केन	रेल केन (बाहरी जोन)	कुल पेरा गया गन्ना
१	इकबालपुर	५.२२	२९.९०	३५२१२
२	दुइबाला	१०.५३	९.७५	२०..५८
३	देवबन्द	५७.५७	..	५७.७
४	लक्सर	६.७०	२८.२१	३४.९१
५	सहारनपुर	१२.३५	३१.५७	४३.९२
६	मंसूरपुर	६२.२६	८.८१	७१.०७
७	खतौली	४२.१३	२४.३३	६६.४६
८	रोहाना	२८.२८	१७.२१	४५.४९
९	शामली	५७.७५	६२.६१	१२०.३६
१०	सखौती	२१.३७	१०.३०	३१.६७
११	दौराला	५४.७६	..	५४.७६
१२	जसवन्त	५१.३४	..	५१.३४
१३	मोहिउद्दीनपुर	३४.३०	..	३४.३०
१४	बेगमाबाद	३६.४४	..	३६.४४
१५	सिम्भौली	४८.८७	..	४८.८७
१६	मवाना	४५.७५	..	४५.७५
१७	बुलन्दशहर	३२.४६	..	३२.४६
१८	काशीपुर	३४.८०	८.६१	४३.४२
१९	बाजपुर	११.०६	..	११.०६
२०	न्योली	९.०३	८.१८	१७.२१
२१	अमरोहा	१५.०३	३४.४०	४९.४३
२२	बिलारी	४४.६७	०.४८	४५.१५
२३	बहेरी	३५.५५	६.७८	४२.३३
२४	बरेली	११.२९	१७.०१	२८.३०
२५	पीलीभीत	२१.१५	१७.३९	३८.५४
२६	धामपुर	२७.१८	३.७०	३०.८८
२७	सिवहारा	३३.२९	२७.४१	६०.७०
२८	बिजनौर	२२.७८	८.८३	३१.६१
२९	रोसा	७.४९	१०.०४	१७.५३
३०	बुलन्द	२४.३६	६.५४	३०.९०
३१	रजा	२७.१२	३.९१	३१.०३
३२	हरदोई	३०.४४	२.३५	३२.७९
३३	हरगांव	३६.००	२५.०३	६१.०३
३४	महोली	२६.४७	..	२६.४७

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम			पेरा गया गन्ना (लाख मनों में)		
				गेट केन	रेल केन (बाहरी जोन)	कुल पेरा गया गन्ना
३५	गोला	..	..	४२.११	५३.२७	९५.३८
३६	एरा	..	..	२१.४९	..	२१.४९
३७	बाराबंकी	..	..	२१.३२	८.८२	२२.१४
३८	बुढ़वल	..	..	९.४२	२.४१	११.८२
३९	मसोधा	..	..	१६.९६	९.६८	२६.६५
४०	बिसवां	..	..	९.९७	६.०७	१६.०४
४१	शाहगंज	..	..	१६.१०	१२.१७	२८.२७
४२	खलीलाबाद	..	..	१७.९५	०.३२	१८.२७
४३	मुंदेरवां	..	..	२२.६६	..	२२.६६
४४	बस्ती	..	..	३३.६४	..	३३.६४
४५	वाल्टरगंज	..	..	३१.०९	२.८८	३३.९७
४६	बभनान	..	..	२५.६६	..	२५.६६
४७	नवाबगंज	..	..	१९.६१	९.९८	२९.५९
४८	तुलसीपुर	..	..	८.५३	१३.०५	२१.५८
४९	बलरामपुर	..	..	१५.५५	६.१९	२१.७४
५०	जरवल रोड	..	..	८.२१	९.४४	१७.६५
५१	परताबपुर	..	..	२६.०४	..	२६.०४
५२	बेतालपुर	..	..	३०.६३	०.७७	३१.४०
५३	गौरीबाजार	..	..	२६.१०	..	२६.१०
५४	देवरिया	..	..	३२.२८	०.३५	३२.६३
५५	कप्तानगंज	..	..	२८.२७	८.१७	३६.४४
५६	खड्डा	..	..	२६.४९	..	२६.४९
५७	छितौनी	..	..	३१.२५	..	३१.२५
५८	लक्ष्मीगंज	..	..	२२.८७	३.०७	२५.९४
५९	रामकोला (पी)	..	..	४४.०६	..	४४.०६
६०	रामकोला (क)	..	..	२६.९१	२.०२	२८.९३
६१	पडरौना	..	..	३२.२९	..	३२.२९
६२	कठकुइयां	..	..	२२.९२	..	२२.९२
६३	सिवराही	..	..	३९.४६	१.७५	४०.२१
६४	भटनी	..	..	१८.९३	०.२४	१९.१७
६५	सरदारनगर	..	..	८०.५४	..	८०.५४
६६	पिपराइच	..	..	३८.३४	..	३८.३४
६७	घुघली	..	..	३६.४४	..	३६.४४
६८	सिसवाबाजार	..	..	१५.२६	१३.३४	२८.६०
६९	फरेंदा	..	..	२८.९२	४.१४	३३.०५
	योग (पूर्वी उ० प्र०)	..	..	८६३.६७	१०६.८६	९७०.५३
	योग (पश्चिमी उ० प्र०)		..	१,०८९.३९	४५६.९२	१,५४६.०१
	योग (सम्पूर्ण राज्य)		..	१,९५३.०६	५६३.४८	२,५१६.५४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२९ पर)

१--सेल्स टैक्स।

२--रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा सब आयलसीड्स पर हायर मार्जिन का लगाया जाना।

३--सीड मार्केट में अधिक फ्लक्च्युएशन।

४--एक्साइज ड्यूटी।

५--फ्रेट कन्सेशन।

६--आयल उद्योग को आर्थिक सहायता दिया जाना।

७--श्रम कानून।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

सूची "क"

कृषि एवं भूमि संरक्षण में वर्ष १९५९ में विकास खण्ड कटोरा में निम्नलिखित विकास कार्य हुये:

७,७१८ मन २३ सेर उन्नतिशील बीज का वितरण हुआ। १९० एकड़ में हरी खाद का प्रयोग किया गया। १८३ मन ७ सेर रसायनिक खादों का वितरण हुआ, ४६४ उन्नतिशील कृषि विधिकों के प्रदर्शन हुये, ७४४ एकड़ में ज्वार की कतारों में बवाई की गई, ७.५० एकड़ में जापानी ढंग से धान लगाया गया। ५५ एकड़ में धान की कतारों में बुवाई की गई, ११२१.५० एकड़ में उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं की खेती की गई, २,९९८ फलदार वृक्ष तथा ६३४ ईंधन के वृक्ष लगाये गये, ३४४ उन्नतिशील कृषि यन्त्र वितरित किये गये।

१,१७८ एकड़ का भूमि संरक्षण कार्य हेतु सर्वेक्षण किया गया जिसके अन्तर्गत ८५५ एकड़ में मेड़बन्दी व डालबन्दी का कार्य हुआ, २ पानी के पक्के निकास बने, १,२०० फुट मेड़ों पर घास व २९ एकड़ में पट्टीदार खेती की गई, १२,९९५ रु० भूमि संरक्षण कार्यों के लिए १७३ कृषकों को वितरित किया गया, १६ ग्राम सहायक शिविर सम्पन्न हुये, जिनमें १,२०४ ग्राम सहायकों ने भाग लिया। कृषक समाज के ४०५ साधारण सदस्य तथा ३३ आजीवन सदस्य बनाये गये।

पशुपालन--२,९१४ पशुओं की चिकित्सा की गई, ९९ बछड़े बधिया हुये, २६० देशी मुर्गे हटाये गये, १५ पशु गोसदन भेजे गये तथा ८ पशु प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

जनस्वास्थ्य--८ नवीन आदर्श कूपों का निर्माण हुआ, ८ पुराने कुओं का जीर्णोद्धार हुआ, २३३ कुयें कीटाणु रहित किये गये, २८५ पानी के सोखते बने, ३१६ मकानों का सुधार किया गया, २७४ रोशनदान लगे, ३,६१९ घरों में डी० डी० टी० का छिड़काव हुआ, २८ खड़न्जे व नालियां बनीं, ११ टट्टियों व १६४ धूम्र रहित चूल्हों का निर्माण हुआ, ३,०८४ रोगियों की चिकित्सा ग्राम सेवकों द्वारा की गई।

सहकारिता--१८७ नये सदस्य भर्ती किये गये, १३,९०८ रु० हिस्से की पूंजी तथा १२,००० अमानत की पूंजी जमा की गई, ३,१५,६०० रु० ऋण वितरित किया गया तथा २,४७,५९० रु० कर्जे की वसूली की गई। ग्राम रामपुर में ४ हरिजनों को गृह निर्माण हेतु ६०० रु० अनुदान दिया गया तथा १ गृह उद्योग समिति की स्थापना की गई।

पंचायत--१३,३५०.१८ रु० पंचायत कर की वसूली हुई, ३६ मील १ फर्लांग सड़क की मरम्मत की गई, ८४४ पंचायतों की बैठकें हुईं।

शिक्षा एवं समाज शिक्षा--तीन बाल-क्रीड़ा केन्द्र, ७ सामाजिक मिलन केन्द्र, १० प्रौढ़ स्कूल, ३ पुस्तकालय एवं वाचनालय, १ नाट्य मंडली, ४ युवक दल की स्थापना की गई। ग्राम शहीद नगर में भारत सेवक समाज का एक सप्ताह का शिविर चलाया गया, ५२ ग्राम सहायक व ४ महिलाओं को दृश्य-दर्शन के हेतु इटावा, मथुरा, आगरा, सहारनपुर आदि जिलों में ले जाया गया।

अल्प बचत योजना--अल्प बचत के अन्तर्गत ५०,१८९ रु० जमा कराया गया जिसमें ४७,००० रु० बाल बचत के अन्तगत जमा हुआ।

विकास खंड कदौरा के लिये जो इस वर्ष धन का प्राविधान किया तथा खर्च किया गया इसकी तालिका निम्न प्रकार से है:

मद	प्राविधान	धन जो खर्च हुआ	टिप्पणी
	रु०	रु०	
१--वेतन तथा भत्ता ..	५७,३३०.००	३४,०९७.६४	जनस्वास्थ्य, पशुपालन, महिला मंगल के कार्यकर्त्ताओं को विलम्ब से नियुक्ति के कारण धन व्यय नहीं हो सका।
२--विविध प्रासंगिक ..	५,२६५.००	५,२६५.००	
३--कृषि अनावर्तक प्रासंगिक	२,०००.००	२,०००.००	
४--पशुपालन अनावर्तक ..	३,०००.००	३,०००.००	
५--ऋण अल्पसिंचाई योजना	२७,०००.००	२७,०००.००	४९ व्यक्तियों को बन्धो पम्पिंग सेट व कूप निर्माण हेतु धन दिया गया।
६--जनस्वास्थ्य प्रासंगिक ..	४,०००.००	४,०००.००	
७--जिला प्रासंगिक तथा आनरेरिया ..	११,२००.००	१०,०००.००	शेष धनराशि शीघ्र ही व्यय हो जाने की संभावना है।
८--समाज शिक्षा प्रासंगिक तथा आनरेरिया ..	१२,९६०.००	१०,०००.००	,
९--लघु उद्योग ..	३,०००.००	१,९००.००	,, ,,
योग ..	१,२५,७५५.००	९७,२६२.६४	

अनुदान की विविध मदों पर जो व्यय हुआ उसकी तालिका :

मद		प्राविधान	धन जो खर्च हुआ	टिप्पणी
		रु०	रु०	
१--कृषि	..	४,०००.००	..	
२--पशुपालन	..	२,०००.००	..	
३--अल्प सिंचाई योजना	..	१,०००.००	..	
४--जनस्वास्थ्य	..	७,०००.००	२१,३४७.००	
५--स्कूल एवं पंचायत घर	..	५,०००.००	३,१८६.००	
६--यातायात ..	..	५,०००.००	५,२३५.००	
योग	..	२४,०००.००	२९,७६८.००	

कृषि तथा पशु-पालन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये, इसलिये कोई भी व्यय सम्भव नहीं हो सका, इस दिशा में भी प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही उक्त मदों का धन सामुहिक उद्यानों, वनों, कृषि यन्त्रों, कुक्कुट शालाओं आदि पर व्यय हो जावेगा। जन-स्वास्थ्य तथा यातायात में प्राविधान से अधिक जो व्यय हुआ है वह पूर्व वर्षों के प्राविधान से किया गया है। पंचायत घर व स्कूल हेतु शेष धन का भी व्यय अतिशीघ्र हो जावगा।

उदय पटेरिया

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

सूची "ख"

विकास खंड कुठौंद, जिला जालौन में सन् १९५९ में मुख्यतः खरीफ व रबी अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत ९ सामूहिक धान के पौध गृह लगाये गये। १२ आदर्श कुयें बनवाये गये, २ पुलियों का निर्माण किया गया, १५ बहुधंधी भवनों का निर्माण शुरू कराया गया एवं सामूहकि बाग लगवाया गया, १ खड़ंजा पूरा कराया गया, ३ पक्की नालियां बनवाई गईं तथा ४ सामूहिक पशुशालायें पूर्ण कराई गईं। इसके अलावा अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत ९७ बंधियां बनवाई गईं, १ सिंचाई के कुयें का निर्माण व १ की मरम्मत कराई गई।

इस विकास खंड को सन् १९५९ में अनुदान के कार्यों के लिये ४८,००० रु० प्राप्त हुआ और दिसम्बर, १९५९ तक २०,२९२ रु० अनुदान के कार्यों में खर्चा हुआ, जिसमें से ७,४२७ रु० ४८,००० रु० में से खर्च हुए और १२,८६५ रु० पिछले सालों के बचे हुए धनराशि से खर्चा किये गये। सन् १९५९ की धनराशि में से दिसम्बर सन् १९५९ के अन्त तक ४०,५७३ रु० शेष रहे। इसका कारण यह है कि यह धनराशि जून के दूसरे पखवारे में प्राप्त हुई जबकि काश्तकार खरीफ के कार्य में व्यस्त हो चुके थे तथा नवम्बर, १९५९ तक व्यस्त रहे। दिसम्बर से नये कार्य लिये गये और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसमें से काफी धनराशि व्यय हो चुकेगी। सन् १९५९ ई० में जो २०,२९२ रु० खर्च हुये वह मुख्यतः पिछले अधूरे कार्यों को पूरा कराने में खर्च हुए।

सन् १९५९ ई० में १६,००० रु० अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में बांटे गये तथा २५० रु० की सब्सिडी सिंचाई के कुयें पर दी गई। इसके अलावा इस वर्ष ५,२०० रु० इस कार्य के लिये और प्राप्त हुये, जिनमें से दिसम्बर सन् १९५९ तक कोई खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि जिन कार्यों के लिये कर्जा बांटा गया था वह नवम्बर तक पूर्ण नहीं कराये जा सके, उनकी पूर्ति के प्रमाण-पत्र दिसम्बर, १९५९ व जनवरी, १९६० में प्राप्त हुए और अब मार्च सन् १९६० तक यह सम्पूर्ण धनराशि व्यय होने की आशा है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

सूची "ग

विकास क्षेत्र रामपुरा का उद्घाटन १–४–५९ को हुआ, इस समय में इस क्षेत्र को २४,००० रु० अल्प सिंचाई साधनों के हेतु कर्ज के रूप में एवं २४,५०० रु० अनुदान स्वरूप विभिन्न कार्यों जैसे २,००० रु० कृषि, ५०० रु० पशुपालन, ७,००० रु० स्वास्थ्य एवं सफाई, ४,००० रु० शिक्षा, १,००० रु० समाज शिक्षा तथा १०,००० रु० यातायात साधनों के हेतु प्राप्त हुआ।

२४,००० रु० जो कर्ज के रूप में प्राप्त हुये उनमें से २२,७०० रु० ६५ बन्धी निर्माण हेतु एवं १,३०० रु० सिंचाई कूप निर्माण हेतु दिसम्बर, १९५९ तक खर्च किया गया।

जहां तक प्रश्न अनुदान की धनराशि का है ए०जी०, यू०पी० से इस रुपये को व्यक्तिगत लेखे में डालने की आज्ञा माह नवम्बर के अन्त में आई अतः इसका खर्च माह दिसम्बर तक नहीं हो सका फिर भी निम्न कार्यों के हेतु धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी:

		स्वीकृत धनराशि		
				रु०
खाद के गड्ढे	..	८०	..	२,०००.००
मुर्गी पालन केंद्र	..	२	..	४००.००
कूप निर्माण एवं जीर्णोद्धार	..	१०	..	७,०००·००
बहुबंधी भवन हेतु	..	१	..	१,०००·००
स्कूल भवन	..	४	..	४,०००·००
पुलिया निर्माण	..	७	..	५,०००·००
नाली निर्माण	..	१	..	४२०·००
			योग ..	१९,८२०·००

चालू वित्तीय वर्ष ३१ मार्च, १९६० में समाप्त होगा। अतः दिसम्बर, १९५९ में क्षेत्र की बची रकम का उपभोग मार्च, १९६० तक करने की चेष्टा की जायगी।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६–७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३०–१३१ पर)

भारत सरकार द्वारा भेजी गई योजना के मुख्य तथ्य तथा चालू किये जाने की सूचना

१—उपाध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् व क्षेत्र विकास समिति के उप समितियों के अध्यक्षों के अध्ययन शिविर—

इस प्रदेश के उपाध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् व क्षेत्र विकास समिति की उप-समितियों के अध्यक्षों को भारत सरकार के केन्द्रों पर समय-समय पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जायगा । प्रशिक्षण की अवधि ६ दिन की है। यात्रा व्यय तथा रहने व भोजन इत्यादि की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका एक शिविर जो प्रथम था ३ फरवरी सन् १९६० से देहरादून केन्द्र पर किया गया था, जिसमें इस राज्य सरकार के ३ उपाध्यक्षों ने प्रशिक्षणप ाया ।

२—खंड विकास समितियों के गैर सरकारी सदस्यों का प्रशिक्षण—

यह योजना इस प्रदेश में १७ नवम्बर, १९५९ से चालू की गई है। खंड विकास समितियों के समस्त गैर-सरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण निमित्त इस वित्तीय वर्ष में १५ प्रशिक्षण केन्द्र राज्य की विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं में खोले जा चुके हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर १७ नवम्बर, १९५९ से इन सदस्यों का प्रशिक्षण बराबर चल रहा है और ११ मार्च, १९६० तक चलता रहेगा। इस अवधि में लगभग ११ शिविर प्रत्येक संस्था में होंगे। प्रत्येक शिविर ८ दिवस का होगा। अब तक लगभग ५,००० सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

३—संसद के सदस्यों तथा विधान सभा व परिषद के सदस्यों के अध्ययन शिविर—

इस योजना के अन्तर्गत संसद के सदस्यों व विधान सभा व परिषद् के सदस्यों के अध्ययन के निमित्त शिविरों (स्टडी कैम्प) का आयोजन किया जायगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के अभिनवीकरण (ओरियन्टेशन) प्रशिक्षण एवं स्टडी कोर्स की अल्पकालीन योजना का आयोजन किया है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों, खंड विकास समितियों, सहकारी समितियों, पंचायत समितियों और विधान सभा व विधान परिषद् तथा संसद के ऐसे सदस्यों को भी प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित करने का विधान रखा गया है जो विकास कार्यों के प्रति रुचि एवं उत्साह रखते हैं।

ओरियन्टेशन कोर्स का समय १।। मास और स्टडी कोर्स का समय ३ सप्ताह का रखा गया है। यह कोर्स भारत सरकार के विभिन्न ओरियन्टेशन सेंटर्स पर आयोजित किये जाते हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास योजना के सिद्धांत, दर्शन, कार्य-क्रम और नवीनतम कार्य प्रणाली से गैर-सरकारी सदस्यों को अच्छी प्रकार परिचित करा देना है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को वहां साथ-साथ मिल बैठ कर बात करने, सोचने-विचारने और अनुभवों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलता है ।

इन शिविरों में सम्मिलित होने वाले गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों तक जाने और वहां से लौटने के लिये यात्रा भत्ता दिया जाता है और शिविर की अवधि में उन्हें १०० रु० प्रतिमाह प्रासंगिक भत्ता भी दिया जाता है। ट्रेनिंग पाने वाले गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की संख्या समय-समय पर केंद्रीय सरकार का सामुदायिक विकास व सहकारिता

मंत्रालय ही निर्धारित करता है और उसी के अनुसार उन्हें विभिन्न केंद्रों में भेजने की व्यवस्था विकास आयुक्त द्वारा की जाती है। शिविर की अवधि में ही गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं को अध्ययन आदि के लिये बाहर ले जाने का भी कार्यक्रम रखा जाता है, इस यात्रा का यथार्थ मार्ग व्यय भी इन्हें दिया जाता है।

इस प्रकार के इस वर्ष दो ऐसे ओरियन्टेशन और दो स्टडी कोर्स हो चुके हैं जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों को भेजा गया था।

४---योजना संख्या १ के बारे में---

जिला परिषद् के उपाध्यक्षों व क्षेत्र विकास समितियों की उप समितियों के अध्यक्षों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें उनसे प्रशिक्षण में जाने के लिये राय मांगी गई है। जिन-जिन सदस्यों की राय आती जाती है उनकी एक सूची तैयार की जा रही है और जैसे-जैसे भारत सरकार द्वारा इन सदस्यों के भेजने के निमित्त आदेश प्राप्त होंगे वैसे ही इनको प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जायगा।

५---योजना संख्या २ व ३ के बारे में---

समस्त दल के नेताओं को एक अर्द्ध-शासकीय पत्र उपमंत्री जी (नियोजन) के हस्ताक्षरों से नाम मांगने के लिये भेजा जा चुका है कि वे अपने दल के सदस्यों के नाम जो इन कोर्सेस में भाग लेना चाहें भेज दें। दूसरा अर्द्ध-शासकीय परिपत्र विकास आयुक्त कार्यालय से समस्त जिलाधीशों, समस्त अतिरिक्त जिलाधीशों (नियोजन), जिला नियोजन अधिकारियों को भेजा गया है। इन जिलों से जो नाम प्राप्त हुये हैं इनकी एक लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट से सदस्य प्रशिक्षण में भेजे जाते हैं।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर)

तालिका जिसमें वर्तमान सीजन में इस प्रदेश में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में चीनी मिलों की सामूहिक रिकवरी तथा हरदोई और बाजपुर मिलों की उपरोक्त महीनों में अलग-अलग रिकवरी का विवरण दिया गया है।

क्रम-संख्या	रिकवरी का प्रतिशत नवम्बर, १९५९	दिसम्बर, १९५९	जनवरी, १९६०	फरवरी, १९६० (७ फरवरी, १९६० तक)
१—उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों की सामूहिक रिकवरी ..	८.२७	८.९२	९.३०	८.३७
२—हरदोई ..	९.१५	९.७१	९.८८	९.९५
३—बाजपुर ..	८.३८	८.३२	८.६७	८.७३

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२ पर)

समय सारिणी, झांसी-माताटीला बांध

गाड़ी संख्या यू०एस०जी० १७९९, यू०एस०जी० ११५८, यू०पी०आर० ३६७५, यू०एस०जी० १४१२, यू०पी०पी० ५७९, और यू०एस०जी० १३४१ ।

झांसी छूटना	माताटीला पहुंचना यदि बस बरोरा होकर पास है	यदि बस सुकवान होकर पास है
८.०० ए०एम०	११.३० ए०एम०	१२.०० दोपहर
११.०० ए०एम०	२.३० पी०एम०	३.०० पी०एम०
१२.३० पी०एम०	४.०० पी०एम०	४.३० पी०एम०
२.३० पी०एम०	५.०० पी०एम०	५.३० पी०एम०
४.३० पी०एम०	८.०० पी०एम०	८.३० पी०एम०

माताटीला-झांसी

माताटीला छूटना	झांसी पहुंचना	अगर बस सुकवान होकर, जाना स्वीकृत (पास) है
७.०० ए०एम०	१०.३० ए०एम०	११.०० ए०एम०
७.४५ ए०एम०	११.१५ ए०एम०	११.४५ ए०एम०
८.१५ ए०एम०	११.४५ ए०एम०	१२.१५ पी०एम०
२.३० पी०एम०	६.०० पी०एम०	६.३० पी०एम०
४.३० पी०एम०	८.०० पी०एम०	८.३० पी०एम०

झांसी-माताटीला वाया बरोरा या सुखवा डुखवा की सारी गाड़ियां बारी-बारी से उपरोक्त समय पर चलेंगी ।

इस समय सारिणी की एक प्रतिलिपि गाड़ी के अन्दर रखी जायगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

१—अवध शुगर मिल्स, हरगांव से निकलने वाले गन्दे पानी की जांच रिपोर्ट से बोर्ड को ज्ञात हुआ कि उसमें Bio-Chemical Oxygen Demand (B. O. D.) की मात्रा Factory Effluents Enquiry Committee द्वारा अभिस्तावित मात्रा से बहुत अधिक है। फैक्ट्री को B. O. D. कम करने को लिखा गया। फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने गन्दे पानी की पुनः जांच करके एक जांच रिपोर्ट (analysis report) फरवरी मास में भेजी है जिस पर बोर्ड अपनी अगली बैठक में विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेगा।

२—हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला के प्रबन्धक ने भी गन्दे पानी के व्ययन का मानचित्र व जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेजा था। उससे यह पता चला कि फैक्ट्री का एफ्लुयेंट ठीक नहीं है। फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने बोर्ड को यह बताया कि एफ्लुयेंट (Effluent) को ठीक करने (treat) के लिये Tarula Yeast Plant वे शीघ्र लगाने जा रहे हैं जिससे Effluent ठीक हो जायेगा और हानिकारक नहीं रहेगा। इस पर विचार करने के बाद बोर्ड ने निश्चय किया कि फैक्ट्री को शीघ्र Tarula Yeast Plant लगाने को कहा जाय। कुछ कठिनाइयों के कारण कारखाना के प्रबन्धक Plant नहीं लगा सके और उन्हें कुछ और मुहलत दी गई है।

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

जिले का नाम		उन नेताओं के नाम जिनकी मूर्तियां स्थापित करने की मांग सरकार के पास आई
१—झांसी	..	महारानी लक्ष्मीबाई
२—कानपुर (बिठूर)	..	नाना साहब
३—कानपुर	..	तात्या टोपे
४—इलाहाबाद	..	१—चन्द्र शेखर आजाद, २—पं० मदन मोहन मालवीय।
५—वाराणसी	..	राजा चेत सिंह
६—बलिया	..	श्री मंगल देव पांडे
७—उन्नाव	..	श्री राव राम बख्श सिंह
८—कानपुर (शिवराजपुर बिल्हौर)।	..	राजा सती प्रसाद
९—आजमगढ़	..	१—महारानी लक्ष्मीबाई, २—सुभाषचन्द्र बोस
१०—फतेहपुर (खागा)	..	ठाकुर दरियाव सिंह

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३६ पर)

१९६०–६१ के दौरान में रोडवेज द्वारा अनन्य रूप से गाड़ियां चलाने के निमित्त अधिकार में लेने के लिये स्वीकृत मार्गों की सूची

आगरा रीजन

(१) एटा-मैनपुरी
  (क) एटा-पैवारा ।
(२) अलीगढ़-खैर-टप्पल
  (क) सोमना-खैर-गोमट-नौझील ।
(३) मथुरा-कामा-कोसी ।
(४) मथुरा-अलवर ।
(५) सादाबाद तथा जलेसर होकर एटा-मथुरा।
(६) देवई होकर अलीगढ़-अनूपशहर ।

इलाहाबाद रीजन

(७) मिर्जापुर-घोरावल ।
(८) सुल्तानपुर-कोरीपुर ।
(९) जौनपुर-शाहगंज
  (क) जौनपुर-रामनगर ।
(१०) जौनपुर-केराकत ।
(११) राबर्ट्सगंज दुधी-विंध्यगंज ।

बरेली रीजन

(१२) धनेटी तथा शाही होकर बरेली-शीशगढ़ ।

गोरखपुर रीजन

(१३) बहराइच-जरवल ।
(१४) आजमगढ़-अजमतगढ़ ।
(१५) आजमगढ़-निजामाबाद ।
(१६) शाहगंज-दोस्तपुर ।

कानपुर रीजन

(१७) कानपुर-बेला-बिधूना ।
(१८) राठ-हरपालपुर ।
(१९) कानपुर-राठ
  (क) चरखारी-हमीरपुर बाया-मशकरा,
  (ख) चरखारी-हमीरपुर-बाया-गहरोली-इमीलिया,
  (ग) राठ होकर मझगांव-हमीरपुर,
  (घ) मशकरा होकर राठ-मौदहा ।
(२०) महोबा-खजराहो ।
(२१) महोबा-चरखारी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ रीजन

(२२) हरदोई-उन्नाव।

(२३) बाराबंकी-रामनगर

(क) बाराबंकी-कुतवा,

(ख) बाराबंकी-गनेशपुर,

(ग) बाराबंकी-महादेवा।

(२४) लखनऊ-नगराम।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०-३१८ एल० ए०-१९६०—८४५।